14

सुविख्यात सांसद
मोनोग्राफ सीरीज

एस० एम० जोशी

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
1992

सुविख्यात सांसद मोनोग्राफ सीरीज

एस० एम० जोशी

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
1992

© लोक सभा सचिवालय, 1992

फरवरी, 1992
माघ-फाल्गुन, 1913 (शक)

मूल्य: 50.00 रुपये

लोक सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबन्धक, फोटो-लिथो एकक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

प्रस्तावना

भारतीय संसदीय दल ने गत वर्ष के प्रारम्भ में प्रतिष्ठित सांसदों द्वारा राष्ट्र के संसदीय जीवन और राज्यतंत्र में किये गये योगदान का स्मरण करने तथा उसे अभिलिखित करने की दृष्टि से उनकी जयन्तियां मनाने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसरण में मार्च, 1990 में डा० राम मनोहर लोहिया पर विनिबन्ध के साथ "सुविख्यात सांसद मोनोग्राफ सीरीज" नामक एक मोनोग्राफ सीरीज का शुभारंभ किया गया। इसके पश्चात डा० लंका सुन्दरम, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पण्डित नीलकण्ठ दास, श्री पी० गोविन्द मेनन, श्री भूपेश गुप्त, डा० राजेन्द्र प्रसाद, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, श्री सी० डी० देशमुख, श्री जयसुख लाल हाथी, डा० बी० आर० अम्बेडकर, श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगर तथा श्री वी० के० कृष्ण मेनन की जयन्तियां मनाने के लिए उन पर इसी प्रकार के मोनोग्राफ प्रकाशित किये जा रहे हैं।

वर्तमान मोनोग्राफ—इस सीरीज में चौदहवां—एक अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय समाजवादी आन्दोलन के एक उज्जवल दीप, श्री एस० एम० जोशी, जिन्होंने छः दशकों से भी अधिक समय तक राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक और संसदीय जीवन में महत्वपूर्ण योगदान किया, की सेवाओं का स्मरण करने का हमारा एक विनीत प्रयास है।

इस पुस्तक के तीन भाग हैं। भाग—एक में श्री जोशी का संक्षिप्त जीवनवृत्त दिया हुआ है जिसमें उनके घटनापूर्ण जीवन की कुछ झलकियों को उजागर किया गया है। भाग—दो में सुविख्यात व्यक्तियों के आठ लेख हैं। इन व्यक्तियों में से कुछ विभिन्न संघर्षों में उनके साथ रहे और कुछ अन्य उनके बचपन के दिनों से उनके घनिष्ठ साथी रहे। भाग—तीन में श्री जोशी के वे नौ चुनिन्दा भाषण हैं जो उन्होंने संसद में चौथी लोक सभा के सदस्य के रूप में दिये थे।

उनकी 87वीं जयन्ती के अवसर पर हम इस महान नेता और जाने-माने सांसद की स्मृति में अपनी सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमें आशा है कि यह मोनोग्राफ उपयोगी तथा रोचक सिद्ध होगा।

नई दिल्ली;
नवम्बर, 1991

शिवराज वी० पाटिल,
अध्यक्ष, लोक सभा और प्रेसीडेन्ट,
भारतीय संसदीय दल।

विषय सूची

भाग-एक

उनका जीवन

1

एस० एम० जोशी
जीवनवृत्त

(1)

भाग-दो

लेख

2

एस० एम० जोशी : एक श्रद्धांजलि

रवि राय

(17)

3

"एस० एम०" : एक राजनैतिक ऋषि

शरद पवार

(23)

4

"एस० एम०" को विदाई

प्रो० मधु दण्डवते

(27)

5

एस० एम० जोशी : एक महान देशभक्त

सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

(30)

6

"एस० एम०" : जैसा मैंने समझा

मधु लिमये

(32)

7

"एस० एम०": अन्ना : नेता से भी बढ़कर

डा० बापू कालदाते

(52)

8

एस० एम० जोशी : एक प्रसन्नचित्त योद्धा

एन० जी० गोरे

(57)

9

एस० एम० जोशी : एक जन नेता

प्रो० समर गुहा

(61)

10

एस० एम० जोशी : सामाजिक न्याय के निर्भीक योद्धा

मेजर जनरल राजेन्द्र सिंह स्पैरो

(68)

भाग-तीन

उनके विचार

श्री एस० एम० जोशी के संसद में
कुछ चुने हुए भाषणों के अंश

11

वर्ष 1964-65 और 1965-66 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन

(73)

12

वेतन वृद्धि रोक नीति संबंधी संकल्प

(77)

13

विधायकों द्वारा दल बदल किया जाना संबंधी संकल्प

(81)

14

समाचार पत्रों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

(85)

15

ग्रामीण आवास विकास संबंधी संकल्प

(90)

16

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगों संबंधी प्रस्ताव

(92)

17

जम्मू और कश्मीर का दर्जा संबंधी संकल्प

(96)

18

लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) संशोधन विधेयक पर विचार

(101)

19

काशीपुर में गोलीबारी तथा पश्चिम बंगाल में हड़ताल

(105)

भाग एक
उनका जीवन

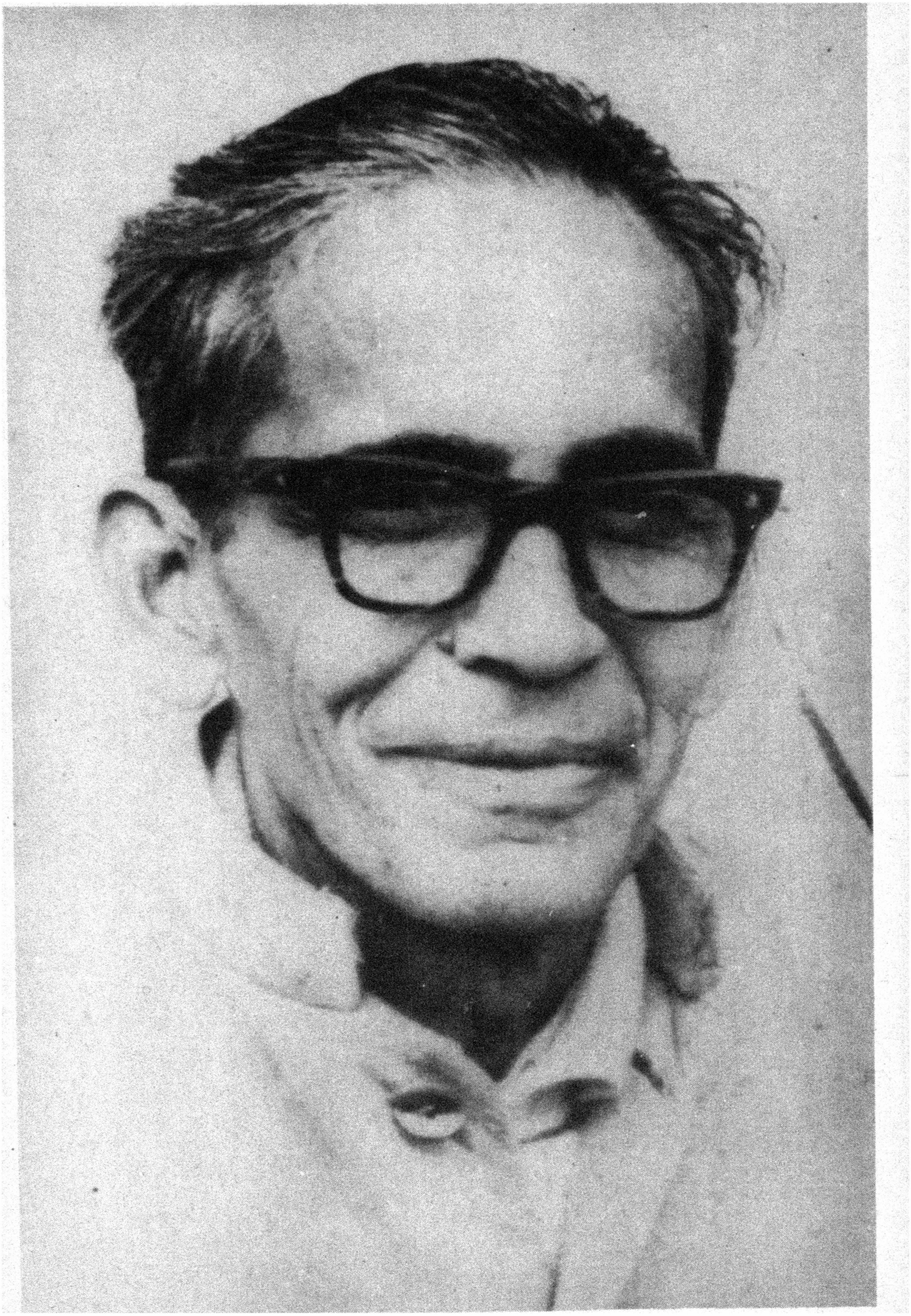

1

एस० एम० जोशी — जीवनवृत्त

एक अत्यधिक सुशील एवं निष्कपट सद्भाव वाला प्रिय व्यक्तित्व, एक कर्मप्रवीण स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय समाजवादी आन्दोलन के एक वरिष्ठ सदस्य, सामाजिक न्याय का एक निर्भीक कर्मयोद्धा तथा सामाजिक असमानता के विरुद्ध एक संघर्षकर्ता, एक विख्यात श्रमिक संघ नेता और एक असाधारण राष्ट्रवादी श्री श्रीधर महादेव जोशी या 'एस० एम०'— जैसाकि वह अपने सहयोगियों, मित्रों एवं प्रशंसकों के बीच सामान्य रूप से जाने जाते थे, का जन्म 12 नवम्बर, 1904 को पुणे जिले के जुन्नार में एक निम्न-मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता, श्री महादेव जनार्दन जोशी, जुन्नार की कचहरी में एक लिपिक थे। तथापि, परिवार की आर्थिक स्थिति ने इस किशोर बालक के मन में कटुता नहीं आने दी। वस्तुतः बाल्यावस्था की विपन्नता ने उन्हें स्वयं को निर्धनों एवं पददलितों के सदृश समझने तथा उनके उत्थान के लिए कोई ठोस कार्य करने हेतु एक गहरी अन्तः प्रेरणा दी। उनका यह मनोभाव उनके दृष्टिकोण एवं व्यवहार में सदैव परिलक्षित होता था और उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षण तक निर्धनों एवं अभाव पीड़ितों के हितों के लिए संघर्ष किया।

उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

'एस० एम०' का बचपन, उनके पैतृक गांव, गोलप, जिला-रत्नागिरि में बीता। बालक जोशी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा जुन्नार में ही प्राप्त की। किन्तु, उनकी प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने से दो वर्ष पूर्व ही उनके पिता का देहान्त हो गया जिसके कारण परिवार की स्थिति कष्टमय हो गई। अपनी व्यक्तिगत व्यथा एवं निर्धनता, दोनों का ही अति साहस एवं धैर्य के साथ सामना करते हुए, 'एस० एम०' ने छात्रवृत्तियों तथा अध्येतावृत्तियों की सहायता से, अपने अध्ययन को जारी रखा। उनकी मां, जो एक धर्मपरायण हिन्दू महिला थी, ने श्रीधर के किशोर मन-मानस पर जीवन के उत्तम आदर्शों तथा आत्म-सम्मान की भावना को स्थायी रूप से अंकित कर दिया। उनमें व्याप्त आत्म-गौरव की भावना ने स्वभावतः उनके छात्र-जीवन में ही उन्हें औपनिवेशिक शासकों के हाथों हमारी मातृभूमि के अपमान के बारे में सोचने के लिए उत्प्रेरित किया। यह वह समय था जब स्वतंत्रता की लड़ाई अपनी चरम सीमा की ओर अग्रसर थी। स्वभावतः, 'एस० एम०' देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत तथा देश को जकड़ती जा रही विदेशी दासता से

मुक्ति की उत्कट इच्छा से अत्यन्त प्रभावित हुए थे। जब ड्यूक ऑफ कनॉट भारत के दौरे पर आए, तो 'एस० एम०' ने विद्यालय में उन्हें दिए गए बिल्ले को फेंक दिया और इसके फलस्वरूप उन्हें जो सजा मिली, उसे चुपचाप सह लिया।

अपनी मैट्रिक की शिक्षा पूरी करने के पश्चात् ,'एस० एम०' ने अपनी शिक्षा को आगे जारी रखने के लिए मशहूर फर्गुसन कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां उन्होंने राजनैतिक अर्थव्यस्था पर लिखे अपने लेख पर पुरस्कार जीता। उनका शैक्षिक जीवन, अद्वितीय रूप से एक प्रतिभापूर्ण जीवन था तथा उन्होंने अपनी स्नातक परीक्षा 1929 में इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिशास्त्र विषय लेकर उत्तीर्ण की। उन्होंने एक सशक्त तथा प्रभावशाली वक्ता के रूप में अपनी ख्याति स्थापित की।

अपने कालेज जीवन में उन्होंने कार्ल मार्क्स के लेखों, महात्मा गांधी का "यंग इंडिया" और भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद तथा अन्य क्रांतिकारियों के साहित्य का अध्ययन किया। इन सबका 'एस० एम०' के युवा मन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने एन० जी० गोरे, आर० के० खाडिलकर, शिरुभाऊ लिमये जैसे अपने सहपाठियों के साथ मिलकर "यूथ लीग" नाम से एक संस्था का गठन करने का निर्णय किया; और फिर 1927 में बम्बई में इन युवकों द्वारा इस संस्था का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका दूसरा सम्मेलन, पंडित जवाहर लाल नेहरू की अध्यक्षता में पुणे में आयोजित हुआ जो बहुत सफल रहा। और इस कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। 'एस० एम०' और उनके मित्रों को उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण एम०ए० के पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। तथापि, 1930 में उन्होंने बम्बई में कानून की कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया। किन्तु, उनकी जोरदार राजनीतिक गतिविधियों के कारण उनके अध्ययन में व्यवधान आने लगा और वे अपनी एल०एल०बी० की पढ़ाई वर्ष 1934 में ही पूरी कर सके। यद्यपि, उन्होंने कानून की पढ़ाई अपने भावी जीवन में वकालत का व्यवसाय अपनाने के इरादे से आरंभ की थी किन्तु उनकी देशभक्तिपूर्ण सहज प्रवृत्ति ने उन्हें स्वतंत्रता संघर्ष में कूद पड़ने के लिए बाध्य कर दिया।

एक स्वतंत्रता-सेनानी के रूप में

देशभक्ति की भावप्रवणता, मातृभूमि के प्रति प्रेम तथा विदेशी शासकों के प्रति अवमानना की भावना 'एस० एम०' के मन में उनके छात्र जीवन के दिनों से ही भर चुकी थी। उनके जीवन पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के उपदेशों तथा अन्य अनेक क्रांतिकारियों के लेखों का गहरा प्रभाव पड़ा। लगभग बीस वर्ष की आयु में वह स्वतंत्रता-संघर्ष के पथ-प्रदर्शक महात्मा गांधी और कांग्रेस की ओर आकर्षित हुए। जोशी ने एन० जी० गोरे, अच्युत पटवर्धन और युसुफ मेहरअली जैसे अपने निकट सहयोगियों के

साथ मिलकर पुणे में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक सफल प्रदर्शन का आयोजन किया। यह वातावरण उत्साह से परिपूर्ण था और जोशी भी अन्य कट्टर राष्ट्रवादियों की भांति स्वतंत्रता-संघर्ष में कूद पड़े थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्रता प्राप्ति से न केवल भारत पर शताब्दियों से चला आ रहा औपनिवेशिक शासन समाप्त होगा, बल्कि एक ऐसे नये युग का सूत्रपात भी होगा जिसमें सामाजिक और आर्थिक असमानता तथा अन्याय का कहीं नामोनिशान नहीं रहेगा।

उन्होंने 1930 में कोंकण क्षेत्र में अलीबाग में समुद्रतट पर नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। वहां उन्होंने ऐसे वीरतापूर्ण विचारों, साहसिक एवं निष्ठा से परिपूर्ण भाषण दिया कि उसे सुनकर वहां उपस्थित समस्त श्रोता वाह-वाह कर उठे। तदुपरान्त, स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने के कारण, उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया। मराठी में लिखी अपनी आत्मकथा में नमक सत्याग्रह के समय अपनी पहली गिरफ्तारी का उल्लेख करते हुए 'एस० एम०' ने विशेष रूप से टिप्पणी करते हुए लिखा कि तब "मैं एक पूर्ण नागरिक बन गया।"

1932 में उन्हें दो महीने नज़रबंद रहना पड़ा। इसके बाद 1934 में एक अन्य अवसर पर, क्रांतिकारी नेता, स्वर्गीय श्री एम० एन० राय की रिहाई की मांग करते हुए बम्बई में भाषण देने के कारण उन्हें गिरफ्तार करके दो वर्ष की कैद की सजा दी गई। जेल में उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्हें "सी" श्रेणी के कैदी का दर्जा दिया गया था जिसके फलस्वरूप उनकी दुर्बल काया और अधिक क्षीण हो गई। तथापि, इस सब ने भी उन्हें मातृभूमि को मुक्त देखने के अपने प्रयासों से किसी भी रूप में विचलित नहीं होने दिया।

एक राजनीतिक क्रांतिकारी का जीवन अपनाकर, जिसके बारे में उन्हें पता था कि यह फूलों की सेज नहीं है, जोशी ने निर्णय किया कि वे विवाह नहीं करेंगे। तथापि, धनी परिवार की एक युवती, कुमारी तारा पेंडसे, जो एक अध्यापिका के रूप में कार्य कर रही थी, 'एस० एम०' के आदर्शवाद से अत्यधिक प्रभावित हुई थी और उनका जीवन-संगिनी बनकर उनके सुख-दुख में प्रसन्नतापूर्वक भाग लेने के लिए तैयार हो गई। अन्ततः, 'एस० एम०' ने 1939 में उससे विवाह कर लिया तथा उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए।

जब 1942 में गांधीजी ने भारत छोड़ो आन्दोलन का नारा बुलन्द किया, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था, तो सरकार ने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगाकर इस आन्दोलन को कुचल देने का निर्णय किया तथा जिला स्तर के नेताओं सहित सभी कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। तथापि, सामान्य जनता और नेता समान रूप से, इस संघर्ष को जारी रखने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ थे। "करो या मरो" की भावना से भरकर

इस कार्य को पूरा करने के लिए 'एस० एम०' ने अच्युत पटवर्धन, शिरुभाऊ लिमये जैसे अपने सहयोगियों तथा अन्य लोगों के साथ मिलकर एक भूमिगत संस्था की स्थापना की। 'एस० एम०', जो बहुत ही धाराप्रवाह उर्दू बोल सकते थे, इमाम अली के नाम से एक मौलवी के रूप में कराची सहित संपूर्ण भारत में घूमे और विभिन्न भूमिगत नेताओं से मिले थे। यह संगठन देश के विभिन्न भागों के नेताओं के बीच सम्पर्क स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया था। इस संघर्ष में अनेक आन्दोलनकारी मारे गये थे और स्वयं 'एस० एम०' कई बार बाल-बाल बचे थे। 'एस० एम०' के मन में मानव कष्टों के प्रति जो गहन सहानुभूति थी, उसने उन्हें आन्दोलनकारियों के परिवारों को सहायता देने के लिए प्रेरित किया। तथापि, 1943 में, पुलिस ने मुम्बई में एक मकान पर छापा मारकर 'एस० एम०' सहित अनेक भूमिगत आन्दोलनकारियों को गिफ्तार कर लिया था। सरकार महाराष्ट्र षड्यंत्र मामले के रूप में इन आन्दोलनकारियों पर मुकदमा चलाना चाहती थी लेकिन साक्ष्य न मिलने के कारण ऐसा नहीं कर सकी। फिर भी उन्हें विचाराधीन कैदी के रूप में तीन वर्ष की लम्बी अवधि तक अनुचित रूप से जेल में रखा गया।

सांसद के रूप में

अपनी स्पष्टवादिता और निष्कपट आलोचना, तथा रचनात्मक विरोध के लिए विख्यात 'एस० एम०' एक प्रभावी सांसद थे, यद्यपि उनका कार्यकाल अधिक लम्बा नहीं रहा। वह महाराष्ट्र विधान सभा के दो कार्यावधियों के लिये विधायक तथा चौथी लोक सभा के भी सदस्य रहे। इस अवधि के दौरान, संसदीय वाद-विवादों में और निश्चय ही समग्र रूप से, राष्ट्रीय जीवन में उनका अत्यधिक तथा समृद्ध योगदान रहा। उनकी निष्कपट निष्ठा, उद्देश्य के प्रति ईमानदारी और अत्यन्त सादगी के कारण सभी उनका सम्मान और उनसे प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी एक अद्वितीय छाप छोड़ी तथा एक सच्चे अजातशत्रु का जीवन व्यतीत किया।

1952 में लोक सभा के लिए हुए प्रथम आम चुनावों में, संविधान के उपबंधों के अंतर्गत, वे पुणे निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में खड़े हुए थे परन्तु जीत नहीं पाये। तथापि, चुनावों में उनकी इस प्रारंभिक हार ने उन्हें निराश नहीं किया बल्कि एक कर्मयोगी होने के नाते उन्होंने नये उत्साह के साथ स्वयं को श्रमिक वर्गों के कल्याण कार्य में लगा दिया।

'एस० एम०' ने अपना संसदीय जीवन मुम्बई विधान सभा के विधायक के रूप में आरम्भ किया था जिसके लिए वह 1952 में हुए एक उपचुनाव में पुणे के एक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गये थे। 1957 में वह पुनः विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। विधायक के रूप में, 'एस० एम०' ने अपनी स्पष्टवादिता तथा निष्पक्ष विचारों और रचनात्मक विरोध के बल पर विधान सभा की कार्यवाहियों में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। विभिन्न

विरोधी दलों की बारी-बारी से नेतृत्व करने की योजना पर हुई सहमति के तहत वह कुछ समय तक संयुक्त विपक्ष के नेता रहे थे। यद्यपि 'एस० एम०' मात्र एक निश्चित अवधि के लिए ही विपक्ष के नेता रहे थे, फिर भी सभी उनका सम्मान करते थे और विरोधी दलों द्वारा प्रत्येक मामले पर उनसे परामर्श किया जाता था। इस प्रकार विधायक के रूप में अपने पहले ही कार्यकाल में, उन्होंने स्वयं को एक प्रभावी संसदविद् सिद्ध कर दिया। इस अवधि में उन्होंने मुम्बई राज्य के मराठी भाषी लोगों के लिए एक पृथक राज्य बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू कर दिया था।

जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने एक भाषीय महाराष्ट्र राज्य की व्यवस्था नहीं की, तो मुम्बई में हिंसक आन्दोलन हुए जिसमें पुलिस द्वारा गोलियां चलाये जाने से कम से कम 50 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। इसके विरोधस्वरूप श्री जोशी ने विधान सभा में अपनी सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और एक अलग महाराष्ट्र राज्य की स्थापना पर जोर देने के लिए नवगठित संयुक्त महाराष्ट्र संघर्ष समिति, जोकि पृथक महाराष्ट्र राज्य की मांग मनवाने हेतु एक सर्वदलीय संगठन था, के महासचिव बन गये थे और 1960 में राज्य की स्थापना होने तक इस आन्दोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने समिति को एक परिपक्व और कुशल नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने इस आन्दोलन को कभी भी भाषाई हिंसा का रूप नहीं लेने दिया। एक बार उन्होंने एक पुलिस अधिकारी को एक हिंसक उग्र भीड़ से बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी। जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने प्रतापगढ़ का दौरा किया था तो 'एस० एम०' ने एक अनोखे और शालीन प्रदर्शन का नेतृत्व किया था जिसकी स्वयं पंडित नेहरू सहित सभी ने प्रशंसा की थी।

महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के साथ ही 'एस० एम०' एक लोकप्रिय नेता बन गये। लेकिन वह इस व्यापक समर्थन का उपयोग कोई राजनीतिक अथवा चुनावी लाभ उठाने के लिए नहीं करना चाहते थे। उनकी संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने 1957 के आम चुनावों में काफी सीटें जीती थीं। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के बाद, कुछ मामलों पर मतभेद होने के कारण, उन्होंने स्वयं को समिति से अलग कर लिया। उनके सभी कार्यों में निष्काम कर्म करने की सुन्दर परम्परा प्रतिबिम्बित होती है।

1962 में जब तीसरा आम चुनाव हुआ, तो उन्होंने पुनः चुनाव लड़ा परन्तु जीत न सके। तथापि, उसी वर्ष उन्हें पुणे नगर निगम का 'कारपोरेटर' चुना गया था। 1967 में हुए चौथे आम चुनाव में जोशी ने चुनाव लड़ा और संयुक्त समाजवादी दल के उम्मीदवार के रूप में पुणे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए। इस अवधि में उन्होंने अपने दल द्वारा संचालित "लैंड ग्रैब" आन्दोलन (जमीन हथियाओ आन्दोलन) में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा बिहार में अपनी गिरफ्तारी दी थी।

लोक सभा सदस्य के रूप में 'एस० एम०' ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता, कृषकों और श्रमिकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों आदि के अधिकारों से संबंधित विभिन्न मामलों पर सरल एवं स्पष्ट भाषा में अपने विचार प्रस्तुत किये। उनकी दलीलें प्रभावी और सशक्त होती थीं तथा विषयसंगत होती थीं। जोशी जी पूर्णरूप से लोकतंत्र में विश्वास करते थे और राजनीति सहित जीवन के हर क्षेत्र में नैतिक मानदंडों की आवश्यकता पर बल देते थे। दल-बदल को वह देश में जीवन में पतन का सूचक समझते थे और मानते थे कि इसे मात्र कानून बनाकर ठीक नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दल-बदल की इस बुराई का विश्लेषण करने में जोशी जी कितने खरे थे यह इस तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि काफी प्रयासों के पश्चात् संसद ने 1985 में दल-बदल विरोधी कानून पारित कर ही दिया।

'एस० एम०' विविधता में एकता—जो भारत में सच्चे अर्थों में प्रतिबिम्बित होती है—की सदियों पुरानी कहावत में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने भावनात्मक एकता पर बल दिया। लोक सभा में जम्मू और कश्मीर के दर्जे *संबंधी प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने कहा था:

> "....हमारे संविधान की एक विशेषता यह है कि हम द्विविधता में एकता देखते हैं। जब हमने लोकतांत्रिक प्रणाली को अपना लिया है तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग पहचान है। उसकी अपनी आत्मा होती है परन्तु हमारे समूचे देश की आत्मा एक है। उसे अपनी आत्मा को देश की आत्मा में समाहित करना होगा"।

भारतीय समाजवादी आन्दोलन के प्रणेता के रूप में

'एस० एम०', आचार-व्यवहार में मौलिक रूप से कर्मवादी और मानवता के प्रति आदर्शवादी थे। यद्यपि वह मार्क्सवाद से अति प्रभावित थे परन्तु वह सदैव समस्याओं के हल अपने तरीकों से निकाला करते थे। 'एस० एम०' ने अपने यथार्थ जीवन में भी समाजवाद को अपनाया था और समाजवाद उनके लिए मात्र एक बौद्धिक धारणा नहीं थी। उन्होंने मनोयोग से इसे अपनाया था और वे इस बात से सहमत थे कि शोषितों की दशा सुधारने के लिए समाजवाद ही एक प्रभावी उपाय है। इसके लिए उन्होंने समाजवाद के उत्तम सिद्धान्तों को आत्मसात किया और गांधी दर्शन में निहित मानवतावाद के आदर्श मूल्यों को उनमें समाहित किया था। 'एस० एम०' में शायद इन दोनों के विवेकपूर्ण सम्मिश्रण के कारण ही अनेक लोग उन्हें "समाजवादियों में गांधीवादी और गांधीवादियों में समाजवादी" कहकर सम्मानित करते थे। जैसा पहले उल्लेख किया गया है कि अनेक दूसरे व्यक्तियों की भाँति वे भी शुरू में "इंडियन नेशनल कांग्रेस" की ओर

---

*लो०स०वा०वि० 6 दिसम्बर, 1968, का० 259-266

आकर्षित हुए थे लेकिन शीघ्र ही उन्होंने जयप्रकाश नारायण, डा० राम मनोहर लोहिया, एन०जी० गोरे, युसुफ मेहरअली और अन्य लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस के अन्दर ही कांग्रेस समाजवादी दल का गठन किया था ताकि स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक सकारात्मक एवं उग्र दिशा प्रदान की जा सके।

'एस०एम०' अभी जेल में ही थे जब कांग्रेस में समाजवादियों का यह दल पुणे में मिला और उसने युवकों में जोश पैदा करने और देशभक्ति की भावना जगाने के लिए **राष्ट्र सेवा दल** नामक एक स्वयंसेवी संगठन प्रारम्भ किया। सन् 1940 में उनकी रिहाई के तुरन्त बाद 'एस०एम०' से इसका अध्यक्ष बनने का अनुरोध किया गया। उनके नेतृत्व में छात्रों और युवकों को धर्मनिरपेक्ष और रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करके संगठन को एक नया मोड़ दिया गया। यह आंदोलन इतना शक्तिशाली बन गया कि सन् 1947 में, सतारा, महाराष्ट्र में लगभग 50,000 स्वयं सेवकों ने इसकी रैली में भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया; लेकिन जोशी जी के प्रयत्नों से इसे हटा दिया गया।

सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति से 'एस०एप०' का बरसों पुराना एक स्वप्न साकार हुआ। तथापि, युवा विद्रोहियों और समाजवादियों के सामाजिक-आर्थिक नीति को लेकर सरकार से मतभेद था। अप्रैल, 1948 में नासिक में आयोजित अपने सम्मेलन में, समाजवादियों ने समाजवादी पार्टी (एस०पी०) बनाने के लिए कांग्रेस से अलग होने का निर्णय किया। 'एस०एम०' इसके महाराष्ट्र यूनिट के चेयरमैन बने। समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में उन्होंने जनता के दुखों को समझा और जाना। उन्होंने, **राष्ट्र सेवा दल** की एक टुकड़ी के साथ गांवों में **श्रमदान** किया और जब महाराष्ट्र में भारी अकाल पड़ा तो उन्होंने राहत कार्यों में पूरे तन-मन से भाग लिया।

'एस०एम०' समान दृष्टिकोण वाले दलों की एकता में विश्वास करते थे। उन्होंने **समाजवादी पार्टी** और **किसान मजदूर प्रजा पार्टी** (के एम पी पार्टी) के विलय का समर्थन किया था जिसका नाम बदलकर **प्रजा सोशलिस्ट पार्टी** रखा गया। यद्यपि, पी०एस०पी० में बाद में विभाजन हो गया क्योंकि डा० राम मनोहर लोहिया, विचारधाराओं में मतभेद होने के कारण अपने समर्थकों के साथ पार्टी छोड़ गए।

सन् 1962 में, चीन के आक्रमण के बाद 'एस०एम०' ने पी०एस०पी० के एक नेता के रूप में अपने समर्थकों से बलिदान के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। इसके साथ-साथ उन्होंने देश में समाजवादी आंदोलन को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे जनता को एक नई आशा और विकल्प मिलेगा और उनका सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन होगा जिससे उन्हें विदेशी आक्रमण और आंतरिक फूट का

सामना करने में भी सहायता मिलेगी। सन् 1963 में पी०एस०पी० ने अपने भोपाल सत्र में राजनीतिक कार्रवाई की इस लड़ाकू सोच का समर्थन किया और एस०एम० से पार्टी का सभापति बनने का आग्रह किया।

पी०एस०पी० के सभापति के रूप में, 'एस०एम०' ने देश में सभी समाजवादी ताकतों को एकजुट करने के अनथक प्रयास किए। अशोक मेहता सहित नेतृत्व से मतभेद रखने वाले कुछ सदस्य पार्टी छोड़ गए। लम्बी और खलबलीपूर्ण बातचीत के बाद जून, 1964 में **संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी** (एस०एस०पी०) का गठन किया गया। एक बार फिर 'एस०एम०' इसके सभापति बने और सन् 1969 तक वह इस पद पर बने रहे। उन्होंने पूरे देश का व्यापक दौरा किया।

जयप्रकाश नारायण तथा अन्य के साथ-साथ 'एस०एम०' भी, सन् 1977 में जनता पार्टी के निर्माताओं में से एक थे, और बाद के वर्षों में उन्होंने महाराष्ट्र में पी०डी०एफ० मंत्रिमंडल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 'एस०एम०' को ठीक ही भारतीय समाजवादी आन्दोलन के निर्माताओं में से एक माना जाता था।

सामाजिक और आर्थिक असमानता के विरुद्ध योद्धा के रूप में

सार्वजनिक टैंकों से पानी लेने और मंदिरों में प्रवेश करने आदि के लिए अछूतों को नागरिक अधिकार दिलवाने के डा० अम्बेडकर के सत्याग्रह के तरीके से 'एस०एम०' बहुत प्रभावित थे। सन् 1929 में, 'एस०एम०' जोकि **यूथ लीग** के सचिव थे ने इन वर्गों के पुणे में **पार्वती** मंदिर में प्रवेश करने के अधिकार को स्थापित करने के लिए सत्याग्रह किया था। 3000 से ज्यादा कट्टरपंथी हिन्दुओं ने 25 **सत्याग्रहियों** का रास्ता रोका और उन्हें वापस धकेल दिया। कुछ दिन बाद, उच्च जाति के हिन्दुओं द्वारा आयोजित एक जनसभा में श्री जोशी को पीटा गया क्योंकि उन्होंने अस्पृश्यता की अमानवीय प्रथा पर आपत्ति की थी। तथापि, ये बाधाएं दृढ़निश्चयी 'एस०एम०' को अधिकारविहीन लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने से नहीं रोक सकीं। जब कभी भी उनकी जानकारी में अन्याय की कोई घटना आती थी तो वह क्रोधित हो उठते थे तथा हमेशा व्यथित लोगों की रक्षा के लिए आगे आते थे। समाज के वंचित व्यक्तियों के लिए उनके हृदय में अनुकम्पा तथा मानवता की भावना स्पष्टतः परिलक्षित होती थी।

सन् 1936 में, 'एस०एम०' ने लोगों में स्वतंत्रता का संदेश फैलाने के लिए गांवों का दौरा किया। इस अभियान से उन्हें सामान्य रूप से लोगों की तथा विशेष रूप से किसानों और कामगार वर्गों की समस्याओं को जानने के और अवसर प्राप्त हुए और उन्होंने अपने जीवन के बाद के वर्ष इन लोगों की दशा सुधारने में व्यतीत किए। यहां तक कि जब सन् 1937 में कांग्रेस की सरकार थी, 'एस०एम०' ने **किसानों** के एक मोर्चे का नेतृत्व

किया और एक प्रगतिशील और किसान-समर्थक काश्तकारी विधान की मांग की। बाद में वे भूदान आंदोलन से बहुत आकर्षित हुए। उन्हें यह दृढ़ विश्वास था कि केवल भूदान आंदोलन ही गांवों में किसानों के जीवन में बदलाव ला सकता है और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन कर सकता है। उनके नेतृत्व में ही महाराष्ट्र में भूदान का कार्य किया गया था।

ट्रेड यूनियन नेता के रूप में

एस०एम० जोशी, व्यथित और शोषितों के अधिकारों के लिए जुझारु योद्धा और अग्रदूत रहे हैं। यह स्पष्ट ही था कि औद्योगिक कामगारों की समस्याएं और उनका कल्याण उनकी चिंता के विषय बने। उन्होंने अनथक रूप से उनके लिए कार्य किया और उनके प्रति होने वाले अन्याय के विरुद्ध अपने ही तरीके से लड़े। इस के साथ-साथ उनके मस्तिष्क और हृदय में राष्ट्र के हित और समृद्धि की बात सर्वोपरि थी।

'एस०एम०' ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि कामगारों के पास अधिकार और कर्तव्य दोनों ही होने चाहिए। उनके विचार से सभी उद्योग सुचारू रूप से चल सकेंगे। और राष्ट्र प्रगति कर सकेगा। जब सन् 1961 में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल करने की धमकी दी तो 'एस० एम०' ने इसका समर्थन नहीं किया। लेकिन जब सरकार ने महंगाई भत्ते से संबंधित उनकी कम से कम मांग को पूरा करने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने स्वयं हड़ताल का नेतृत्व किया।

एक सच्चे ट्रेड यूनियन नेता होने के नाते रक्षा मंत्रालय के आयुद्ध कारखानों के कामगारों को उनकी सलाह थी कि वे सरकार के सामने अपनी मांगें रखें लेकिन इसके साथ-साथ वे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन के लिए कार्य करें।

वह सरकारी क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण और बड़े संगठनों के भी नेता थे। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, महासचिव, अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी संघ; चेयरमैन, अखिल भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी महासंघ और चेयरमैन, राज्य परिवहन कामगार सभा।

एक देशभक्त के रूप में

यद्यपि कुछ लोगों ने—संभवतः संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन में उनकी भूमिका को देखते हुए—यह समझा कि श्री जोशी एक संकीर्ण उद्देश्य के लिए संघर्षरत एक क्षेत्रीय नेता थे, उनके विषय में यह कहना कोई पूरी तरह निष्पक्ष बात नहीं थी। निस्संदेह 'एस० एम०' एक अप्रतिम राष्ट्रभक्त थे।

स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ने के दिन से उम्र ढलने तक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने के कारण, 'एस० एम०' ने कामगारों, दलितों, महिलाओं और कृषकों आदि के अनेक आन्दोलनों का नेतृत्व और संचालन किया तथा देश की एकता और अखण्डता से संबंध रखने

वाले प्रत्येक विषय में गहन रुचि दिखाई। वह साम्प्रदायिक एकता के भी जबरदस्त हिमायती थे।

1967 में एक संसद सदस्य के रूप में 'एस० एम०' ने नागा समस्या के अध्ययन और समाधान के लिए नागालैंड की यात्रा की। पुनः 1979 में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आदेश पर इस मुद्दे पर नागा नेता ए० जेड० फिजो से चर्चा करने के लिए उन्होंने लंदन की यात्रा की। इस प्रकार उन्होंने, अपने तरीके से, नागा समस्या के पूर्ण समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

'एस० एम०' ने गोआ मुक्ति समिति के संगठन में अग्रणी भूमिका निभाई जबकि उनके निकटतम सहयोगी श्री एन०जी० गोरे, गोआ मुक्ति संग्राम में अग्रणी रहे। जब देश 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात कठिन दौर से गुजर रहा था, तो विपक्ष में रहते हुए भी 'एस० एम०' ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अन्य नेताओं के साथ सरकार को पूर्ण समर्थन दिया और मातृभूमि के हित के लिए अपने अनुयायियों से और बड़े बलिदान के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। राष्ट्र और इसके निर्धन, व्यथित, वंचित और साधनहीन नर-नारियों के प्रति उनकी चिन्ता उन्हें भारत का सबसे अलग, विशिष्ट, सच्चा और योग्य सपूत सिद्ध करती है। देश को समर्पित उनकी सेवाओं को देखते हुए 1964 में 60 वर्ष का होने पर उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया। उस अवसर पर उनकी निःस्वार्थ सेवा की प्रशस्ति में विभिन्न मुद्दों पर उनके चुने हुए विचारों तथा भाषणों पर दो पुस्तकें प्रकाशित की गई।

एक लेखक के रूप में

एक प्रभावशाली और प्रखर वक्ता होने के साथ ही 'एस० एम०' एक जाने माने लेखक भी थे। अपने बाल्यकाल से ही उन्हें लिखने का शौक था। उन्होंने अपने छात्र जीवन के दौरान "किर्लोस्कर" के लिए अनेक उच्च साहित्यिक श्रेष्ठता वाले लेख लिखे।

उन्होंने 1930 में कुछ समय के लिए **फ्री प्रेस जर्नल** के संवाददाता के रूप में कार्य किया। वह विधान सभा की कार्यवाही के बारे में लिखा करते थे जो उस समय पुणे कौंसिल हॉल में हुआ करती थी। वह कुछ समय के लिए एक अंग्रेजी दैनिक "**पूना डेली न्यूज**" और 1958 से 1962 तक (मुंबई से प्रकाशित एक मराठी दैनिक) **लोक मित्र** के सम्पादक भी थे। उन्होंने विभिन्न मराठी पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के लिए समाजवाद पर उच्चस्तर के अनेक लेख लिखे। वह "**सोशलिस्ट्स वेस्ट फार राइट पाथ**" नामक एक पुस्तक के लेखक थे और मराठी में उनकी आत्मकथा "मी-एस०एम०" 1984 में प्रकाशित हुई थी। मराठी में

एक दूसरी पुस्तक "**आणखी वेगली माणसी**" का विमोचन उनके आजीवन साथी श्री एन०जी० गोरे ने 'एस० एम०' के स्वर्गवास के केवल एक दिन पूर्व ही किया था।

श्रद्धांजलियां

पद्दलितों और साधन-विहीनों की सेवा में घटनाओं और क्रिया-कलापों से परिपूर्ण साठ वर्ष के लम्बे जीवनकाल का अन्त हड्डी के कैंसर के कारण 84 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 1 अप्रैल, 1989 को पुणे में हुआ। 'एस० एम०' वास्तव में सेवा, त्याग सादगी और समर्पण के प्रतीक थे। यद्यपि छः दशकों की अपनी अनथक सेवा के दौरान 'एस० एम०' ने कोई सार्वजनिक पद ग्रहण नहीं किया। फिर भी, राष्ट्र और लोगों के प्रति जिनके हृदय में उन्होंने अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया, उनकी अनुपम और निःस्वार्थ सेवा को ध्यान में रखते हुए 'एस० एम०' को राजकीय सम्मान के साथ अन्तिम विदाई दी गई।

भारत के इस महान सपूत के दुखद निधन पर राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडलों, प्रेस और जीवन के सभी क्षेत्रों के नेताओं सहित सम्पूर्ण राष्ट्र ने शोक व्यक्त किया।

राष्ट्रपति श्री आर० वेंकटरमन ने श्री एस० एम० जोशी के बहुआयामी व्यक्तित्व का गुणगान करते हुए कहाः

> "श्री जोशी सादा जीवन और उच्च विचार के सिद्धान्त के मूर्तरूप थे। वह समाजवादियों के बीच गांधीवादी और गांधीवादियों के बीच समाजवादी थे। स्वस्थ ट्रेड यूनियन आन्दोलन के लिए उनके योगदान को लोग बहुत दिनों तक याद करेंगे।"

उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति, डा० शंकर दयाल शर्मा ने राज्य सभा में दिवंगत आत्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा*:

> "श्री श्रीधर महादेव जोशी, जो देश के, विशेष रूप से महाराष्ट्र के स्वतंत्रतापूर्व के गांधीवादी युग और स्वातन्त्रयोत्तर राजनीति के, बीच एक दीप्तिमान कड़ी थे, के देहावसान से एक युग का अन्त हो गया.....श्री जोशी के निधन से राष्ट्र ने एक देशभक्त, एक गांधीवादी और एक समाजवादी खो दिया।"

---

*राज्य सभा वाद-विवाद, 3 अप्रैल, 1989, स्तम्भ 1-2

तत्कालीन प्रधान मंत्री स्व० श्री राजीव गांधी ने श्री जोशी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहाः

"श्री जोशी के निधन से हमने एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी खो दिया है जिसने अपना जीवन निर्धनों और दलितों के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया.....श्री जोशी एक उत्कट देशभक्त थे जिनकी देश की उन्नति और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को बहुत दिनों तक याद किया जाएगा।"

तत्कालीन लोक सभा अध्यक्ष डा० बलराम जाखड़ ने श्री जोशी क्रो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा*:

"श्री जोशी का मूल्य आधारित राजनीति में दृढ़ विश्वास था। सामाजिक न्याय के निर्भीक योद्धा, श्री जोशी ने साधन-विहीन और दलितों के हित का अनथक समर्थन किया। उन्होंने देश में एक स्वस्थ ट्रेड यूनियन आन्दोलन के उद्भव में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान दिया।"

---

*लोक सभा वाद-विवाद, 3 अप्रैल, 1989, स्तम्भ 1

परामर्श के स्रोत

पुस्तकें:

1. सेन, एस०पी० (संपा०) डिक्शनरी आफ नेशनल बायोग्राफीज, खण्ड-दो, कलकत्ता इंस्टीट्यूट आफ हिस्टोरीकल स्टडीज, 1973.
2. एस० एम० जोशी गौरव ग्रंथ, 1964.
3. सदस्य परिचय, चौथी लोक सभा, 1967.

समाचार पत्र:

1. दि इंडियन एक्सप्रेस (नई दिल्ली) 2 अप्रैल, 1989
2. दि टाइम्स ऑफ इंडिया (नई दिल्ली) 2 अप्रैल, 1989
3. दि स्टेट्समैन (नई दिल्ली) 2 अप्रैल, 1989
4. दि फ्री प्रेस जर्नल (मुम्बई) 2 अप्रैल, 1989
5. दि नेशनल हेराल्ड (नई दिल्ली) 2 अप्रैल, 1989

वाद-विवाद:

लोक सभा वाद-विवाद
राज्य सभा वाद-विवाद

भाग दो

लेख

2

'एस०एम०' — एक श्रद्धांजलि

—रवि राय*

एस०एम० जोशी को भारतवासी एक महान राजनीतिक कार्यकर्ता और समाजवादी सिद्धान्तकार के रूप में सदैव याद रखेंगे। वह सभी के प्रेमास्पद थे, जीवन के उच्च आदर्शों से परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व विलक्षण था। आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओतप्रोत उनकी मानवतावादी प्रवृत्ति ने उन्हें बहुत ही लोकप्रिय समाजवादी नेता एवं महान चिन्तक बना दिया था। एक राजनैतिक क्रांतिकारी के रूप में, जैसाकि वह अपने दोस्तों तथा प्रशंसकों के बीच जाने जाते थे, 'एस०एम०' जीवन पर्यन्त दलितों के हितों के लिए लड़ते रहे। वैसे तो उनका जीवन कई आन्दोलनों से जुड़ा था किन्तु वास्तव में वह भारत में समाजवादी आन्दोलन के प्रतीक थे। श्री जयप्रकाश नारायण ने एक बार कहा था:

> 'एस०एम०' की महानता उनकी गहन मानवीय प्रवृत्ति जीवन के मूल्यों के प्रति उनके गहरे लगाव, उनकी पूर्ण ईमानदारी तथा सादगी और गरीबों तथा दलितों के साथ उनकी सहज अंतरंगता में निहित है। ऐसे व्यक्ति के साथ परिचय होना अपने आप में परम सौभाग्य और प्रसन्नता की बात है।

'एस०एम०' ने श्री जयप्रकाश नारायण, डा० राम मनोहर लोहिया, डा० सम्पूर्णानन्द, यूसुफ मेहरअली, श्री अशोक मेहता और आचार्य नरेन्द्र देव के साथ मिलकर 1934 में 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' की स्थापना की थी। महाराष्ट्र के एक प्रख्यात राजनैतिक चिन्तक आचार्य जावेदकर के राजनैतिक दर्शन के अनुयायी बनने से पहले 'एस०एम०' मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास करते थे। उन्होंने मार्क्सवादी दर्शन की सीमाओं को महसूस किया और इस बात की वकालत की कि मार्क्स की उग्रता के साथ गांधी के साधनों की पवित्रता के सिद्धान्त का समन्वय होना चाहिए। उनके शब्दों में "यह याद रखना चाहिए कि गांधीवादी तरीके में 'शनैः-शनैः' होने का भाव अन्तर्निहित है, किन्तु सही दिशा में 'उग्र' शुरूआत करना समय की मांग है।

---

*श्री रवि राय, संसद सदस्य और भूतपूर्व लोक सभा अध्यक्ष हैं।

'एस०एम०' केवल पक्के समाजवादी ही नहीं अपितु एक ईमानदार राजनैतिक नेता, एक पक्के राष्ट्रवादी, एक समर्पित श्रमिक संघवादी तथा इन सबसे ऊपर एक सिद्धान्तवादी भी थे। वह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा मानवतावाद के महान आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध थे। ऐसे बहु-आयामी व्यक्तित्व के मिजाज, कार्य-प्रणाली तथा संदेश का स्मरण करना वास्तव में सौभाग्य की बात है।

मुझे 'एस०एम०' को एक कामरेड के रूप में व्यक्तिगत रूप से जानने का सौभाग्य प्राप्त था। उनके प्रेरणादायक नेतृत्व में युवाओं के एक क्रांतिकारी संगठन "राष्ट्र सेवा दल" ने समाजवादी आन्दोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1935 के बाद सुसंगठित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने में यह कामयाब रहा। 'एस०एम०' 1940 में राष्ट्र सेवा दल के अध्यक्ष बने और उसके पश्चात् यह संगठन अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि तथा रचनात्मक दृष्टिकोण के कारण बहुत ही लोकप्रिय बन गया था। अप्रैल, 1948 में नासिक सम्मेलन में जब समाजवादियों ने कांग्रेस से अलग होने तथा सोशलिस्ट पार्टी बनाने का फैसला किया तो 'एस०एम०' नई पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष बने। 1963-64 में 'एस०एम०' प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए और 1964 में एस०एस०पी० के अध्यक्ष चुने गए तथा 1967 में संसद सदस्य बने।

संसद सदस्य के रूप में 'एस०एम०' जन नेता के रूप में बहुत लोकप्रिय हुए। राष्ट्रपति के अभिभाषण, महाराष्ट्र में भूमि सुधार आन्दोलन, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक, 1967 तथा 1969 में उसमें संशोधन करने वाले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते समय 'एस०एम०' ने बार-बार कहा कि इनके माध्यम से सरकार को "निरंकुश", स्वेच्छाचारी तथा तानाशाही शक्तियां प्रदान की गई हैं। वह लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ समझौता करने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते थे। वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति सरकार के रवैये की कटु आलोचना किया करते थे।

'एस०एम०' संसदीय लोकतंत्र शुरू करके एक ऐसी श्रेष्ठ प्रणाली विकसित हुई देखना चाहते थे जो पूर्णतः यह सुनिश्चित कर सके कि राजनैतिक सत्ता वास्तव में जनता के हाथ में चली गई है। वह गांधीजी के कथन में विश्वास करते थे, संसद वास्तव में वन्ध्या होती

है। मैं यह नहीं मानता कि भारत में इसका स्वरूप बदलेगा। हां, मैं आशा करता हूं कि हमारी संसद वन्ध्या ही बनी रहेगी और कम से कम दुष्ट पुत्र को तो जन्म नहीं देगी। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कई तरीके सुझा रहा हूं कि संसद की आवाज वास्तव में जनता की आवाज ही बनी रहे और वह भाड़े के मतदाताओं की आवाज न बन जाए। हम एक ऐसी प्रणाली की खोज में हैं जो भारत के लिए अधिक से अधिक लाभप्रद हो। यह भी उल्लेखनीय है कि 'एस०एम०' लोकतंत्र को और अधिक वास्तविक बनाना चाहते थे ताकि देश का कामकाज चलाने में प्रत्येक व्यक्ति प्रभावी भूमिका निभा सके। वह नहीं चाहते कि संसद एक औपचारिक संस्था मात्र बनकर रह जाए। इस संदर्भ में मुझे यह बात याद आ रही है जो गांधी जी ने लोकतंत्र के प्रति अपने दृष्टिकोण के बारे में सी०एफ० एण्ड्रयूज को 1918 में लिखी थी। उन्होंने लिखा था, "मैं किसी सरकार में विश्वास नहीं रखता परन्तु संसदीय सरकार शायद मनमौजी शासन से बेहतर है।" 'एस०एम०' बहुत ही विनम्र तथा सरल व्यक्ति थे। उनकी सादगी, उनके मधुर व्यवहार और उनकी हाजिर जवाबी एवं विनोदी स्वभाव ने और लोगों की उन तक आसान पहुंच ने उन्हें सभी वर्गों के लोगों में प्रिय बना दिया।

'एस०एम०' एन०जी० गौरे, डा० राममनोहर लोहिया, यूसुफ मेहरअली, अशोक मेहता तथा अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं के बहुत निकट थे। जयप्रकाश नारायण ने उन्हें 'कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी' के सहयोगियों में अपना सबसे पुराना तथा निकटतम सहयोगी बताया है। संसद में वाद-विवाद के दौरान उनके सुस्पष्ट विचारों को सुनकर अन्य राजनैतिक दलों के सदस्य भी उनके निकट आ गए थे।

एक सामाजिक कार्यकर्त्ता के रूप में 'एस०एम०' कई संगठनों से जुड़े हुए थे तथा भूमिहीन और छोटे किसानों की एक ऐसी सुदृढ़ और शक्तिशाली संस्था बनाने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया जो सरकार को समाज के इस निर्धनतम वर्ग को रोजगार तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए बाध्य कर सके। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि इस तरह की गारन्टी इन अभागे लोगों की, जिन्हें वर्तमान सामाजिक-आर्थिक ढांचे में सदैव दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया है, सौदा करने की ताकत बढ़ाने में काफी सहायक होगी। उन्होंने जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष का नेतृत्व किया था।

मेरे विचार से साम्प्रदायिकता हमारे सामाजिक-राजनीतिक ढांचे में एक कैंसर के फोड़े की तरह है और ऐसी राजनीतिक प्रणालियां जिनका सुदृढ़ संस्थागत आधार नहीं है,

हमारी राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक अंतःक्रियाओं को अनिवार्यतः प्रभावित करेंगी और इससे निकट भविष्य में समता पर आधारित प्रगति अवरुद्ध होगी। मुझे याद है कि अल्पसंख्यकों की समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान खोजने की दृष्टि से 'एस०एम०' ने जोर-शोर से इस बात का समर्थन किया था कि विभिन्न राजनैतिक पार्टियों में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ स्थापित किए जाएं, जो सामाजिक सुधारों तथा आर्थिक विकास, दोनों ही क्षेत्रों में उनके कष्टों का निवारण करने हेतु कार्यक्रमों तथा नीतियों का कार्यान्वयन करें।

'एस०एम०' स्वयं एक संस्था थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। पूर्णिया जिले के कृषि श्रमिकों के हितों का संरक्षण करने के उनके तरीके तथा मानव मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, भारतीय परम्पराओं के प्रति उनके सम्मान तथा महिलाओं के प्रति उनकी प्रतिष्ठा तथा सम्मान की भावना ने उन्हें विद्वानों की श्रेणी में अमर बना दिया। जन साधारण में उनका दृढ़ विश्वास था और इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। एक बार उन्होंने कहा था:

> "संघर्ष की रेखा खींची जा रही है और जो प्रजातांत्रिक प्रणालियों तथा गांधीवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, उन्हें उन वायदों को पूरा करने के लिए दलितों तथा भूखी जनता का साथ देना होगा जो लोक सभा चुनावों के पूर्व पार्टी के ऐतिहासिक घोषणा पत्र में उन्हें दिए गए थे। कार्य कठिन है और बाधाएं बहुत अधिक हैं परन्तु इस दिशा में प्रयास मात्र ही उन लोगों के लिए पुरस्कार से कम नहीं होगा जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में विश्वास करते हैं।"

देश में समाजवादी विचारधारा के प्रसार में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया। उनकी बुद्धि विश्लेषणात्मक थी और इसीलिए उन्होंने समकालीन मुद्दों की उनकी ऐतिहासिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्या की। वास्तव में वह समाजवाद के महान समर्थक थे। मैं उनके कार्यों, उनके उदार और निष्पक्ष दृष्टिकोण से सदैव प्रभावित हुआ हूं। मई, 1983 में स्थिति का मौके पर अध्ययन करने हेतु 'एस०एम०' ने असम का दौरा किया और वहां लोगों से अपील करते हुआ कहा :—

> "यह देखकर खेद हुआ कि असम में एक परित्यक्त बच्चे जैसी भावना पैदा हो गई है। असमवासी सोचते हैं कि देश में उनकी कोई भी परवाह नहीं करता है। इस भावना ने उनके मन में सभी राजनैतिक दलों के प्रति उदासीनता पैदा कर दी है"

उन्होंने आगे कहा :—

> "सदियों से असम एक ऐसा आदर्श स्थान रहा है जहां विभिन्न समुदाय के लोग तथा भिन्न-भिन्न भाषाएं सौहार्द्र तथा सांस्कृतिक एकता के वातावरण में साथ-साथ रहे हैं, जिसे अब बुरी तरह से खंडित कर दिया गया है। समय अब तेजी से गुजर रहा है। स्थिति काफी जटिल तथा निराशाजनक है। तथापि, हमारा विश्वास है कि यदि सभी राजनैतिक दल तथा सम्बन्धित संगठन असम के लोगों तथा पूरे देश के बेहतर हितों को ध्यान में रखते हुए एक व्यावहारिक समाधान निकालने का निर्णय करे और इस उद्देश्य हेतु असम तथा पूरे देश में जनमत तैयार करने के लिए निकल पड़े तो स्थिति को अब भी सुधारा जा सकता है।

मेरे विचार से यह अपील आज भी समूचे राष्ट्र के लिए उतनी ही सार्थक है।

उन्होंने सदैव राजनीति को अध्यात्म से जोड़ना चाहा और राष्ट्रीय एकीकरण के सभी मुद्दों पर गैर-पार्टी दृष्टिकोण अपनाया। उनका जीवन सिद्धान्त तथा व्यवहार का पूर्ण समन्वय था जो अपने आप में प्रशंसनीय बात है। पुणे के नजदीक हाडपसर में एक रैली में उन्होंने प्रो० जी०पी० प्रधान से कहा था :

> "प्रधान, आप लोग अध्ययन केन्द्र चलाते हैं और उपदेश देते हैं। आप अपने हाथों से कोई भी कार्य, विशेष रूप से अरुचिकर कार्य कभी नहीं करते। मैं चाहता हूं कि आप और आपके दोस्त यहां कच्चे शौचालयों को साफ रखने का कार्य करें।"

'एस०एम०' भाषाई राज्यों के सिद्धान्त के पक्षधर थे। उनका विकेन्द्रीकृत लोकतंत्र में पक्का विश्वास था। उन्होंने महाराष्ट्र तथा पंजाब राज्यों के भाषाई आधार पर निर्माण का समर्थन किया था और नागालैण्ड के मामले में भी फिजो से बातचीत करने लन्दन गए थे। सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए न्याय हेतु संघर्ष में वह सदैव अग्रणी रहे।

डा० राममनोहर लोहिया ने जिस एकीकृत विचारधारा तथा दृष्टिकोण का बार-बार उल्लेख किया, उसमें 'एस०एम०' का दृढ़ विश्वास था और वह इस बात से सहमत थे कि समाजवाद तथा समाजवादियों को कट्टर मार्क्सवाद के प्रभाव से मुक्त होना

चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवादी दर्शन की रूढ़िवाद तथा साम्यवाद से तुलना करते हुए डा० लोहिया ने कहा :

> "विचित्र बात है कि जहां समाजवाद के विरोध की बात आती है वहां रूढ़िवाद और साम्यवाद एक हो जाते हैं। रूढ़िवाद समाजवाद को अपना लोकतांत्रिक प्रतिद्वंद्वी मानता है और साम्यवाद के सफल विद्रोह की बात से ही डरता है। साम्यवाद एक रूढ़िवादी सरकार को पसन्द करता है तथा समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने से अत्यधिक डरता है क्योंकि इससे साम्यवादी विद्रोह के अवसर कम हो जाते हैं।"

उन्होंने 1965 में वाराणसी सम्मेलन में वर्षों तक साथ रहे अपने घनिष्ठ और विश्वासपात्र मित्रों तथा एस०एस०पी० वालों से अलग होने का निर्णय किया। उनके इस निर्णय से स्पष्ट है कि वह इस सिद्धान्त के पक्के समर्थक थे कि सदैव लोकतांत्रिक समाजवाद के लिए संघर्ष में आगे रहने का दावा करने वाले राजनैतिक दल को लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करना चाहिए। उन्हें पूरा भरोसा था कि नेहरू के बाद के भारत के राजनैतिक इतिहास के नाजुक दौर में एस०एस०पी० का नेतृत्व डा० लोहिया सफलतापूर्वक करेंगे। 1967 में 'एस०एम०' का आकलन सही सिद्ध हुआ जब कांग्रेस कई राज्यों में पराजित हुई और लोक सभा में उनका बहुमत काफी कम हो गया।

समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए 'एस०एम०' ने कई आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अपने विनोदी स्वभाव को कभी नहीं त्यागा। गम्भीर रूप से बीमार होने की स्थिति में भी उन्होंने टिप्पणी की थी, "ओह, ऐसा प्रतीत होता है कि स्थाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोई उग्रवादी मेरे शरीर में घुस गया है।"

1930 में पहली बार वह तथाकथित अछूतों के लिए पार्वती मन्दिर को खोलने के लिए हुए आन्दोलन में शामिल हुए और इसके बाद तो 'एस०एम०' ऐसे ही कई अन्य आन्दोलनों से जुड़ गए थे। उनके प्रेरणादायक नेतृत्व में श्रमिक संघों ने अपनी वैचारिक भूमिकाओं की समीक्षा की और वैचारिक वाद-विवाद के केन्द्र बन गए।

भारत में समाजवादी आन्दोलन को नयी दिशा देने का श्रेय 'एस०एम०' को जाता है। समाजवाद के लिए समाजवादियों में 'एस०एम०' से ज्यादा कष्ट शायद किसी ने भी नहीं सहे। जातिवाद, साम्प्रदायिकता तथा क्षेत्रीयवाद की सीमाओं से ऊपर उठ जाने के कारण उनका दृष्टिकोण सार्वभौमिक बन गया था और वह वास्तव में एक विश्व नागरिक बन गए थे। 'एस०एम०' की स्मृति में सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि यह होगी कि हम उनके विचारों एवं दर्शन को विश्वासपूर्वक स्वीकार कर लें और समाज के सर्वाधिक शोषित वर्गों के लिए उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को पूरा करें।

3

'एस०एम०'—एक राजनैतिक ऋषि

—शरद पवार*

'एस०एम०' स्वतंत्रतापूर्व तथा स्वतंत्रता पश्चात् की पीढ़ियों के बीच एक मुख्य कड़ी थे। वह सेवा और बलिदान की उन प्रवृत्तियों तथा मूल्यों, जिन्होंने गांधीयुग में स्वाधीनता संघर्ष को प्रेरित किया, की सतत् याद दिलाने वाले थे। उनमें मानवता कूटकूट कर भरी थी। वह पूर्वतया निर्भीक तथा निश्छल थे। उनके हृदय में विद्वेष अथवा घृणा का कोई स्थान नहीं था। वह वर्तमान समाज की अपेक्षा अधिक मानवतापूर्ण समाज का सृजन करने के लिए वचनबद्ध थे और इसी दृढ़ वचनबद्धता ने उन्हें अन्तिम समय तक एक सामाजिक कार्यकर्ता बनाए रखा।

उन्होंने विचारधारा की अपेक्षा आदर्शवाद को अधिक महत्व दिया और व्यापक सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के प्रति उनका मानवीय दृष्टिकोण था। चूंकि ये समस्याएं राजनैतिक समाधान की अपेक्षा रखती थीं, अतः वह राजनीति में शामिल हो गए।

'एस०एम०' निस्सन्देह एक समाजवादी थे, परन्तु वह हठधर्मिता में विश्वास नहीं रखते थे। समाजवाद में उन्होंने मानवीय तथा नैतिक मूल्यों, जिन्हें वह बहुत प्यार करते थे, तथा दलितों और शोषितों के लिए अपनी चिन्ता तथा करूणा की छवि देखी। परन्तु नैतिक मूल्यों के प्रति इस लगाव ने उनको गांधीजी के उपदेशों और सामूहिक कार्यवाही की तकनीकों के प्रति भी उतना ही आकर्षित किया—अधिकतर इसलिए भी आकर्षित किया कि गांधीजी साधनों की शुद्धता तथा सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह पर बल देते थे। इसके परिणामस्वरूप 'एस०एम०' "समाजवादियों के बीच एक गांधीवादी और गांधीवादियों के बीच एक समाजवादी" माने जाने लगे।

'एस०एम०' महाराष्ट्र विधान सभा के लिए दो बार 1952 और 1957 में तथा लोक सभा के लिए 1967 में चुने गए। यद्यपि वह संसदीय लोकतंत्र में पक्का विश्वास रखते थे, फिर भी वह परम्परागत ढांचे के सांसद नहीं थे। उन्होंने राजनीति को केवल चुनावी कार्यकलाप तथा संसदीय वाद-विवाद की दृष्टि से नहीं देखा। निस्सन्देह, उन्होंने संसदीय

*श्री शरद पवार केन्द्रीय रक्षा मंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य मंत्री हैं।

तथा विधान सभा वाद-विवादों में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनकी बात को हमेशा सादर और ध्यानपूर्वक सुना जाता था। परन्तु उन्होंने देखा कि यद्यपि लोगों के विचार रखने के लिए संसद अथवा विधान सभा अपने आप में उपयोगी है, किन्तु कार्यपालिका को लोगों की इच्छा के प्रति जवाबदेह बनाने में वास्तव में यह प्रभावी साधन नहीं है। इसलिए, उन्होंने लोगों की मांगों को उठाने में विधान मंडल को मंच बनाया जबकि साथ-साथ लोगों की ताकत गढ़ने के लिए उनहोंने बाहर जन आन्दोलन आयोजित किए। उन्होंने महसूस किया कि केवल ऐसी दोहरी रणनीति ही लोगों की गहन भावनाओं और आकांक्षाओं की ओर सरकार का ध्यान दिला सकती है।

विधान सभा में वह अपनी स्पष्टवादी एवं सीधी आलोचना के लिए जाने जाते थे। जब कभी उन्होंने महसूस किया कि सरकार की नीतियां या कार्य गलत हैं, तो उन्होंने सरकार की कटु आलोचना की। परन्तु उनके भाषण विद्वेषता तथा तुच्छ दलगत विचारों से विहीन थे तथा उन्होंने सभा की प्रतिष्ठा तथा इसके सदस्यों के अधिकारों की सोत्साह रक्षा की। उन्होंने 1952 में राज्य विधान सभा के सदस्यों पर असंयमित आक्रमण करने के लिए "टाइम्स आफ इंडिया" के विरुद्ध तथा 1957 में "प्रभात" (पुणे) के सम्पादक, यद्यपि वह उनके मित्र तथा 'संयुक्त महाराष्ट्र समिति' में उनके सहयोगी थे, के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया।

तथापि, वह रचनात्मक विपक्ष में विश्वास करते थे। 1960 में शोलापुर की नरसिंग गीरजी मिल्स बन्द कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप लगभग पांच हजार श्रमिक बेरोजगार हो गए। 'एस०एम०' ने इस मुद्दे को विधान सभा में उठाया तथा उनकी पहल पर महाराष्ट्र सरकार ने मिल को पुनः चालू करने के लिए एक नए प्रबन्ध मंडल का गठन किया जिसके 'एस०एम०' भी सदस्य थे। मिल ने शीघ्र ही पासा पलट दिया और लाभ कमाने लगी। उसके बाद के वर्षों में रुग्ण मिलों को पुनः चालू करने की सरकार द्वारा प्रायोजित योजना की शुरूआत इसी प्रयोग से हुई।

राज्य विधान सभा में उनकी सदस्यता की अवधि में 'संयुक्त महाराष्ट्र' के लिए जन आन्दोलन हावी रहा। 'एस०एम०' लोकतंत्र में अपने विश्वास के कारण भाषाई राज्यों के गठन के पक्के समर्थक थे। विधान सभा में इस मुद्दे का समर्थन करने के अतिरिक्त, उन्होंने 'संयुक्त महाराष्ट्र' आन्दोलन का नेतृत्व किया तथा वह संयुक्त महाराष्ट्र समिति के महासचिव चुन लिए गए। बहरहाल उन्होंने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि लोगों का आन्दोलन शान्त रहे। यह मुख्य रूप से उनके सकारात्मक नेतृत्व का ही परिणाम था कि यह लम्बा तथा सतत् संघर्ष भाषाई हिंसा में बदल सका तथा बम्बई और अन्य स्थानों पर विभिन्न भाषाई समूहों के बीच सौहार्द कायम रहा। आन्दोलन

के दौरान भीड़ के गुस्से से एक पुलिस अधिकारी को बचाने के लिए 'एस०एम०' ने अपना जीवन तक दांव पर लगा दिया।

यद्यपि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के पक्ष का कड़ा विरोध किया, फिर भी वह जानते थे कि महाराष्ट्र में कांग्रेसी 'संयुक्त महाराष्ट्र' के मुद्दे पर उनकी भावनाओं से सहमत थे। 1957 के आम चुनाव में समिति की विश्वासोत्पादक सफलता के बाद भी उन्होंने द्विभाषी बम्बई राज्य के श्री वाई०बी० चव्हाण के मुख्य मंत्री बनने पर कोई रुकावट पैदा नहीं की। नवम्बर, 1958 में जब पंडित नेहरू छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण करने प्रतापगढ़ गए, तो मराठी भाषी लोगों की भावना की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए 'समिति' ने अभूतपूर्व, आन्दोलन किया। कई लोगों द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के बावजूद 'एस०एम०' ने विश्वासपूर्वक लोगों का नेतृत्व किया तथा आन्दोलनों के शान्त और शानदार तरीके ने उनको प्रशंसा का पात्र बनाया और पंडित जी पर एक गहरी छाप छोड़ी।

यद्यपि 'एस०एम०' समिति के नेता और महासचिव थे, फिर भी उनके मन में यह बात स्पष्ट थी कि समिति का लक्ष्य 'संयुक्त महाराष्ट्र' को प्राप्त करना है न कि सत्ता हथियाना। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि यदि 'समिति' विधान सभा के लिए आम चुनाव में जीत जाती है तो भी 'संयुक्त महाराष्ट्र' का लक्ष्य प्राप्त होते ही वह सत्ता से त्यागपत्र दे देगी। जैसाकि समिति के अन्य घटक इसे कांग्रेस का राजनीतिक विकल्प बनाना चाहते थे, महाराष्ट्र राज्य बनते ही उन्होंने 'समिति' को छोड़ दिया। यद्यपि तदन्तर क्षेत्र के लोगों की भावनाओं के आधार पर वह महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए अपने प्रयास करते रहे। इस प्रकार, उन्होंने सत्ता कभी नहीं चाही और उनके लिए यह लक्ष्य भी नहीं रहा।

इस प्रकार, 'एस०एम०' का जीवन अन्याय के विरुद्ध निरन्तर संघर्ष और रचनात्मक कार्य में सतत् लिप्त रहने का आख्यान था। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् तीन बार की नजरबंदी सहित अपने जीवन काल में सात बार से भी अधिक कैद अथवा नजरबन्दी की सजा भुगती। वह श्रमिक संघों के क्षेत्र में सक्रिय रहे और उन्होंने श्रमिकों की हड़तालों तथा संघर्षों का नेतृत्व किया। परन्तु वह हमेशा यह मानते थे कि उनके श्रमिक संघ संबंधी कार्यकलाप उनके कुछ उच्च आदर्शों तथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक लक्ष्यों के अनुसरण का हिस्सा थे। इस क्षेत्र में उन्होंने गांधीवादी मार्ग का अनुसरण किया और वह तुच्छ लाभ या स्वार्थपरता के लिए अपने सिद्धान्तों के साथ समझौता करने को तैयार नहीं थे।

'राष्ट्र सेवा दल' का विकास उनका एक प्रमुख योगदान था तथा इसके प्रमुख के रूप में उन्होंने इसके प्रारम्भिक वर्षों में इसका पोषण किया। युवाओं के मन में धर्मनिरपेक्ष

लोकतंत्र के मूल्यों को भरने और गांधीवादी रचनात्मक कार्य—जिसे वह सामाजिक-राजनैतिक प्रगति तथा सौहार्द के लिए मुख्य पूर्वापेक्षा मानते थे—संबंधी चिन्ता के कारण उन्होंने दल को एक रचनात्मक स्वैच्छिक बल के रूप में बनाने के लिए अपने प्रयासों पर ध्यान केन्द्रित किया। कुछ वर्षों में ही दल ने प्रतिभाशाली और समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं के जत्थे तैयार कर लिये थे जिन्होंने महाराष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक जीवन को सम्पन्न बनाया है। उनमें से कई अभी तक रचनात्मक सामाजिक कार्य की उत्कृष्ट परम्परा को जारी रखे हुए हैं और सेवा दल में प्रशिक्षण के दौरान आत्मसात किए गए मूल्यों के प्रति समर्पण पर कायम हैं।

'संयुक्त महाराष्ट्र' आन्दोलन के अलावा 'एस०एम०' ने गोवा मुक्ति संघर्ष का नेतृत्व किया, 'भूदान' आन्दोलन में तथा बिहार में भूमि 'सत्याग्रह' में भाग लिया। उन्होंने नागालैंड समस्या के समाधान हेतु किए गए प्रयासों में भी भाग लिया जब वह संसद सदस्य थे उस समय स्थिति का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करने 1967 में नागालैंड गए तथा फिर 1979 में श्री जयप्रकाश नारायण के कहने पर श्री फिजो से बातचीत करने लन्दन गए। इन वार्ताओं से भारत सरकार तथा नागा विद्रोहियों के बीच समझौते में काफी योगदान मिला।

'एस०एम०' ने सदैव साम्प्रदायिक सद्भाव तथा सामाजिक समानता के लिए प्रयास किया और इन प्रयासों में अपने जीवन को भी खतरे में डाल दिया। परन्तु वह कभी पीछे नहीं हटे। 1978 में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के पुनः नामकरण के मुद्दे पर हुए साम्प्रदायिक दंगों में हिन्दुओं के गुस्से का साहसपूर्ण सामना करते हुए उन्होंने मराठवाड़ा का व्यापक दौरा किया और यहां तक कि एक स्थान पर 'चप्पलों' की माला से उनका स्वागत किया गया। परन्तु वह 'दलितों' के जीवन की रक्षा करने तथा विरोधियों को विश्वविद्यालय के पुनःनामकरण के निर्णय को स्वीकार करने की बात मनवाने के अपने मिशन पर अड़े रहे। इसके परिणामस्वरूप वही युवक, जिसने उन्हें 'चप्पलों' की माला पहनाई थी, बाद में उनसे मिलने आया, उनके पैर छुए और यह बात स्वीकार की कि अब उसमें बदलाव आ गया और वह उनके निर्णय का समर्थक बन गया है।

पिछली शताब्दी में न्यायमूर्ति एम०जी० रानाडे ने अपने एक समकालीन को "राजनैतिक ऋषि" की संज्ञा दी थी। मैं यह अनुभव करता हूं कि हाल के समय में 'एस०एम०' एक ऐसे राजनैतिक ऋषि थे जो हमारे सार्वजनिक जीवन में एक नैतिक तथा सुधारक सिद्ध हुए। उन्होंने उन सदाचार के झरनों को कभी सूखने नहीं दिया जिन्होंने उन्हें अभिप्रेरित किया था। वह हार से कभी हताश नहीं हुए तथा अपनी आत्मा की आवाज सुनकर हमेशा अपने प्रिय उद्देश्य हेतु कार्य करने में प्रयत्नशील रहे।

4

'एस० एम०' को विदाई

—प्रो० मधु दण्डवते*

"पतझड़ के मौसम में फुरसत के कुछ ऐसे एकाकी क्षण आएंगे जब आपको अपनी याद्दाश्त के किसी कोने में मेरे अस्तित्व की धुंधली सी तस्वीर नज़र आएगी।"

—रवीन्द्र नाथ ठाकुर

गहन अनुभव और वचनबद्धता से परिपूर्ण जीवन एक अच्छी बात है। परन्तु जब असाध्य रोग की असह्य पीड़ा धीरे-धीरे इसका स्थान लेने लगे और जीवन का प्रत्येक क्षण कष्टकर बन जाए, तो मृत्यु ही जीवन के लिए वरदान सिद्ध होती है। ऐसा ही वरदान प्राप्त कर श्री एस०एम० जोशी 1 अप्रैल, 1989 को संसार से विदा हो गए।

जब मैंने उनकी अन्तिम यात्रा के दौरान उनके पार्थिव शरीर पर फूलों की भरमार होते और अन्ततः विद्युत शव दाह गृह में उनका दाह संस्कार होते देखा, तब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि उनके शरीर पर फूल क्यों चढ़ाए गए? वह तो जीवन भर किसी फूल के समान प्रफुल्लित रहे। उनका दाह संस्कार क्यों किया गया? अपने पूरे जीवन में वह एक शमा की भांति जलते रहे।

श्री 'एस०एम०' का जीवन सक्रिय था जिससे प्रत्येक काल, जिसमें उन्होंने अपना जीवन जिया और कार्य किया, की प्रेरणा और भावना की अभिव्यक्ति होती थी। उनकी राजनैतिक विचारधारा प्रारम्भ में लोकमान्य तिलक के उग्र राष्ट्रवाद से प्रभावित हुई और विकसित हुई। तत्पश्चात् 'एस०एम०' ने महात्मा गांधी के राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आन्दोलन और संस्थागत रचनात्मक कार्य के माध्यम से चलाए गए जन जागरण कार्यक्रमों में भाग लिया और बुद्ध तथा गांधी की करुण भावना ने उन्हें प्रभावित किया और धीरे-धीरे मानवतावादी प्रकृति ने उनकी समाजवादी धारणाओं में अभिवृद्धि की।

---

* प्रो० मधु दण्डवते भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री हैं।

1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य के रूप में समाजवादी आन्दोलन के प्रारम्भिक चरण में 'एस० एम०' की विचारधारा कार्ल मार्क्स से प्रभावित हुई। परन्तु तदोपरान्त, अपनी संवेदनशीलता और मानवता की पुकार के कारण वह गांधीजी के साथ हो लिए। यहां उनकी जयप्रकाश नारायण के साथ निकटता बढ़ गयी जिन्होंने अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत कट्टर मार्क्सवादी के रूप में की थी और भलाई के लिए नए प्रोत्साहनों की खोज में गांधीजी के प्रति आकर्षित हुए। यूसुफ मेहरअली के समान 'एस० एम०' जीवन में निर्दयता और कुरूपता से घृणा करते थे इसलिए उनकी समाजवादी विचारधारा में मेहरअली के समान इसकी नैतिक और कलात्मक जड़ें विद्यमान रहीं। इसलिए साने गुरूजी के जीवन और सन्देश ने 'एस०एम०' के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला।

'एस०एम०' के साहस और हिम्मत की भावना 1942 के भूमिगत आन्दोलन के नेता के रूप में उनकी गतिशील भूमिका में दिखाई देती थी। उन्होंने प्रत्येक आन्दोलन में चाहे वह किसानों का आन्दोलन हो अथवा श्रमिकों या 'आदिवासियों' अथवा 'दलितों' या महिलाओं का, भाग लिया। 'संयुक्त महाराष्ट्र' आन्दोलन में 'एस०एम०' की दोहरी भूमिका थी। एक, महाराष्ट्र को भाषायी राज्य बनाने के लिए आन्दोलन को तेज करना। दूसरे, विभिन्न भाषायी समूहों के बीच कटुता और घृणा से बचने के लिए मानवतावादी आवश्यकता के अनुकूल आन्दोलन में परिवर्तन करना। यदि 'एस०एम०' लोकतान्त्रिक समाजवाद के प्रति अपनी दृढ़ वचनबद्धता के कारण संयुक्त महाराष्ट्र के प्रतीक थे तो वह "समता" और "ममता" के समानार्थी भी थे।

यदि एक ओर उन पर आजीवन निरन्तर रूप से महात्मा गांधी, आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण और साने गुरूजी के जीवन की मानवतावादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा, तो दूसरी ओर वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों जैसे समाज के पिछड़े और दलित वर्गों के लिए सामाजिक समानता और प्राथमिकता का अवसर प्रदान करने के लिए डा० राम मनोहर लोहिया की भावना से भी प्रभावित हुए।

अनेक राजनैतिक नेताओं को उनकी शानदार राजनैतिक उपलब्धियों के लिए गुलदस्ते प्राप्त हुए परन्तु 'दलितों' के प्रति अन्याय के विरुद्ध अपने संघर्ष में 'एस०एम०' को सामाजिक रूढ़िवादियों की 'चप्पलों' की माला प्राप्त हुई। तथापि, उन्होंने इन 'चप्पलों' को ऐसे चमकदार आभूषण में परिवर्तित कर दिया जिससे सामाजिक विद्रोहियों को सजाया जाता है।

1975 के आपातकाल के दुर्दिनों में जे०पी० और 'एस०एम०' के बीच पुनः निकटता बढ़ गयी। आपातकालीन स्थिति के दौरान 'एस०एम०' ने जे०पी० के नेतृत्व में "द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम" के माध्यम से स्वतंत्रता की ज्योति को प्रज्ज्वलित करने का भरसक प्रयास किया। आपातकाल 1977 में समाप्त हुआ। यह जे०पी० और 'एस०एम०' के जीवन का सबसे अच्छा समय था। तथापि, जनता पार्टी के विभाजन का समय उनके लिये समान रूप से कष्टकर था। जे०पी० ने बड़े दुःख के साथ कहा था, "बगीचा उजड़ गया।" 'एस०एम०' ने इसे "बड़ा विश्वासघात" बताया। तथापि, नये सिरे से एकीकरण के सूत्र एकजुट होते समय उन्हें आशा की एक नयी झलक दिखायी दी। ऐसे महत्वपूर्ण समय पर जब दृढ़ नैतिक ताकत की आवश्यकता थी, देश ने 'एस०एम०' को खो दिया।

परन्तु इसे नैतिक मूल्यों और सिद्धान्तों के क्षेत्र में नुकसान नहीं समझा जाना चाहिए, जिसका उन्होंने जीवनपर्यन्त समर्थन किया। मृत्यु के बाद भी 'एस०एम०' जैसे व्यक्ति उन नैतिक मूल्यों के द्वारा जीवित रहेंगे जिनका उन्होंने समाज में उपदेश दिया।

'एस०एम०' हमारे बीच नहीं रहे हैं, 'एस०एम०' अमर रहे।

5

एस० एम० जोशी: एक महान देशभक्त

—सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी*

स्वर्गीय श्री एस०एम० जोशी को देश में सांसद की अपेक्षा एक समाजवादी नेता के रूप में अधिक जाना जाता था। वह समाजवादी आन्दोलन के सुविख्यात वरिष्ठ नेता थे।

यद्यपि विधानमण्डलों में वह काफी लम्बे समय तक रहे, तथापि संसद में वह केवल एक ही कार्यकाल की अल्पावधि (चौथी लोक सभा) के लिए आये। उस समय मैं लोक सभा में समाजवादी ग्रुप का नेता था। यह ग्रुप एस०एस०पी० और पी०एस०पी० में बंटा हुआ था। मैं पी०एस०पी० ग्रुप का नेता था लेकिन इस पूरी अवधि में हम सभी लोगों ने मिलकर कार्य किया। एस०एम० जोशी ने एक वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते इन दोनों ग्रुपों के बीच समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वह मुख्य रूप से मजदूर संघ और राजनीतिक नेता थे। इसलिए उन्होंने मजदूर संघ संबंधी और राजनीतिक मुद्दों में ही रुचि दिखाई। उन्हीं पर बोले और अधिकांशतः उनके संबंध में ही प्रश्न पूछे। यद्यपि उन्होंने लोक सभा वाद-विवाद में अधिक भाग नहीं लिया तथापि यह एक सच्चाई है कि वह जब भी बोले और उन्होंने जो भी कहा लोगों ने उसे बड़ी तन्मयता से सुना और संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों ने भी उस ओर पूरे आदर के साथ ध्यान दिया। उनकी ईमानदारी और मामले को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत करने का उनका ढंग न केवल सरकार पर अपितु पूरे सदन में एक अमिट छाप छोड़ता था।

हमारे मित्र जोशी, जिन्हें प्यार से 'एस०एम०' कहा जाता था। न केवल समाजवादी आन्दोलन के बल्कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आन्दोलन के भी एक अनुभवी नेता थे। अपने लम्बे राजनीतिक जीवन में वह महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और जवाहर लाल नेहरू

* श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं।

के व्यक्तिगत सम्पर्क में आये थे। उन्होंने देश के राजनीतिक जीवन में अपने लिए एक स्थान बनाया था और एक समय तो ऐसा आया जब वे समूचे महाराष्ट्र राज्य के प्रवक्ता माने जाते थे। इसका कारण यह था कि उन्होंने अत्यधिक साहस और उत्साह के साथ 'संयुक्त महाराष्ट्र समिति' आन्दोलन का नेतृत्व किया और आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त की तथा अपने लिए सम्मान अर्जित किया। महाराष्ट्र में उन्हें जनता का मसीहा माना जाता था। एक प्रकार से यह कहा जा सकता है कि वह आधुनिक महाराष्ट्र राज्य के निर्माताओं में से एक थे।

श्रमिक आन्दोलन, जिसमें वह काफी पहले शामिल हो गए थे, के अलावा वह भारतीय समाजवादी आन्दोलन के संस्थापकों में से एक थे। हमने इस आन्दोलन में 30 वर्ष से भी अधिक समय तक एक साथ कार्य किया। उन्हें आचार्य नरेन्द्र देव और जयप्रकाश नारायण जैसे महान समाजवादी नेताओं के समकक्ष रखा जा सकता है। जयप्रकाश नारायण उनमें अत्यधिक विश्वास रखते थे और वह जीवनपर्यन्त जयप्रकाश नारायण के विश्वस्त अनुयायी रहे। जयप्रकाश नारायण ने जन कल्याण हेतु उन सभी न्यासों और अन्य संगठनों का कार्यभार उन्हें सौंप रखा था जिनसे जयप्रकाश नारायण स्वयं सम्बद्ध थे।

एस० एम० जोशी बड़ी ही स्नेही और मिलनसार व्यक्ति थे। उनकी सरलता और निष्ठा ने बहुत से लोगों को आकृष्ट किया और उन्होंने जो भी कार्य हाथ में लिया उसे सफलतापूर्वक सम्पन्न किया। उनके सांस्कृतिक कार्य-कलापों ने न केवल समाजवादी दल को अपितु देश के समस्त युवकों को प्रभावित किया। वह 'राष्ट्र सेवा दल' के संस्थापकों में से एक थे और मैं समझता हूं कि महाराष्ट्र के सार्वजनिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जनहित की भावना रखने वाले नवयुवक तैयार करने में उनका योगदान लोगों की मधुर स्मृति में सदैव रहेगा। उन्होंने न केवल गांधी जी की उदात्त भावनाओं को अपने मन में धारण किया बल्कि उनके जीवन और कार्यों में भी गांधीवादी आदर्श समग्र रूप से परिलक्षित होते हैं।

चूंकि उनका पूरा समय और शक्ति देशहित में समर्पित थे, अतः उन्होंने अपनी कोई सम्पत्ति नहीं बनाई और उनके पास जीवन के अन्तिम समय में कैंसर जैसी भयानक बीमारी के उपचारार्थ पर्याप्त धन तक नहीं था। मृत्यु के पूर्व उन्हें बहुत दुःख सहना पड़ा परन्तु उपचार के दौरान देशभर में फैले उनके मित्रों और प्रशंसकों ने उन्हें यथासंभव आराम पहुंचाने के लिए उनके साथ सहानुभूति व्यक्त की और पर्याप्त सहायता दी। उनकी रुग्णावस्था में जो साथी उनके साथ थे, उन्होंने मुझे बताया कि अर्ध-चेतनावस्था में भी वह मातृभूमि के बारे में कुछ-कुछ बड़बड़ाते रहते थे। उनके निधन से हमने एक महान नेता और सच्चा मित्र तथा देश ने एक महान ईमानदार एवं निष्ठावान सपूत खो दिया।

6

'एस० एम०' : जैसा मैंने समझा

—मधु लिमये*

सन् 1937 का साल आधुनिक भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष के आरम्भ में सन् 1935 के भारत अधिनियम के तहत प्रांतीय विधान सभा के चुनाव हुए। मद्रास, संयुक्त प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश), बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बंबई प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, दो-तीन स्थानों की कमी रह गई थी। परंतु दो-तीन निर्दलीय सदस्यों को अपनी तरफ खींचना कांग्रेस के बाएं हाथ का खेल था। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में कांग्रेस को पचास में से उन्नीस स्थान प्राप्त हुए थे। वहां अन्य गुटों का समर्थन कांग्रेस ने हासिल कर लिया। आगे चलकर असम में भी उसने अन्य दलों से हाथ मिलाया। इस तरह आठ प्रांतों में कांग्रेस के नेतृत्व में मंत्रिमंडल बन गया। लोग कांग्रेस को एक नई उदीयमान शक्ति के रूप में देखने लगे। जनता में एक नये उत्साह का संचार हुआ। किसान तथा कामगार आंदोलनों का उफान सा आ गया। वामपंथियों के काम भी जोर पकड़ने लगे।

मेरे जीवन में भी सन् 1937 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। उससे पहले के तीन-चार साल मैंने जी भर के पढ़ाई की। पुणे का नगर वाचनालय मेरा कायम मुकाम था। शुरू में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में मेरी विशेष रुचि हुआ करती थी। इटली-अबिसीनिया युद्ध, हिटलर द्वारा राइनलैंड पर फौजी कब्जा, जापान का चीन पर बढ़ता हुआ आक्रमण आदि घटनाओं में मेरा मन रम जाता था। लेकिन सन् 1937 के चुनाव की हलचलों ने मुझे अंदरूनी राजनीति की ओर आकर्षित किया। पुणे की विधान सभा सीट के लिए लोकशाही स्वराज्य पक्ष (हिन्दू महासभा एवं केसरी गुट) और कांग्रेस के बीच डटकर मुकाबला हुआ। उस जमाने में कांग्रेस नेता के रूप में जेधे,

*श्री मधु लिमये भूतपूर्व संसद सदस्य हैं।

गाडगिल, देव के नाम जोर-शोर से तत्कालीन अखबारों की सुर्खियों में होते थे। पुणे की चुनाव सभाओं में जेधे-गाडगिल के दो-एक भाषण मैंने भी सुने थे। कभी-कभी एस०एम० जोशी, ना०ग० गोरे, रघुनाथ राव खाडिलकर, के०एन० फड़के, गो०पा० खरे जैसे वामपंथी नवजवान नेताओं के नाम भी सुनने को मिलते थे। 'लोकशाही स्वराज पक्ष' एवं हिन्दुत्व निष्ठावादियों की हार पर राष्ट्रवादियों को विशेष खुशी हुई थी। इसका सही वर्णन किया गया था—सदाशिव पेठी (कट्टरपंथी ब्राह्मणी) संस्कृति पर बहुजन-समाज की विजय।

सेन् 1937 के मध्य में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद फर्ग्युसन कालेज में दाखिल हो गया। उसके कुछ ही दिनों बाद कांग्रेस सत्तारूढ़ हुई थी। जनता की आशा-अपेक्षाएं काफी बढ़ गई थीं। युवजनों में राजबंदियों की रिहाई के संबंध में विशेष उत्सुकता थी। सन् 1927 से 1932 तक के समय का यूथ लीग अब नष्ट प्रायः हो चुकी थी। सन् 1936 में जेल से मुक्त होने के बाद एस०एम० ने एक प्रांतीय युवक परिषद् संगठित करने में अगुवाई की थी, तथापि यूथ लीग को पुनर्जीवित नही किया जा सका। युवजन छात्रों ने प्रखर साम्राज्यशाही विहीन एवं राष्ट्रीयता पर आधारित "आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन" नामक एक नई संस्था का गठन किया था। आज यह जानकर बहुत सारे लोगों को आश्चर्य होगा कि इस संगठन का उद्घाटन पाकिस्तान के निर्माता मुहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 1937 के मध्य में कांग्रेस द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता के कार्यान्वयन का प्रयोग शुरू होने तक जिन्ना साहब के सामने भारत की एकता का ही चित्र था और इसलिए राष्ट्रीय एकता एवं स्वतंत्रता प्रखर प्रचारक संगठन की सभा में भाग लेने में उन्हें लेशमात्र संकोच नहीं हुआ था।

स्टूडेंट्स फेडरेशन में लगभग वामपंथियों का ही दबदबा है। किंतु सभी वामपंथी एक साथ नहीं थे। उसमें तीन गुट थे—एक राष्ट्रवादी गुट, दूसरा कांग्रेस समाजवादी गुट और तीसरा कम्युनिस्ट गुट। इन तीनों गुटों में बहुत अधिक स्पर्धा रहा करती थी। लेकिन प्रखर राष्ट्रीयता एवं साम्राज्यवाद-विरोध जैसे मुद्दों पर उनमें पूर्ण एकमत था। अंडमान राजबंदियों का मुक्ति दिवस 1937 की बरसात में मनाया गया था। अभी भी मुझे वह दिन याद आता है। उस दिन हमारे कालेज में हड़ताल हुई थी और शाम में शनिवार बाडा चौराहे पर आम सभा हुई थी। वे अपने मित्र अरविंद टिपणिस के साथ उस सभा में उपस्थित था। भाऊ फाटक नामक एक युवक कम्यूनिस्ट ने बड़ा यादगार भाषण किया, लेकिन हमारे लिए विशेष यादगार बना एस०एम० जोशी का भाषण। अगर वैसे देखा जाए तो उनके भाषण में ज्वाला नहीं थी, शब्दों का धाराप्रवाह नहीं था, उसमें कोई अलंकार भी नहीं था, लेकिन वह ईमानदारी तथा आस्था में ओतप्रोत था। लगता था कि अन्तःकरण की आवाज हो। उसका मेरे किशोर मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आरम्भ में ही उनके प्रति वो अनुकूल राय

बनी, आजीवन वह नहीं बदली। अन्य नेताओं की तुलना में उनकी सच्चाई ही उनकी विशेषता है।

कॉलेज के प्रथम वर्ष में एक तरह से मैं राजनीति के किनारे पर खड़ा था। प्रत्यक्ष राजनीति में मैं सक्रिय नहीं था। ऐसा नहीं कि कभी छात्र आंदोलनकारी थे, या राष्ट्रीय भावना से उस समय ओतप्रोत थे। आज की तरह ही उस समय भी उन्हें खेलकूद, सिनेमा आदि के प्रति विशेष आकर्षण हुआ करता था। अधिकतर छात्र अपने अध्ययन में ही व्यसत रहते थे। गिने चुने लोग आंदोलन में भाग लेते थे। मेरे शिक्षक, गोवर्धन पारीख थे। वे रायवादी थे। एक-दो छात्रों को कम्युनिस्टों से हमदर्दी थी। मैं तथा मेरे दो-तीन मित्र (अरविंद टिपणिस, मधु चापेकर) समाजवादी दल की ओर आकृष्ट थे। उसका एक कारण था। हमारे कालेज में श्री अच्युत पटवर्धन का प्रभावशाली भाषण हुआ था। विषय था—"क्षितिज पर युद्ध के बादल" सरल विषय से गूढ़ बनाने और अपने भाषण के बल पर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने के फन में अच्युतजी अजब के माहिर थे। फिर अगर मैं उनके अंग्रेजी भाषण से बहुत प्रभावित हुआ तो इसमें आश्चर्य क्यों? दूसरा कारण था अंडमान राजबंदी मुक्ति-दिन की सभा में 'एस. एम.' का भाषण। समाजवादी दल की ओर आकृष्ट होने के बाद भी मेरे मन में कभी यह बात नहीं आयी कि स्वयं पहल करके युवा नेताओं से परिचय करूं। इसका कारण था मेरा संकोची और शर्मीला स्वभाव।

राजनीति शास्त्र एवं इतिहास के मेरे प्राध्यापक एच. डी. केलावाला थे। एक तरह से उन्हीं की प्रेरणा से मैं एस.एम. जोशी जी के संपर्क में आया था। बात यह थी कि हमारे कालेज में हिस्ट्री एसोसिएशन था। वहां यह पद्धति थी कि उसकी गोष्ठियों में छात्र अपना निबंध पढ़ें। केलावालाजी मुझ पर बड़े मेहरबान थे। उनके आग्रह पर मैंने "ग्रीक-संस्कृति और आधुनिक पाश्चात्य समाज" विषय पर एक छोटा सा निबंध लिखा था। उसके लिए मैंने कॉलेज की लाइब्रेरी की बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। उस विषय का मुझे उतना ज्ञान नहीं था, मैंने अपने प्रबंध का अधिकतर तो उधार ही लिया था। फिर भी मेरे प्रबंध पर इतिहास विभाग के प्राध्यापकों को बड़ा कौतुक हुआ, उन लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। इससे प्रभावित होकर हमारे प्राध्यापक ने सन् 1935 के संविधान अधिनियम पर प्रबंध लिखने के लिए मुझे प्रेरित किया। विभिन्न विचारों के नेताओं से भेंट करने की सलाह दी। दरअसल इसी निमित्त हमने 'एस०एम०' से भेंट की थी। एक पत्र द्वारा हमने उन्हें सूचित किया कि अमुक दिन अमुक समय हम उनसे मिलने आ रहे है। उस पत्र पर हम तीनों के हस्ताक्षर थे।

नारायणपेठ में एक घर था। उसकी 'बरसाती' पर एक अलग कमरे में 'एस०एम०'

अकेले ही रहा करते थे। उस समय उनकी शादी ताराबाई जी से नहीं हुई थी। उनका कमरा ठीक वैसे ही था जैसे कालेज के छात्रावासों में छात्रों का होता है। सादा लेकिन पूरी तरह व्यवस्थित। एक खाट, एक टेबल, कुर्सी, टेबल पर कुछ किताबें और जवाहरलाल नेहरू की विचारमग्न प्रिय तस्वीर। पहली बार मैं 'एस०एम०' को इतने करीब से देख रहा था। उनका लंबा शरीर, दुबला-पतला गोरे-चिट्ट थे और आंखें भूरी थी। सर पर घने बाल बड़े सुचारू रूप में सवार हुए थे। मैंने उन्हें अपने आने का उद्देश्य बताया, लेकिन सन् 1935 के अधिनियम के संबंध में उन्होंने कुछ खास चर्चा नहीं की। अपने द्वारा उस पर लिखी एक टिप्पणी मुझे पढ़ने के लिए दी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, उनके पास पर्याप्त समय है। क्योंकि बहुत देर तक वे हमारे साथ बात करते रहे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की बात की और मजाकिया लहजे में यह भी बतलाया कि राय दिवस के उपलक्ष्य में बंबई की चौपाटी पर, एक सभा करने पर जिनमें रेड़ी चलाने वाले ही अधिकतर श्रोता थे उन्हें दो साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। उसी तरह "बी" क्लास इंकार करने और "सी" क्लास स्वीकार करने के कारण गिरे हुए स्वास्थ्य, जिन्दगी की आशा-निराशा, धूप-छांह आदि के संबंध में बहुत सी बातें कहते रहे।

उसके बाद कम से कम दो-तीन बार मैं अपने निबंध के सिलसिले में उनसे मिलने गया लेकिन संविधान अधिनियम पर कम ही चर्चा हुई। चर्चा का प्रमुख विषय होता था—स्वतंत्रता आंदोलन और समाजवाद। मुझे पहले से ही इस विषय में विशेष रुचि थी। एस०एम० से मुलाकात, उनके साथ बातचीत और खासकर उनके व्यक्तित्व ने मेरे मूल स्वभाव को सहेजने और विकसित करने का काम किया।

नए वर्ष के प्रारंभिक महीनों में मैं 'निबंध लेखन' तथा वार्षिक परीक्षा की तैयारी में जुटा रहा। अतः कई दिनों तक 'एस०एम०' के घर नहीं जा सका, लेकिन परीक्षा समाप्त होते ही मैं मुलाकात करने उनके घर गया। मैं चाहता था कि कांग्रेस समाजवादी दल के कामों, उसके बौद्धिक-वर्ग में भाग लूं। 'एस०एम०' के मन में भी यही बात थी, अतः मेरा झुकाव देखकर उनका हर्षित होना स्वाभाविक था। सन् 1938 के मार्च महीने की एक रात की घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। आज भी उस घटना की स्मृति उतनी ही ताजा है, जैसे वह घटना कल ही घटी है। पुणे में नारायणराव गोरे के छोटे बंगले में कांग्रेस समाजवादियों का एक अध्ययन मंडल हुआ करता था। उसमें सैद्धांतिक प्रश्नों तथा वर्तमान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा हुआ करती थी। उस समय "लोकशक्ति" नामक राष्ट्रवादी दैनिक में काम करने वाले तथा कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य श्री पी०बी० गाडगिल इस मंडल में विविध विषयों पर व्यासंगपूर्ण बौद्धिक लिया करते थे। उनका भाषण समाप्त होने के बाद वहां इकट्ठे हुए "छात्र" चर्चा करते, विभिन्न दृष्टिकोण से विषय की छानबीन करते। एक दिन

'एस०एम०' मुझे इस अध्ययन मंडल में साथ ले गए। हमारे पहुंचने में थोड़ी देर ही हुई थी। हमारे पा०बा०, हिटलर द्वारा आस्ट्रिया पर कब्जा करने में उत्पन्न अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तथा युद्ध की संभावना का विवेचन कर रहे थे। उनके भाषण के पश्चात् चर्चा हुई और अंत में 'एस०एम०'ने सभी लोगों से मेरा परिचय कराया। वहां के "छात्रों" में नारायण रावगोरे थे, उनकी पत्नी सुमति बाई थी, विनायक कुलकर्णी, माधव लिमये, गंगाधर ओगले, अण्णा माने आदि युवकों की मंडली थी। बंड् उर्फ केशव गोरे इस मंडल के सचिव थे। सन् 1937 से 1939 के बीच महाराष्ट्र में समाजवादी दल का स्वतंत्र रूप में कोई खास काम नहीं हुआ था। सतारा जिले के नाथ वाणेकर, पश्चिम खानदेश के नथूभाऊ पारोलेकर, पूर्व खानदेश के बसंत भागवत आदि लोग नाममात्र के कांग्रेस समाजवादी थे। दरअसल वे लोग कम्युनिस्ट बन चुके थे। शोलापुर, धुलिया, अमलनेर आदि कपड़ा उद्योग के केन्द्रों तथा रेलवे संगठनों पर कम्युनिस्टों का वर्चस्व था। महाराष्ट्र में जमींदारी प्रथा के अस्तित्व में नहीं होने के कारण किसान सभा जैसा स्वतंत्र वर्गीय किसान संगठन वहां जड़ नहीं पकड़ सका था। पुणे शहर में समाजवादियों के कार्य-क्षेत्र का स्वरूप मुख्यतः बौद्धिक था और वह भी युवा वर्ग तक ही सीमित था। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि शेष सारा काम कांग्रेस के मार्फत ही हुआ करता था।

सत्तारूढ़ होने के कारण कांग्रेस कमेटियों का कार्य विस्तृत हो गया था। कांग्रेस में नए-नए लोगों की भर्ती हो रही थी। सत्ता का जबरदस्त आकर्षण होता है। कांग्रेस के विस्तार के पीछे यह एक प्रमुख कारण था। सन् 1937-38 के दौरान शंकरराव मोरे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष और एस. एम. जोशी सचिव थे। प्रांतीय समाजवादी दल के भी वे सचिव थे। कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना के बाद 'एस. एम.' के नेतृत्व में किसानों का एक प्रदर्शन संगठित किया गया था। अकालग्रस्तों को लगान माफी, रैयतों का बेदखल न करना, किसानों के कर्जों का बोझ कम करना, सहकारी सोसाइटियों के जरिये कर्ज देना, आदि मांगे थी। जिला कांग्रेस कमेटी के पास आने वाले आवेदनों तथा पत्रों में ऐसी ही शिकायतों की भरमार हुआ करती थी। समाजवादी सर्कल में शामिल होने के बाद मैं भी शाम में शनिवार पेठ स्थित कांग्रेस कार्यालय में जाता था। धीरे-धीरे 'एस०एम०' अपने काम में मेरी मदद लेने लगे। पत्र-व्यवहार का काम मुझे समझाया। प्रांतीय कांग्रेस का दफ्तर भी वहीं था। अतः कांग्रेस नेताओं से मेरा अपने आप परिचय हो गया। उन्हें करीब से देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। जन्मजात जिज्ञासु होने के कारण मैं कांग्रेस नेताओं के आपसी संबंध, समाजवादियों के बारे में उनका दृष्टिकोण आदि बातों को बारीकी से देखा करता था। परंपरागत कांग्रेसी तथा गांधीवादी 'एस०एम०' के सरल, सात्विक स्वभाव के कारण उनसे निहायत खुश रहते थे। नाना साहब की दो टूक बातें, व्यंगात्मक चुभने वाली शैली कांग्रेसियों को अच्छी नहीं लगती थी। वामपंथियों में भी

'एस०एम०' के लिए आदर का भाव था। उस समय पुणे में ब्राह्मण विवाद चल रहा था। परन्तु 'एस०एम०' की दृष्टि की व्यापकता और बहुजन समाज तथा दलितों के प्रति सहानुभूति के झरने के कारण इन वर्गों में उनके प्रति आत्मीयता थी। शुरू से ही उनकी ये सारी विशेषताएं मेरे हृदय पटल पर अंकित हो गई थी। बाद में अपने जीवन में जो सारी जिम्मेदारियां 'एस०एम०' ने निभाई और उसे सफलतापूर्वक सम्पन्न किया, उनका रहस्य उनके व्यक्तित्व के इस पहलू में था।

इस तरह वे कांग्रेस का काम करते हुए समाजवादियों के अध्ययन मंडल आदि चलाया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एन्जेल्स के कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र तथा अर्थशास्त्र जैसे विषयों पर वे स्वयं क्लास लिया करते थे। हम युवकों की भरती हो जाने के कारण दल की बैठक भी कभी-कभी हो जाया करती थी। उसमें विविध प्रश्नों पर चर्चा हुआ करती थी। सन् 1938 सितंबर के मध्य में दल की ओर से फेडरेशन (सन् 1935 के विधान में 'फेडरेशन' का प्रावधान था। परंतु महायुद्ध छिड़ने के कारण उसका गठन नहीं हो सका) विरोधी दिन मनाया गया, शनिवार बाडा चौराहे पर आम सभा हुई। उसमें बम्बई से मीनू मसानी को आमंत्रित किया गया था। दल के सदस्यों के साथ उनकी अलग से चर्चा भी आयोजित की गई थी। दल का अलग से कोई दफ्तर तो था नहीं। इसीलिए इस तरह की बैठकें अधिकतर नाना साहब के घर अथवा शिरूभाऊ के कमरे में हुआ करती थी। वह कमरा कांग्रेस के प्रांतीय कार्यालय वाले भवन में ही था। दिसंबर 1938 में हम लोगों ने विद्यार्थी सप्ताह बड़े उत्साह के साथ मनाया। स्टूडेंट्स फेडरेशन की पुणे शाखा का चुनाव बड़े जोर-शोर से लड़ा गया। उस समय समाजवादी दल में बसंत तुलपुले थे। दल में इस विषय पर बड़ी गरमा-गरमी हो गई कि उन्हें दल में प्रवेश दिया जाये अथवा नहीं। कांग्रेस समाजवादी दल में घुसकर उसे कुरेद-कुरेद खोखला बनाने की कम्युनिस्ट नीति के हम युवजन कट्टर विरोधी थे। बसंत तुलपुले केडी० वाय०, जोशी (कम्युनिस्ट उम्मीदवार) को अपना वोट देने के कारण, माधव लिमये (कांग्रेस समाजवादी उम्मीदवार) मात्र एक वोट से चुनाव हार गए। उनकी इस दोहरी निष्ठा में बड़ी तकलीफ हुई।

इस कालखंड में विद्यार्थी आंदोलन के सामने सांप्रदायिकता बनाम राष्ट्रीयता, तोड़-जोड़ (समझौतावादी नीति) बनाम जुझारू राजनीति, आर्थिक कार्यक्रम बनाम सम्पत्ति अभिमुख प्रतिगामी विचार प्रणाली आदि महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करते थे। वामपंथियों में स्पर्धा तो थी किंतु साम्प्रदायिकता की समस्या पर हम सब एकमत थे। सावरकर को अंडमान से आने के बाद रत्नागिरी जिले तक सीमित रहने की सजा दी गई थी। सन् 1937 में वे मुक्तेश्वर पुणे आने वाले थे। उनके भावी कामों के विषय में सभी के मन में एक उत्सुकता थी। लेकिन धीरे-धीरे राष्ट्रीय आंदोलन से दूर होकर वे केलकर की प्रेरणा से हिंदू महासभा जैसे

पुरानपंथी दकियानुसी एवं प्रतिगामी मंच पर बिराजमान होगें, यह स्पष्ट होने लगा था। इसलिए "स्टूडेंट्स फेडरेशन" के हम प्रगतिवादी युवकों ने निश्चय किया कि उनके आगे के कामों के प्रति आदर व्यक्त करेंगे, लेकिन वर्तमान राजनीति के गलत होने के कारण उनका समर्थन नहीं करेंगे। उन दिनों हिन्दुत्ववादियों के आक्रामक एवं असहिष्णु वृति के कारण उस समय पुणे का वातावरण बहुत ही तनावपूर्ण था।

पुणे शहर हिन्दुत्ववादियों का सुदृढ़ गढ़ माना जाता था। उस वातावरण में एक तरफ हिन्दुत्ववादी, सावरकरवादी और आर.एस.एस. और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी, समाजवादी और अन्य वामपंथियों के बीच झड़प होती रहती थी। संघ वाले हमारे जुलूस पर हमला करते। इसका पहला अनुभव सन् 1938 में मई दिवस के दिन हुआ। उन्होंने हमारे जुलूस पर हमला किया। इस हमले में तात्या (सेनापति) बापट और एस.एम. घायल हो गए थे। अगले 2-3 वर्षों में उन लोगों ने आचार्य अत्रे पर जानलेवा हमला किया था। शंकरराव देव की सभा भंग की थी। पुणे में घर वाले किसी भी राष्ट्रवादी की आम सभा नहीं होने देते थे। सम्प्रदायवाद का ज्वर सा चढ़ा था। उसके प्रतिकार के लिए, भाऊ रानाडे, वी०भी० हर्डीकर, शिरूभाऊ लिमये, नाना सहाब गोरे जैसे प्रभूति समाजवादियों और कट्टर राष्ट्रवादियों ने 'राष्ट्र सेवादल' को पुनर्जीवित किया। एस.एम हिन्दुत्ववादियों के कट्टर विरोधी थे। हमें धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की शिक्षा राष्ट्रीय नेताओं तथा एस.एम. जैसे समाजवादी नेताओं से मिली। सन् 1941 में 'एस.एम. के जेल से रिहा होने के बाद सभी ने 'राष्ट्र सेवादल' के काम की जिम्मेदारी उन पर सौंप दी। पुणे के हिन्दुत्ववादियों की जड़ उखाड़ने के लिए हम लोगों ने एक चुनौती भरी सभा का आयोजन किया। उसमें जनता ने संघियों को नाको चने चबाने के लिए मजबूर किया। तबसे कुछ वर्षों तक उन्होंने कोई उत्पात नहीं मचाया।

सन् 1939 के सितंबर में दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। युद्ध-विरोधी आंदोलन में समाजवादियों ने ही अगुआई की। कांग्रेस नेताओं को समाजवादियों ने कहा कि साम्राज्यवादी युद्ध में कांग्रेस संपूर्ण असहयोग करे तथा ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामूहिक अवज्ञा आंदोलन शुरू करे। इसी समय जयप्रकाश नरायण पुणे में आए हुए थे। युसुफ मेहरअली तथा लोहिया भी पुणे आए थे। उनके सार्वजनिक कार्यक्रम हुए और उनके साथ कार्यकर्त्ताओं की बैठक भी हुई। आगामी संघर्ष के संदर्भ में मुझे कॉलेज जीवन नीरस प्रतीत होने लगा। हम सबने तय किया था कि हम, पूरा समय सम्पूर्ण जीवन स्वतंत्रता आंदोलन तथा दल के कार्य के लिए समर्पित करेंगे। लेकिन एस.एम,, अच्युत जी आदि चाहते थे कि पहले मैं बी०ए० पास कर लूं। लेकिन मैं रुकने के लिए तैयार नहीं था। हमारी इच्छा को देखते हुए नेताओं ने गंगाधर ओगले को अहमदनगर जिले के चीनी कारखाने के केंद्र स्थान में (उस समय बेलापुर रोड, वर्तमान, श्रीरामपुर) भेजा। मैंने और

अण्णासाने ने अपना कार्यक्षेत्र खानदेश को चुना। वहां समाजवादी दल लगभग समाप्त था। पूरा वातावरण कम्युनिस्टमय हो गया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन से लेकर विद्यार्थी वर्ग तक। धुलिया के कम्युनिस्टों का संबंध रणदिव गुट से तो अमलनेर गुट का डांगे से था। लेकिन जबरदस्त अनुशासन तथा नियंत्रण होने के कारण यह मनमुटाव कामगारों तथा छात्रों की आंखों के सामने नहीं आता था लेकिन भीतर ही भीतर फुसफुसाहट चलती थी। साने, गुरूजी खानदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। उनकी जिहवा पर साक्षात् सरस्वती विराजती थी, उनका व्यक्तित्व जलप्रपात जैसा ओजस्वी तथा ज्वालामुखी के समान धधकता था। खानदेश के सारे युवा वर्ग पर उनका अटूट सम्मोहन था। उनका साहित्य राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत था जिस पर खानदेश की युवा पीढ़ी का विचार विकसित हुआ था। कामगारों की वेतन-कटौती रद्द करने के लिए उन्होंने जान की बाजी लगाई थी। उन्होंने किसानों का प्रचंड मोर्चा जलगांव में संगठित किया था। उनके अनेक शिष्य कम्युनिस्ट बन गए थे। स्वयं डांगे से उनका संबंध आत्मीयता से भरा था। ऐसी प्रतिकूल स्थिति में हमें अपना काम करना था। स्वयं 'एस.एम.' हमारे साथ धुलिया आए। पहले तो कांग्रेसजनों तथा युवकों को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि हम लोग वहां कायमी रूप में रहने वाले हैं। वे सोचते थे कि दीवाली की छुट्टी समाप्त होने के बाद हम लोग चले जायेंगे, लेकिन छुट्टी समाप्त होने पर भी हम लोग गए नहीं। तब उनका दृष्टिकोण बदल गया। आगे चलकर 'एस.एम.' के जीजा, पटवर्धन का तबादला धुलिया में हुआ। वे बैंक के कर्मचारी थे। फिर 'एस.एम.' की छोटी बहन, जो नर्स थी, की धुलिया के सिविल अस्पताल में नियुक्ति हो गई। तब कहीं 'एस.एम.' को तसल्ली हुई। उन्हें हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि यह सत्तरह साल का लड़का इतनी दूर तथा प्रतिकूल स्थिति में कैसे रहेगा और काम करेगा। 'एस.एम.' के जीजा के यहां मैं पेइंग गेस्ट के रूप में भोजन किया करता। बहुत ही कम पैसों में हम गुजारा करते थे, दौरा करते थे। कुछ दिनों के बाद साने गुरूजी से परिचय हुआ।

सन् 1940 के मध्य में कुलाबा जिले में किसान परिषद हुई। उस सिलसिले में 'एस.एम.' और हमारे युवकजन साथियों ने गांव-गांव का दौरा किया। युद्ध विरोधी भाषण देने के कारण 'एस.एम.', बंडू तथा माधव तीनों को पंद्रह महीनों की (बारह महीने की सजा तथा तीन महीने जुर्माने के तौर पर) सजा हुई। कुछ दिनों के पश्चात अण्णा साने, गंगाधर ओगले की सहायता करने के लिए अहमदनगर जिले में गए। खानदेश में मैं अकेला ही रह गया, लेकिन कांग्रेस संगठन में मेरे बहुत सारे लोग मित्र बन गए थे। कुछ छात्र कार्यकर्ताओं को भी मैंने संगठित किया था। साक्री तालुके में मैं और मुरलीधर भावसार (जिला कांग्रेस के सचिव) ने मिलकर संयुक्त दौरा किया। युद्ध विरोधी भाषण देने के लिए मुझे जल्दी ही कैद कर लिया गया और एक साल के लिए सश्रम कारावास की

सजा मिली। मुझे धुलिया जेल में रखा गया। मेरे इस कारावास में (और बाद के कारावास में भी) 'एस०एम०' और युसुफ मेहरअली मुझे हमेशा चिट्ठियां और किताबें भेजा करते थे। सन् 1940 में मुझे एक साल की सजा हो गई थी, और मुझे 'सी' वर्ग दिया गया था और सन् 1942 में मुझे द्वितीय श्रेणी की नजरबंद राजबंदी मिली थी (नजरबंदों के दो वर्ग हुआ करते प्रथम और द्वितीय) इसीलिए 'एस०एम०' को हमेशा यही चिंता रहती कि मैं कैसे रहता होऊंगा। धुलिया में उनकी बहन, भाई और वे स्वयं मुझे मिलने आते थे। ताराजी भी तारुतल के नाम से मुझे जेल में पत्र लिखा करती ।

जेल से छूटने के बाद (सन् 1941) 9 अगस्त 1942 तक एस०एम० ने राष्ट्र सेवा दल के कार्य पर ही अधिक जोर दिया था। सेवादल की शाखाओं के युवक बाद में अगस्त क्रांति की लड़ाई में काम आए। राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी के बाद दादर में अच्युतजी के भाई के घर पर समाजवादी कार्यकर्ताओं की जो बैठक हुई उसमें भूमिगत रहकर आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र के भूमिगत आंदोलन में एकबद्धता लाने की जिम्मेदारी 'एस एम.' पर सौंपी गई (उस समय नाना साहब निजाम राज्य की जेल में थे) 'एस०एम०' ने भेष बदल लिया, दाढ़ी बढ़ा ली और खालिस 'ईमाम साहब' बन गए। उनका यह स्वांग इतने बढ़िया ढंग से रचाया गया था कि उनकी शिनाख्त करना पुलिस के लिए असंभव था। सन् 1942 के भूमिगत आंदोलन में सर्वत्र गांधीवादी और समाजवादी, इस तरह के दो अलग-अलग पक्ष तैयार हो रहे थे। इसके कारण पड़ी दरार से काम में हानि हो रही थी, परंतु 'एस०एम०' के गांधीवादियों तथा परंपरागत कांग्रेसियों के साथ व्यक्तिगत संबंध अच्छे होने के कारण महाराष्ट्र में तनाव कम था, इसीलिए अण्णा साहेब सहस्त्रबुद्धे प्रभृति अग्रगण्य रचनात्मक कार्यकर्ताओं के साथ-साथ काम करना आसान हो गया था। खादी भंडार तथा खादी उत्पादन केंद्र भूमिगत आंदोलनों के आश्रय-स्थल बन गए थे। घातपात कामों के लिए आवश्यक रसायनों, सामानों को इन्हीं केंद्रों में जमा किया जाता था और यहीं से वितरण भी हुआ करता था। 'एस०एम०' हमेशा इसी प्रयास में रहते कि महाराष्ट्र में प्रतिरोध की ज्योति जलती रहे। उनसे अनेक कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिली। तेरह-चौदह महीनों के बाद नलबाजार के "चुड़ेल हाऊस" में (आंदोलन के समय एक गुप्त स्थान) 'एस०एम०' के साथ हमें भी गिरफ्तार कर लिया गया।

सन् 1946 में सारे नेता रिहा हो गए। समाजवादी दल का पुनर्गठन किया गया। राष्ट्र सेवादल का आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्र में फैल गया। कामों का बंटवारा इस तरह से किया गया कि नानासाहब समाजवादी दल का काम और 'एस०एम०' राष्ट्र सेवादल तथा कांग्रेस का काम देखेंगे। इसलिए वर्षों तक सेवादल प्रमुख 'एस०एम०' दल की राजनीति से अधिक राष्ट्र सेवादल तथा रचनात्मक कार्यों में सक्रिय रहे। दल की राजनीति में हम युवकों को आगे बढ़ावा देने के लिए वे हमेशा प्रयत्नशील रहे। उनकी निरंतर यही भूमिका रहती

युवकों पर नई जिम्मेदारियों का काम सौंपा जाए और उन्हें अपना कौशल दिखाने का अवसर दिया जाए। सन् 1945-46 में जोर-जुल्म का चक्र थोड़ा कम हो गया था और सेवादल स्टुडेंटस कांग्रेस का संगठन तेजी से बढ़ रहा था। पश्चिम महाराष्ट्र तथा बम्बई में 'राष्ट्र सेवादल' की विशाल रैलियां हुई। सैकड़ों नए कार्यकर्ता ट्रेड यूनियन आंदोलन में बेधड़क कूद पड़े। बंबई के कामगारों में तथा महाराष्ट्र में समाजवादियों की शक्ति बढ़ने लगी। कम्युनिस्टों का कपड़ा मिलों के कामगारों पर प्रभाव खत्म करने के लिए बंबई में राष्ट्रवादियों ने 'राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ' का गठन किया था। एक समय ऐसी स्थिति बनी कि कामगारों पर इस संगठन का वर्चस्व कायम हो गया और उसके चुनाव में अधिक विजयी हुए।

इस युवा-शक्ति और कामगार शक्ति को देखकर शंकरराव देव तथा एस०के० पाटिल भयभीत हो उठे। शंकरराव प्रभृति नेता दिन रात इसी चिंता में मग्न थे कि इस प्रचंड शक्ति को काबू में कैसे लाया जाए, उस पर कैसे नियंत्रण रखा जाए। वे तो मूल हस्तान्तरण के स्वप्न देख रहे थे, वे कांग्रेस के नेता हैं और महाप्रलय तक भी वही नेता बने रहेगें, न केवल संगठन बल्कि सरकार की बागडोर भी उन्हीं के हाथ रहने वाली हैं। इस घमंड में ही डूबे रहते थे। शंकरराव देव का रथ धरती से दो अंगुल ऊपर ही चलता था। एक जमाने में ऊ:चार्य भगवान तथा आचार्य जावडेकर, शंकरराव के साथी थे। इन लोगों ने उन्हें नेक सलाह दी कि वे इस उदीयमान शक्ति के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए लेकिन शंकरराव ने नहीं माना। अंतरिम सरकार की स्थापना के बाद कृपलानी जी कांग्रेस अध्यक्ष बने और शंकरराव देव महासचिव। वे शब्दशः उन्मत्त हो गए, गांधीवादियों ने कांग्रेस के स्वरूप को बदल कर संकीर्ण बनाने का बीड़ा उठाया था। उनके पीछे उनका उद्देश्य था समाजवादी दल पर प्रतिबंध लगाना। राष्ट्र सेवादल की नाक में नकेल डालने के लिए शंकरराव कटिबद्ध थे। सन् 1947 के मध्य में यह संघर्ष शिखर पर पहुंच गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद धीरे-धीरे समाजवादियों ने भांप लिया कि अब कांग्रेस में साथ रहना असंभव है। महात्मा गांधी की मध्यस्थ की भूमिका व्यर्थ साबित हो गई। अंत में स्वायत्तता बनाम कांग्रेस का अनियमित अनुशासन के प्रश्न पर सेवादल ने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया। सन् 1948 के नासिक अधिवेशन में समाजवादी दल भी कांग्रेस से अलग हो गया।

सन् 1946-47 में कृपलानी, शंकरराव देव प्रभृति नेताओं की भूमिका के बारे में जब मैं सोचता हूं तब लगता है कि मानवीय स्वभाव कितनी गूढ़ पहेली है, क्योंकि सिर्फ एक ही साल में कृपलानी का सरदार पटेल और नेहरू से मतभेद हो गया और उन्हें अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की नौबत आ गई। कृपलानी जी की शिकायत थी कि ये सत्तारूढ़ नेता कांग्रेस के अध्यक्ष तथा संगठन की उपेक्षा करते हैं। शंकरराव देव का भ्रम टूटना अभी बाकी था। वे समझते थे कि उन पर नेहरूजी की विशेष कृपा है यह उनकी खुशफहमी थी

और उनको पूरा विश्वास था कि सन् 1950 में अध्यक्ष पद के लिए नेहरू उनका समर्थन करेंगे परन्तु आखिर नेहरु ने टंडन जी के खिलाफ कृपलानी जी का अनुमोदन किया। टंडन विजयी हुए, कृपलानी हारे। अंत में कृपलानी जी ने कांग्रेस छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने किसान मजदूर प्रजा प्राटी का गठन किया और शंकरराव देव सर्वोदय में शामिल हो गये। आगे चलकर दिल्ली आने पर शंकरराव मुझसे मिला करते थे। एक बार उन्होंने मेरे घर पर राजनीति से संबंधित कुछ व्यक्तियों की बैठक बुलाने के लिए मुझे कहा—मैंने बैठक के निमंत्रण तो दे दिए किन्तु उनसे मिलने और चर्चा करने के लिए कोई भी उत्सुक नहीं था। अंत में मैं अपने कुछ समाजवादी दोस्तों को जबरन खींचकर घर ले आया। शंकरराव के हाल पर मुझे बड़ा तरस आया। वे महान त्यागी थे, अपना सर्वस्व उन्होंने देश पर न्यौछावर कर दिया था, उन्हें जेल में कोड़े लगाए गए थे, लेकिन छदम् तथा सत्ता के मद के कारण उन्हें ये बुरे दिन देखने पड़े। रह-रहकर मेरे मन में यह बात आती है कि क्या 1946-47 के संक्रांति काल में अगर कृपलानी, शंकरराव प्रभृति गांधीवादियों ने गांधीजी की इच्छा के अनुसार समाजवादियों के साथ मिलकर काम किया होता तो स्वातंत्रत्योत्तर भारत का इतिहास अलग नहीं होता? किन्तु राष्ट्र सेवादल और नवोदित समाजवादी शक्ति शंकरराव की आंख की किरकिरी बनी हुई थी। बल्लभ भाई-जवाहरलाल के "डंडे" का उन्हें अनुभव नहीं था, अन्यथा वे इस तरह की नकारात्मक नीति नहीं अपनाते।

'एस०एम०' पेशेवर' ट्रेड यूनियन नेता कभी नहीं थे। परन्तु समाजवादी दल के कांग्रेस से बाहर निकलने के बाद हिंद मजदूर संघ के रूप में इंटक और एटक से अलग कामगार आंदोलन की नींव डालने के बाद 'एस०एम०' भी ट्रेड यूनियन संगठन की ओर ध्यान देने लगे। खड़की के क्षेत्र में सुरक्षा उद्योग की अनेक इकाइयां हैं। वहां के कामगारों को संगठित करने में 'एस०एम०' का बहुत बड़ा योगदान था। अखिल भारतीय सुरक्षा कामगारों के महासंघ की स्थापना करने के प्रयास में भी उन्हें तथा उनके साथियों को कामयाबी मिली। अनेक बरसों तक 'एस०एम०' इस महासंघ के पदाधिकारी रहे। रक्षा विभाग के साथ होने वाली वार्ता में वे सक्रिय भाग लिया करते थे। उन्होंने अनेक संघर्ष किए। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की लड़ाई में भी उनका सक्रिय योगदान था, परन्तु यह कहना गलत नहीं होगा कि उनका स्वभाव ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए अनुकूल नहीं था। सिर्फ कर्तव्य निभाने के लिए उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था। अनाप-शनाप मांगे करना, गलत प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना राणा भीमदेव की तरह आवेशपूर्ण भाषणों से सस्ती लोकप्रियता हासिल करना उनके स्वभाव में नहीं था। उनकी राय में देशकाल की स्थिति पर विचार करके ही ट्रेड यूनियन आंदोलन बनाना चाहिए। हमेशा असंगठित एवं शोषित समाज की हालत को ध्यान में रखना

चाहिए और लोकतंत्र की रक्षा की राजनीतिक जिम्मेदारी का महत्व भी समझना चाहिए। कुछ पेशेवर ट्रेड यूनियन नेताओं को उनके ये विचार कभी जंचे नहीं।

सार्वभौम व्यस्क मताधिकार के आधार पर जो प्रथम आम चुनाव हुआ उसमें डा. अंबेडकर का परगणित जाति महासंघ और सोशलिस्ट पार्टी के बीच चुनाव समझौता हुआ था। उसमें अशोक मेहता, मोइनुद्दीन हैरिस के साथ 'एस०एम०' ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहले से ही 'एस०एम०' सामाजिक विषमता के खिलाफ थे। इस विषमता से उन्हें चिढ़ हुआ करती थी। स्वतंत्रता संग्राम एव 'सत्याग्रह' में भाग लेने से पहले ही 'एस एम' ने सामाजिक विषमता के खिलाफ 'पार्वती मंदिर' में हरिजनों को प्रवेश देने के लिए 1929 में जो सत्याग्रह हुआ था उसमें भाग लिया था।

सन 1927 के बाद जो युवा आंदोलन हुआ था, पश्चिम भारत में उसके प्रमुख नेता मेहरअली थे। उनका व्यक्तित्व लुभावना था, उनके आचरण तथा बोल-चाल में अपूर्व स्नेह रहता था। 'एस.एम.' और नाना साहब ने कई बार कहा है कि "इन्हीं के संपर्क के कारण हम पुणे के हिन्दुत्ववादी वातावरण से मुक्त रहे। अन्यथा हम सब लोग समाजवादी बनने के बदले हिन्दु संप्रदायवादी बन जाते।" जुझारु कार्यक्रमों के साथ ही सांप्रदायिक सद्भावना बढ़ाने पर यूथ लीग के नेवृत्व की अटूट श्रद्धा थी। इसकी दृढ़ तथा अमिट छाप 'एस०एम०' के संस्कारों पर पड़ गई थी। पुणे के वातावरण में जातीय तथा धार्मिक एकता का झंडा लहराना आसान काम नहीं था। युसुफ मेहर अली राष्ट्रीयता की प्रेरक शक्ति थे, राष्ट्रीयता की ज्वंलत मिसाल थे। उनका ऋण 'एस०एम०' प्रभृति नेता खुले रूप में स्वीकार करते थे।

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर कुछ जिलों में, शेतकारी कामगार दल एक शक्ति थी। शेतकारी कामगार पार्टी के साथ सन् 1950 में खंडाला समझौता किया गया था। इसमें आचार्य अत्रे प्रमुख मध्यस्थ थे। उनकी कोठी पर ही बातचीत हुई थी। सोशलिस्ट पार्टी तथा शेतकारी कामगार पक्ष का एकीकरण महाराष्ट्र की दृष्टि से एक वांछनीय घटना होती लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कुछ कम्युनिस्ट प्रवृत्ति के लोगों ने शेतकारी कामगार पक्ष पर द्राभाडी सिद्धांत थोप दिया। कुछ अंशो में पूर्वग्रह के कारण भी यह एकता नहीं हो पायी। पुणे के लोकसभा क्षेत्र में काका साहब गाडगिल, केशवराव जेधे और 'एस०एम०' का त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ। दरअसल बात यह थी कि तीनों के बीच निकट स्नेह-संबंध थे, किन्तु राजनीतिक परिस्थिति ने उन्हें एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी बना दिया था। केशवराव और 'एस०एम०' के बीच वोट बंट गए। पहले आम चुनाव में समाजवादी दल को अपेक्षित जीत कहीं नहीं मिली। आशा थी कि कम से कम बंबई में समाजवादियों की विजय होगी। कांग्रेसी भी यही समझते थे, लेकिन परिणाम इसके विपरीत हुआ।

डा. अंबेडकर तथा अशोक मेहता दोनों हार गए। डांगे ने 80-90 हजार वोट काट लिया और इतना ही सुरक्षित स्थान का वोट जानबूझकर खराब करा दिया। अंबेडकर की हार का यही कारण था।

चुनाव में हार के कारण अनेक समाजवादी नेताओं की हिम्मत टूट गयी। सिर्फ 'एस.एम.' धैर्य से विपक्ष की भूमिका पर अडिग रहे। सन 1952 के विधानसभा के उपचुनाव में पुणे की जनता ने उन्हें विधान सभा में भेजा। तब से लेकर 1962 तक उन्होंने विधानसभा में प्रतिपक्ष की भूमिका मजबूती से संभाली। जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए मेहनत की। वे शब्दों की आतिशबाजी नहीं करते थे, बड़ी शांति और विश्वास से अपने विचार प्रकट करके विधानसभा पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। सरकार पर भी उनकी नैतिक धाक थी।

समाजवादी दल के नासिक अधिवेशन के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक बैलगांव में हुई। इस बैठक में भाषावार राज्यों की रचना के प्रश्न पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। राष्ट्रीय समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मूल तत्व को स्वीकार किया और संविधान सभा से अपील की कि इसी आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। बंबई का प्रश्न कुछ विवादग्रस्त था। इस कारण यह निश्चय किया गया कि संबंधित लोगों से विचार विनिमय करने के बाद दल के महामंत्री जयप्रकाश नारायण इसका फैसला देंगे। जयप्रकाशजी ने बंबई में सब लोगों से चर्चा करके यह स्पष्ट फैसला दिया कि बंबई महाराष्ट्र में होना चाहिए। इससे बंबई के ही हमारे कुछ साथी खुश नहीं थे। किंतु उसके कई साल बाद तक यह प्रश्न पीछे पड़ गया। सन् 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रपट प्रकाशित होने के बाद यह सवाल भड़क उठा। समाजवादियों में तीव्र मतभेद थे। बंबई के कुछ समाजवादी इस मत के थे कि "बंबई को महाराष्ट्र में नहीं जाना चाहिए।" कुछ लोग संकुचित भाषायी भावना से प्रेरित होकर इस तरह का राग आलाप रहे थे तो कुछ इसीलिए संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के विरोधी थे कि उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम नहीं करना पड़े। जब संयुक्त महाराष्ट्र समिति की स्थापना हो गई, तब सभी लोगों ने स्वाभाविक तौर पर 'एस०एम०' को सूत्रधार बनाया। यह सही है कि आचार्य अत्रेजी की लेखनी और वाणी से संयुक्त माहाराष्ट्र आंदोलन तेज हुआ लेकिन इसमें दो राय नहीं हो सकती कि 'एस० एम०' के कुशल नेतृत्व की वजह से ही संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन सफल हुआ।

विभिन्न विचारों एवं प्रवृतियों के दलों एवं व्यक्तियों को एक मंच पर लाने का अत्यंत दुष्कर काम महाराष्ट्र में 'एस० एम०' को छोड़ दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता था। उनकी आंतरिक निष्ठा, पक्षपातहीनता तथा निःस्वार्थ बुद्धि पर सभी को विश्वास था। सभी को एक

सूत्र में रखने के अत्यंत कठिन काम करते समय अनेक बार उन्हें अपने ही दल के लोगों की कड़ी आलोचना सहनी पड़ी। लेकिन जब तक संयुक्त महाराष्ट्र का लक्ष्य पूरा नहीं हो गया, वे पूरे धैर्य और निष्ठा से उस काम में लगे रहे। उस समय महाराष्ट्र में इस बात पर बहस चलती थी कि संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण का श्रेय किस व्यक्ति को है। दूसरे लोग इसका श्रेय लेने का दावा भले ही करें; कुछ लोग इसका श्रेय इंदिरा गांधी या चव्हाण को भले ही दें, लेकिन यह निर्विवाद ऐतिहासिक सत्य है कि संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना का श्रेय 'एस० एम०' को है।

इसी अवधि में बंबई महानगरपालिका में संयुक्त महाराष्ट्र समिति का शासन था। बंबई महापालिका और हमारे म्युनिसिपल तथा वेस्ट कामगार संगठनों के बीच तीन प्रखर संघर्ष हुए थे। सन् 1957, 58, 59 इन तीनों सालों में समिति की भूमिका कामगार विरोधी एवं प्रतिगामी थी। राजनीतिक दृष्टि से एस० एम० और मैं भले ही अलग रहें हो, फिर भी हमारे व्यक्तिगत संबंध मधुर थे। इसलिए इन तीनों ही संघर्षों में उन्होंने भीतर ही भीतर हमारे साथ "साजिश" करके सम्मानपूर्ण समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके पीछे मन में 'दलितों' (जिनका म्युनिसिपल कामगारों में बाहुल्य था) के प्रति अत्यधिक हमदर्दी थी।

सन् 1963 में अशोक मेहता योजना आयोग के उपाध्यक्ष बन गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए नियुक्त किए सरकारी शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में वे न्यूयार्क भी गए। सन् 1952-53 से ही वे सरकार के साथ समझौता करने के समर्थक बन गए थे। लेकिन 1948-49 में कांग्रेस छोड़ने के लिए वे बेताब थे। बंबई में कांग्रेस के खिलाफ महानगरपालिका का चुनाव लड़ने में उन्हें तनिक भी हिचकिचाहट नहीं हुई थी। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए चार-पांच साल उन्होंने रात-दिन एक कर दिया था, लेकिन प्रथम आम चुनाव में जबरदस्त हार को वे पचा नहीं सके। स्वतंत्र और वैकल्पिक दल खड़ा करने की उम्मीद चूर-चूर हो गयी। उस निराशा से सहयोगवाद का जन्म हुआ। दस साल बाद 1962 के आम चुनाव की हार के बाद वे पार्टी विसर्जित करने का विचार प्रकट करने लगे थे। इसी निराशा की भावना में उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद स्वीकार किया था। उस समय 'एस० एम०' प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्हें तथा अन्य अनेक लोगों को अशोक का बर्ताव पसंद नहीं आया। अशोक के साथ बहुत सारे लोग कांग्रेस में चले गए। उस वक्त समाजवादी एकता के लिए जो प्रयत्न जारी था, उसमें 'एस० एम०' ने पूरे मन से साथ दिया, और सन् 1964 में एकता साकार हुई। यह बात अलग है कि वह एकता टिकी नहीं, लेकिन इसमें 'एस० एम०' का कोई दोष नहीं था। बनारस सम्मेलन में उनका भाषण अंतरात्मा की आवाज थी। वह भाषण बड़ा प्रभावशाली था।

चीनी आक्रमण के पश्चात डा० लोहिया का यह सूत्र कि "राष्ट्रीय शर्म की सरकार की पराजय जरूरी है" को 'एस० एम०' ने मन से पसंद किया। सन् 1967 के चुनाव में कांग्रेस विरोधी व्यापक मोर्चा गठित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। दरअसल संयुक्त महाराष्ट्र समिति भी इसी तरह का मोर्चा थी। उसका एक सूत्री कार्यक्रम था कि बंबई सहित संयुक्त महाराष्ट्र का निर्माण होना ही चाहिए। अब नारा था—"कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ।" स्थानों का बंटवारा साधन के रूप में स्वीकारा गया था गैर-कांग्रेसवाद की नीति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। इस बारे में डा० लोहिया के साथ मेरा विवाद 2-3 साल तक चला था। मेरा मन यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था कि स्वतंत्र पार्टी के राजे महाराजों की मदद से तथा जनसंघ की सहायता से स्थापित सरकार अधिक प्रगतिशील होगी। राजनीतिक जीवन के प्रारंभिक काल से ही आर० एस० एस० की कट्टर तथा संकुचित हिंदुत्ववाद का हमने कसकर विरोध किया था। अंत में कुछ अनिवार्यताओं के कारण और मुख्यतः लोहिया के आग्रह पर मैंने यह नीति मान ली। 'एस० एम०' का यह मानना था कि गैर कांग्रेसवाद और जनता पार्टी संयुक्त महाराष्ट्र समिति के प्रयोग की ही व्यापक पुनरावृत्ति है।

सन् 1971 में एस०एम० ने यह दृढ़ निश्चय किया कि भविष्य में वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स का खात्मा आदि चमत्कारिक पैंतरों के कारण इंदिराजी की लोकप्रियता काफी बढ़ रही थी। यह भी सुनाई दे रहा था कि इंदिराजी 'एस०एम०' के लिए पुणे की सीट छोड़ेंगी। लेकिन चुनाव न लड़ने के निश्चय से 'एस०एम०' रंचमात्र भी विचलित नहीं हुए। सन् 1967 में 'एस०एम०' पुणे के लोकसभा चुनाव क्षेत्र से पार्टी की शक्ति के बलबूते पर नहीं अपनी निजी लोकप्रियता के आधार पर लोकसभा में चुने गये थे। सन् 1977 की जनता पार्टी की लहर में वे महाराष्ट्र में किसी भी क्षेत्र से आराम से जीत जाते लेकिन चुनाव नहीं लड़ने का जो एक बार फैसला कर लिया, उस पर वे अडिग रहे। संघर्ष और रचनात्मक कार्य पर उनका विश्वास टिका रहा। सन् 1964 में किया हुआ प्रयास उस समय भले ही व्यर्थ सिद्ध हुआ हो, लेकिन समाजवादी एकता के प्रति उनकी आस्था रंचमात्र भी कम नहीं हुई थी। आखिर सन् 1971 में वह एकता साकार हुई। लेकिन तब तक प्रजा समाजवादी दल निष्प्राण हो गया था और संयुक्त समाजवादी दल में भी थोड़ी सी ही जान बाकी थी। समाजवादी दल के विकल्प बनने की आशा सहकारवाद, सर्वोदयवाद, और अंत में गैर-कांग्रेसवाद के कारण हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गई।

गुजरात और बिहार के युवजन आंदोलन के कारण जयप्रकाशजी संघर्षपूर्ण राजनीति में एक बार फिर कूद पड़े। अर्थात इंदिरा गांधी के संबंध में सन् 1971 में ही उनका भ्रम

टूटना शुरू हो गया था। उस वर्ष के मार्च-अप्रैल महीने में जयप्रकाश-इंदिरा गांधी के बीच जो पत्रव्यवहार हुआ था, उससे यह स्पष्ट होता है। बिहार के जनसंघर्ष में 'एस०एम०' ने जयप्रकाशजी का पूरे मन से समर्थन किया था। आपात स्थिति से पहले और बाद में विरोधी पक्ष के एकीकरण में जयप्रकाशजी की भूमिका का उन्होंने समर्थन किया, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उनका मतपरिवर्तन हो गया था और वे मान गए थे कि आर०एस०एस० और जनसंघ बदल गए हैं। जनता पार्टी की स्थापना के बाद संघ विषयक व्यक्तिगत अनुभव पूर्णरूपेण भ्रम खत्म करने वाला था।

सन् 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, अकाली दल, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (तमिलनाडु), रिपब्लिकन पार्टी तथा शेतकारी कामगार पक्ष (महाराष्ट्र) आदि के साथ समझौता किया था। पश्चिम बंगाल में जनता पार्टी को जो सफलता मिली वह मार्क्सवादियों के साथ होने के कारण ही। तमिलनाडु में जनता पार्टी को लोकसभा के जो तीन स्थान मिले थे, वे करुणानिधि के सहयोग से ही मिले थे। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में विरोधी दलों की जो विजय हुई उसमें शेतकारी कामगार पक्ष का सहयोग एवं अन्य दलों का समर्थन काम आया था। मेरा आग्रह था कि आगामी विधानसभाओं के चुनाव में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों में यही सहयोग जारी रहे, जम्मू-कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की नेशनल कांफ्रेंस के साथ समझौता किया जाए। चंद्रशेखर, जार्ज फर्नांडिस आदि लोग मेरी राय से सहमत थे। 'एस०एम०' की भी यही राय थी। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र जनता पार्टी अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने शेतकारी कामगार पक्ष के साथ बातचीत भी की थी। लेकिन जनता पार्टी के नेतृत्व को सत्ता का नशा सा चढ़ गया था। परिणामतः पश्चिम बंगाल में पार्टी की फजीहत हो गई, तमिलनाडु में जनता पार्टी पराभूत हो गई, कश्मीर में शेख अब्दुल्ला की प्रचंड विजय हुई।

ऊपर जैसा मैंने कहा, महाराष्ट्र शेतकारी कामगार पक्ष के साथ चुनाव समझौता करने के लिए 'एस०एम०' प्रयत्नशील थे। जनता पार्टी की प्रांतीय शाखा की कार्य समिति की बैठक हुई। उसमें नानाजी देशमुख और मैं उपस्थित थे। एस०एम० ने तर्क किया कि शेतकारी कामगार पक्ष से समझौता आवश्यक है। मैंने, बापू कालदाते आदि तीन-चार लोगों ने उनका समर्थन किया। बाकी लोगों ने विरोध किया। जनता पार्टी की शक्ति के बारे में उन लोगों की धारणाएं यथार्थ से परे थी। आखिर समझौता नहीं हुआ। शेतकारी कामगार पक्ष तो हारा ही लेकिन जनता पार्टी भी अपेक्षित स्थान नहीं प्राप्त कर सकी। परिणाम वही हुआ, जो होना था। बसंत दादा पाटिल एवं इंदिरा कांग्रेस का संयुक्त मंत्रिमंडल बना। शेतकारी कामगार पक्ष के साथ चुनाव समझौते के संबंध में नकारात्मक भूमिका, टिकटों के बंटवारे में, जबरदस्ती, चार राज्यों में मुख्यमंत्री होने पर भी संतोष न होना। महाराष्ट्र में

कोई भी समाजवादी मुख्यमंत्री न हो इसके लिए किया गया विश्वासघात महाराष्ट्र जनता पार्टी का अध्यक्ष कोई समाजवादी न हो हेतु की गयी कार्रवाइयां, संघी मराठी साप्ताहिक में निरन्तर निंदा पाठ और झूठे प्रचार आदि से 'एस०एम०' ऊब गए थे। उन्होंने मुझसे कहा तथा अन्य अनेक लोगों से कहा था कि आर०एस०एस० के साथ अपनी बनेगी नहीं तथा राजनीतिक शक्ति की पुनर्रचना अपरिहार्य है।

सन् 1952 के चुनाव के समय से ही सत्तारुढ़ कांग्रेस पार्टी का तरीका था लालच दिखाकर विरोधी पक्ष के लोगों को फोड़ना, उनके दलबदल कराना। नैतिकता का त्याग करके ही कांग्रेस ने राजाजी को मुख्यमंत्री बनाया था और उनके माध्यम से छोटे-छोटे दलों को फोड़ने का काम शुरू किया था। सन् 1953 में नए आंध्र राज्य का गठन हुआ। जनता की सर्वमान्य इच्छा थी कि टी० प्रकाशम मुख्यमंत्री बनें। विधानसभा में किसी भी दल का बहुमत नहीं था। जनता की इच्छा का आदर करते हुए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने संयुक्त मंत्रिमंडल के लिए अपनी सहमति दे दी। लेकिन टी० प्रकाशम प्रसोपा के नेता थे। उन्हें मुख्यमंत्री बनाना कांग्रेस को स्वीकार्य नहीं था। नेहरू सहित सभी नेताओं का आग्रह था कि वे प्रसोपा छोड़ दें। प्रकाशम मोह में पड़ गए। उन्होंने पार्टी छोड़ दी। पुरस्कार स्वरूप कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया। इन सभी घटनाओं को डा० लोहिया ने "राहजनी की राजनीति" का नाम दिया था। सन् 1956 में डा० लोहिया ने आह्वान किया था कि आचार संहिता तैयार की जाए, सत्ता के लोभ में किए गए दल बदल को रोका जाए किन्तु कांग्रेस ने उसे नहीं माना।

तत्पश्चात चार-पांच सालों के बाद श्री धनजयराव गाडगिल की प्रेरणा से भाटघर झील के पास एक सर्वपक्षीय बैठक हुई लेकिन दल-बदल संबंधी प्रस्ताव यशवंतराव के विरोध के कारण पास नहीं हो सका। उन्हें शेतकारी कामगार पक्ष, प्रसोपा विधायकों को अपने दल में निगलना था। अन्य राज्यों में भी कांग्रेस ने यशवंत राव का ही अनुसरण किया। पत्तम थानु पिल्ले को राज्यपाल का पद देकर केरल के मुख्यमंत्री का जो स्थान रिक्त हुआ उसे कांग्रेस ने हड़प लिया। इस सबसे उकताकर कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए डा० लोहिया ने दल-बदल का चक्र कांग्रेस के विरुद्ध उलटने का निर्णय ले लिया। हरियाणा में राव वीरेन्द्र सिंह, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह को मुख्यमंत्री पद दिला कर कांग्रेस सरकारों को उलटने में डा० लोहिया का हाथ था। मध्यप्रदेश में काग्रेस विधायकों में विजयाराजे सिंधिया द्वारा इसी प्रकार का विद्रोह करवाया गया। संयुक्त समाजवादी दल की कार्यसमिति में इस बात पर बहस हुई। यह बात आयी कि विद्रोही कांग्रेस विधायकों का स्वागत किया जाए। मुझे याद है कि चर्चा के दौरान 'एस०एम०' ने उचित शंका व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि यह बात सही है कि कांग्रेस ने अनेक दुष्कर्म किए हैं, इसमें शक नहीं कि उसने दल-बदल को प्रोत्साहन दिया है। मैं यह भी मानता हूं कि उसे

सत्ताच्युत करना जरूरी है, लेकिन नैतिकता की दृष्टि से दल-बदल को बढ़ावा देना कहां तक उचित है? लेकिन विपक्षी दलों ने नैतिकता और व्यावहारिकता में व्यावहारिकता को चुना। यही सवाल जनता पार्टी की कार्यकारिणी में भी उठा था। लेकिन नैतिकता का प्रवचन झाड़ने वाले और सन् 77 के आम चुनाव के बाद आपातकाल विरोधी कांग्रेस सांसदों को जनता पार्टी में लेने का विरोध करने वाले मोरारजी भाई ने दो-दो, तीन-तीन बार दल-बदल करने वाले विधायकों की सहायता से गुजरात में सरकार बनाने की सम्मति दी थी।

आगे 1978 में महाराष्ट्र में भी यही समस्या उपस्थित हुई। आपात स्थिति लादने वाली कांग्रेस को पदच्युत करने के लिये शरद पवार को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके पीछे भी नैतिकता से अधिक व्यवहार का पक्ष था, रणनीति थी। 'एस०एम०' एवं जयप्रकाशजी को ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। यह बात सच है कि इंदिराजी तथा मोरारजी भाई ने दल-बदल विरोधी विधेयक संसद में पेश किया, लेकिन उसमें भी एक पेंच था। सरकार द्वारा बनाए अन्यायपूर्ण प्रस्तावों को, चुनाव घोषणापत्र के आश्वासनों को तोड़ने वाले कानूनों तथा निर्णयों का विरोध करने की स्वतंत्रता भी इंदिराजी तथा मोरारजी भाई संसद सदस्यों को देना नहीं चाहते थे। 'एकमेव आशा' शीर्षक अपने लेख में जयप्रकाशजी ने इस धारा का कसकर विरोध किया था। उन्होंने कहा था, यह धारा लोकशाही विरोधी तथा तानाशाही की द्योतक है। लेकिन नैतिकता के मूल्यों की इज्जत करने वाले, लोकतांत्रिक परिपाटियों का सम्मान करने वाले विधेयक की इंदिराजी या मोरारजी भाई को क्या जरूरत थी? उन्हें चाहिए थी गुलाम संसद सदस्यों की फौज।

नैतिक मूल्यों के प्रश्नों के दूसरे पहलू भी हैं। क्या सार्वजनिक जीवन की नैतिकता व्यक्तिगत जीवन के नैतिक मूल्यों से भिन्न है? क्या सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत जीवन में फर्क किया जा सकता है? इस तरह का फर्क अनेक लोग करते है किंतु स्वयं 'एस०एम०' के निजी एव सार्वजनिक जीवन में एकरूपता थी। जिन कठोर नीति नियमों का पालन वे स्वयं अपने जीवन में करते हैं उनके पालन के लिए कई दफा अपने इर्द-गिर्द के लोगों से उतना आग्रह नहीं करते थे। कभी-कभी यह सवाल मन में उठता था कि यह उनकी दुर्बलता थी या सहिष्णुभूति का परिणाम। लोगों के काम करना, उनकी सभी प्रकार की मदद करना उनका जन्मजात स्वभाव धर्म था, लेकिन यह सब करते समय किस सीमा तक जाना चाहिए? क्या यह मानना चाहिए कि लोक संग्रह में इस तरह का काम करना जरूरी है? ये सारे प्रश्न बहुत ही जटिल तथा मन को उलझाने वाले हैं। 'एस०एम०' के मन में भी इन प्रश्नों की टीस जरूर उठी होगी। इतना निर्विवाद सत्य है कि 'एस०एम०' के किसी भी काम में रत्ती भर व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता था। सब कुछ लोक कल्याण के लिए था। यह कहना भी अनुचित नहीं होगा कि यह उनका लोगों को जोड़ने का तंत्र था।

जिन मूल्यों, विचारधाराओं के लिए एस०एम० जीवनभर लड़े-झगड़े, जिन मूल्यों के लिए उन्होंने अपने शरीर को तिलतिल जलाया वे मूल्य भारतीय जनता की दृष्टि से शाश्वत हैं। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सामाजिक समानता, आर्थिक न्याय जैसे तत्वों पर उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा थी। 'एस०एम०' का व्यक्तित्व बुद्धिवादी अथवा विचार-प्रधान नहीं था। किसी भी विचार को अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर नहीं स्वीकारते थे। जिन विचारों को उनका हृदय स्वीकारता था, उन्हें ही वे ग्रहण करते थे। उनमें सत्ता का मोह कभी नहीं था। भौतिक ऐश्वर्य ने उन्हें कभी आकर्षित नहीं किया, लेकिन तथाकथित स्थिति-प्रज्ञ समान वे मानवीय भावनाओं से अछूते नहीं थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनमें नैतिक अहंकार की छटा थी, कभी-कभी वे पूर्वाग्रहों से भी प्रभावित होते थे। लेकिन एक बात हमें याद रखनी होगी कि वे एक प्रयत्नशील साधक थे, न पूर्णत्व तक पहुंचे थे, न ही वे अतिमानव थे, न वे देवता थे, न दानव बल्कि मनुज थे।

अत्यंत कोमल किशोरावस्था में मुझे एस०एम० जोशी के स्फूर्तिदायक साहचर्य तथा मार्गदर्शन का लाभ हुआ था। उन्होंने ही मुझे राजनीति की घुट्टी पिलाई। मां की ममता से मुझे मेरी उंगली पकड़कर सार्वजनिक जीवन में खड़ा होना तथा चलना सिखाया। मैं अत्यंत गर्व के साथ इस बात का उल्लेख करता हूं कि 'एस०एम०' मेरे पहले राजनीतिज्ञ 'गुरू' थे।

ताराबाईजी ने भी मुझे ममता का परिचय दिया। शुरू से ही हम दोनों की गहरी घुटती थी। मजाल थी किसी की कि उनके सामने मेरे विरुद्ध एक लफ्ज भी निकाले? ताराजी ने सती समान तपस्या करके 'एस०एम०' को प्रसन्न किया था। वे अत्यंत खुले दिल की थीं उनकी लेखन शैली भी आकर्षक थी, किन्तु उसका पर्याप्त प्रयोग उन्होंने किया कहां?

'एस०एम०' का जीवन सफल था, इसलिए वे हमेशा हंसमुख रहते किसी भी संकट तथा व्याधि का सामना करने की मानसिक शक्ति उनमें थी। आखिरी दिनों में 'एस०एम०' असाध्य कैंसर की बीमारी से पीड़ित थे। इसी बीच उनकी जीवन संगनी चल बसी। ताराबाई की मृत्यु से उनके जीवन में बड़ा सूनापन भर गया। वे खुद भी अपनी इस मनोव्यथा को कई बार प्रकट करते थे।

12 सितंबर, 1987 के दिन अनिरुद्ध तथा सोहेला की शादी के समय डाक्टरों से खास इजाजत लेकर हास्पिटल से बीमार अवस्था में शादी के समय आये थे। गवाह के तौर पर उन्होंने पहला दस्तखत किया था, उनके बाद सोहेला के पिता जी ने और मैंने हस्ताक्षर किए। "आज तारा होती तो वह कितनी खुश होती" ये शब्द उनके दिल को छू गये।

एक बार 'एस०एम०' टाटा अस्पताल में इलाज के लिए गये थे। अचानक रात में उनकी नर्स चौंककर जग गयी चिल्लाई—कौन है? यह चीख सुनकर डाक्टर और परिचित दौड़कर आये और पूछने लगे कि कौन आया है? 'एस०एम०' स्थिति भांपकर और हंसी मजाक के स्वर में बोले "कुछ नहीं हुआ। मेरे सपने में तारा आई थी।" वह बोली—मैं यहां भी प्रतीक्षा कर रही हूं वहां आप क्या कर रहे हैं, जल्दी आओ।

मानवजाति के लिए मृत्यु एक अटल ही नहीं बल्कि आवश्यक घटना है लेकिन 'एस०एम०' जैसे त्यागी और धवल चरित्रवान व्यक्ति के जीवन के अंतिम साल इतनी पीड़ा में बीते, इसकी हमें रह-रहकर तकलीफ होती है।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका निःस्वार्थ तथा त्यागी गई नंदा दीपिका शांत ज्योति के समान युवकों को प्रेरणा देता है और देता रहेगा।

7

'एस० एम०': अन्नाः नेता से भी बढ़कर

—डा० बापू कालदाते*

एक नेता को हमेशा जनता की भावनाओं और महत्वाकांक्षाओं को समझना चाहिए। वह बड़ी मुश्किल से ही निजी उद्देश्य पूरा कर सकता है। उसे लोगों से अपने मात्र अनुयायी के रूप में नहीं अपितु व्यक्ति के रूप में व्यवहार करना चाहिए। उसे उनके मस्तिष्क और हृदय में उतर जाने की कला आनी चाहिए। इस मायने में एस० एम० जोशी एक पूरे नेता थे। वह युवकों, विभिन्न उद्योगों के श्रमिकों तथा महाराष्ट्र और वास्तव में भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच समान रूप से लोकप्रिय थे।

एस० एम० जोशी घोर गरीबी में पलकर बड़े हुए। बचपन में दीपावली के पर्व पर उन्हें अच्छा खाना नसीब नहीं हो पाता था। उन्होंने अपने बाल्यकाल के अनुभवों से ही जीवन के कठोर पाठों को पढ़ लिया था। अपने अनुयायियों में वे 'एस० एम०' के नाम से जाने जाते थे। वे उनसे अपनी दिल की बात खुलेपन, निर्भयता तथा उन्मुक्तता से कहते थे। लोगों से उनका व्यवहार अभिन्न और मित्रवत होता था। इससे उन्हें उनकी समस्याओं और परेशानियों को स्पष्टतः समझने में आसानी होती थी। एक बार उनके कार्य की अत्यावश्यकता तथा उद्देश्य के ईमानदार होने को, जानने के बाद वह अन्याय के प्रति लड़ने को तैयार हो जाते थे।

'एस० एम०', तीसरे दशक में साम्प्रदायिकता के विरुद्ध एक दृढ़ सिपाही के रूप में उस समय उभरे, जब पुणे स्थित "पार्वती मंदिर" में प्रवेश हेतु किए जाने वाले सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया। हरिजनों का इस मंदिर में प्रवेश निषिद्ध था। तभी से उनमें एक लड़ाकू भावना घर करके बैठ गई। अपनी युवावस्था में उन्होंने नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में कार्य किया था। ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध लड़ने के लिए हिन्दू मुस्लिम एकता की अगुआई करने पर एक बार हिन्दू साम्प्रदायवादियों ने पुणे में उनकी पिटाई की थी।

---

*डा० बापू कालदाते संसद सदस्य (राज्य सभा) हैं।

मेरा उनसे प्रथम परिचय तब हुआ जब वे सन् 1942 के भूमिगत आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। लहराती हुई दाढ़ी और फर की टोपी पहने एक मुस्लिम कार्यकर्ता के भेष में तब वे भूमिगत कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को संगठित कर रहे थे। बाद में वह लोकतांत्रिक समाजवाद, समानता और सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले एक शांतिप्रिय तथा धर्मनिरपेक्ष युवा संगठन, "राष्ट्र सेवा दल" के प्रमुख संस्थापक सदस्य बने।

एस० एम० जोशी कई दशकों तक एक लोकप्रिय और सक्रिय श्रमिक नेता रहे। उन्होंने हड़तालों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। उपवास रखे, जेल गए और पूरे भारत में हजारों ट्रेड यूनियन कामगारों का निर्भीकता से मार्ग निर्देश करते रहे। साथ ही वह उन विरले ट्रेड यूनियन नेताओं में से थे जिन्होंने कामगारों से कहा कि "वे उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक कार्य करें। निस्संदेह हड़ताल करना आवश्यक है लेकिन हमें राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि के प्रयास को तथा इसके साथ-साथ अपने कल्याण एवं जीवन में शांति तथा सुरक्षा को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए"।

स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद राष्ट्र सेवा दल ने "शाखा" (बच्चों का खेल क्लब) सेवा पाठक (ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रमों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाला दल), कला पाठक (जन सामान्य को नई विचारधाराओं से शिक्षित और मनोरंजन करने वाले सांस्कृतिक दल) भूदान (खेती करने वालों को भूमि का वितरण) अध्ययन मण्डल और अंतर-भारती (राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम) जैसी विविध गतिविधियों, द्वारा बच्चों, युवकों और सभी वय के पुरुषों को आपस में जोड़ने का कार्य तेजी से किया। इन सब गतिविधियों में भाग लेने वाले सैकड़ों युवक युवतियों के लिए 'एस० एम०' प्रेरणा का स्रोत थे। वह कैम्प में अध्ययन मण्डलों तथा संगठन की अन्य गतिविधियों में भी उपस्थित रहा करते थे।

इसी अवधि के दौरान, अर्थात 1954 में, जयप्रकाश नारायण जब बिहार में राष्ट्र सेवा दल की गतिविधियां शुरू करना चाहते थे तो 'एस० एम०' ने मुझसे इस कार्य को संचालित करने हेतु एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर बिहार जाने का अनुरोध किया था। उन्होंने मुझसे कहा था, "जयप्रकाश जी के साथ रहने से आपके जीवन-अनुभव में तो विस्तार होगा ही साथ ही महाराष्ट्र से बाहर भी कार्य करने का अवसर मिलेगा।" उनकी सलाह के अनुसार मैंने बिहार में जयप्रकाश जी के साथ शेखोदौरा आश्रम में कार्य किया और यह मेरे जीवन का एक अनोखा अवसर था।

जब मैं बिहार में था, तो 1955-56 में 'संयुक्त महाराष्ट्र' आन्दोलन ने एक गंभीर मोड़ ले लिया और मेरा महाराष्ट्र वापस आना आवश्यक हो गया। इस आन्दोलन में मैं जेल

गया और जेल से वापस आने के बाद इस अभियान में 'एस० एम०' की सहायता करना अनिवार्य था। मैंने काफी समय तक उनके निजी सचिव के रूप में कार्य किया और मुझे उनसे संगठन संबंधी काफी अनुभव प्राप्त हुआ। 'एस० एम' की ईमानदारी, समर्पणभाव और मानवतावाद से मुझे सदैव प्रेरणा मिलती रही। उन्होंने मुझे नए सिरे से गढ़ा तथा मेरे व्यक्तित्व को एक आकार दिया जिससे मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बन सका।

जब मैं उनका निजी सचिव था, तो मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। सुधा मायदेव नाम की एक छात्रा पुणे विश्वविद्यालय में एम० ए० पाठ्यक्रम में पढ़ रही थी। वह राष्ट्र सेवा दल में भी थी। हमने शादी करने का फैसला कर लिया। अलग-अलग जाति और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण हम दोनों के परिवार में इसका कड़ा विरोध हो रहा था। उस समय न तो अन्तरजातीय विवाह प्रचलित थे और न ही लोकप्रिय थे। अन्ना (जैसा कि 'एस० एम०' को लोग प्यार से बुलाते थे) मेरे पिता और सुधा के पिता दोनों से मिले और 1957 में हमारी शादी होने से पहले दोनों परिवारों के तनाव दूर करने में सहायता की। अन्ना ने न केवल इस मामले में मेरी सहायता की बल्कि मेरे पिता को इस बात के लिए भी सहमत कर लिया कि वह मुझे राष्ट्र सेवा दल में पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करने के लिए अनुमति दे दें। यद्यपि मैं उस समय डाक्टर था, फिर भी मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को सदा के लिए छोड़ने और राष्ट्र सेवा दल में रहकर सामाजिक कार्य के व्यापक क्षेत्र में कार्य करने का फैसला किया। हमारे जीवन के ये दोनों बहुत कठिन निर्णय थे जिनमें 'एस० एम०' ने दृढ़तापूर्वक हमारा साथ दिया। उनकी सहायता से ही हम अपने वैवाहिक जीवन की अच्छी शुरुआत कर सके।

एस० एम० जोशी एक धैर्यवान पुरुष थे। वह शायद ही किसी से असंतुष्ट हुए हों अथवा नाराज हुए हों। वह मामलों को टालने की बजाय उन पर चर्चा करने में विश्वास करते थे। उन्होंने राष्ट्रसेवा दल में तथा समाजवादी दल की रैलियों और सामाजिक सुधारों और असमानता के विरुद्ध अनेक सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह अपने श्रोताओं को चाहे उनकी संख्या अधिक हो अथवा कम या एक ही व्यक्ति क्यों न हो, वह उन्हें अपने विचारों से सहमत कराने से कभी नहीं थकते थे। उनकी दृष्टि में, मन की शांति का अर्थ सूझ-बूझ और आगे बढ़ना था तथा ठहराव और डर के लिए उनके मन में कोई स्थान नहीं था। निर्भीकता 'एस० एम०' की विशेषता थी। वह अपने विरोधियों से बौद्धिक स्तर पर खुले मन से और स्पष्ट विचारों के जरिये तर्क-वितर्क करते थे। यद्यपि वह शारीरिक गठन की दृष्टि से दुबले-पतले थे, परन्तु पक्की मिट्टी से बने थे और अदम्य साहस तथा दृढ़ सैद्धान्तिक विचारधारा की मूर्ति थे। 'एस० एम०' का चरित्र शीशे की तरह साफ होने, उद्देश्य प्राप्ति के प्रति गंभीर होने के कारण उनका कोई शत्रु नहीं था। वह वास्तव में अजातशत्रु थे।

अपने जीवन के अन्तिम वर्षों में उन्हें अस्थि कैंसर हो गया था और वह इस जानलेवा

बीमारी से तीन वर्ष से भी अधिक संघर्ष करते रहे। वह सदैव प्रसन्न रहते थे और उनका साहस कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने बीमारी का मुकाबला "स्थितप्रज्ञ समदुख सुखं धीरं" की भावना से किया। बीमारी के दौरान भी भारत और विदेशों की सामाजिक-राजनैतिक घटनाओं के प्रति उनकी रुचि कम नहीं हुई थी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उनकी मृत्यु एक अति दुःखद और असाध्य रोग के कारण हुई। जीवन के आखिरी कुछ महीनों के दौरान तो उन्होंने महंगा उपचार कराने से भी मना कर दिया था।

एस० एम० जोशी की अनेक रुचियां थीं—जैसे अध्ययन, संगीत सुनना, अच्छी फिल्में देखना, फिल्म अभिनेत्रियों और अभिनेताओं के बारे में चर्चा, बच्चों के साथ खेलना और अपने पोतों को कहानियां सुनाना।

आपातकाल के दौरान उनके पत्रों ने अनिश्चय और विकट स्थिति का सामना करने के लिए अनेक परिवारों को साहस प्रदान किया। वह धनराशि एकत्रित करने, परिवारों की सहायता करने और जेल के अन्दर तथा बाहर नेताओं के साथ बातचीत करने में सक्रिय रहते थे। इन प्रयासों से विपत्तिग्रस्त परिवारों की बहुमूल्य सेवा हुई। एस० एम० जोशी ने जनता पार्टी के गठन और इसकी नीतियां बनाने तथा इसके राजनैतिक भविष्य के बारे में प्रमुख और महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। पार्टी के विखंडन से उन्हें बहुत दुःख हुआ।

'एस० एम०' महाराष्ट्र विधान सभा, संसद तथा अनेक निकायों, न्यासों आदि के सदस्य थे। किन्तु मूलतः वह जन नेता थे। वे अनेक स्वयंसेवी संगठनों से सम्बद्ध रहे। जब वह विधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने अपना मानदेय त्यागकर उससे अनेक श्रमिकों की सहायता की। उनके मन में कभी किसी पद की इच्छा नहीं थी। उनकी महानता इस तथ्य से झलकती है कि उन्होंने अपने त्याग के कार्यों से न तो कोई पूंजी बनायी और न ही इन महान कार्यों को प्रदर्शित किया। किसी वस्तु की सुन्दरता का मूल्यांकन करने में वह सिद्धहस्त थे। वह श्रमिकों और उनके बच्चों की प्रगति पर खुशी महसूस करते थे। हम सभी का सुख और दुख बांटने के गुणों ने उन्हें हमारे एक नेता से बढ़कर बना दिया। हमारे बीच उनकी उपस्थिति प्राधिधर्माध्यक्ष के सामान होती थी; उनकी उपस्थिति में हम अपने को बौने महसूस करते थे किन्तु शीघ्र ही वे हमारे बीच घुलमिल जाते और हमारे अभिन्न अंग बन जाते थे।

अन्ना ने हमें अन्याय के विरुद्ध डटे रहने और कष्टों का सामना करने तथा अपने उद्देश्यों और आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहने के लिए बहुत बड़ा साहस दिया। यद्यपि वह हमारे बीच नहीं हैं, किन्तु उनके जीवन और आदर्श से हमें सदा प्रेरणा मिलती रहेगी। आज की जटिल सामाजिक-राजनैतिक स्थिति में अन्ना जैसे व्यक्ति को कोई खो सकता है, किन्तु मुझ पर तथा मेरे समान अन्य व्यक्तियों पर उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। इस परिदृश्य से जुदा होने तक हम इसे संजो कर रखेंगे।

आज के युवाओं को उनके जीवन से सीखना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति का किसी मामले पर संघर्ष उचित है, तो उसे सही और गलत को चुनने में कठिनाई नहीं होती। किसी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष हेतु दृढ़ संकल्प का होना अनिवार्य है। इस संकल्प के बिना आशा और जीवन शक्ति का ह्रास होगा तथा धीरे-धीरे इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वह कहा करते थे "पागल हो जाओ—पूरे पागल; स्वतंत्रता प्राप्त करने की बात हो या अन्याय दूर करने की अथवा बोनस प्राप्त करने की बात हो—किसी भी बात के लिए कभी आधे पागल मत बनो।" वह हमसे कहा करते थे "अपने मूल्यों के प्रति निष्ठावान और ईमानदार रहो और चुनौतियों को प्रसन्नता और साहसपूर्वक स्वीकार करो"। मुझ जैसे अनेक व्यक्तियों ने एस० एम० जोशी के यशस्वी जीवन से प्रेरणा ली। उनके अधीन प्रशिक्षण पाकर अनेक व्यक्ति लाभान्वित हुए। वे सोने की खान के समान थे, जिसका अनेक व्यक्तियों ने प्रचुर लाभ उठाया। वे आज एस० एम० जोशी द्वारा छोड़ी गयी सम्पत्ति के जीवंत प्रमाण हैं।

8

एस० एम० जोशी—एक प्रसन्नचित्त योद्धा

—एन० जी० गोरे*

जब भी मैं स्वर्गीय श्री एस० एम० जोशी, जिन्हें लोग केवल 'एस०एम०' के नाम से जानते थे, के बारे में लिखने के लिए कलम उठाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लेख उनका जीवन-चरित्र बनने के बजाय मेरी ही आत्मकथा का रूप ले रहा है और तब मैं अपने आप से कह उठता हूं कि "यह अन्यथा हो ही नहीं सकता क्योंकि जब दो व्यक्ति जीवन पर्यन्त साथ-साथ रहते हैं और जिनके आचार-विचार एक समान होते हैं, तो एक से यह अपेक्षा कैसी की जा सकती है कि वह दूसरे के बारे में पूर्णतः निष्पक्ष होकर लिखे। ऐसी स्थिति में दूसरे की जीवनी में भी लेखक का व्यक्तिगत पुट आना स्वाभाविक है।"

यह सच है कि 1922 से लेकर 'एस० एम०' के अंतिम सांस लेने तक हमने एक साथ मिलकर समस्याओं पर सोचा, एक साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, एक साथ जेल काटी और एक साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हुए। इतना ही नहीं, बल्कि श्रमिक आंदोलन सहित अनेक आंदोलनों में चाहे वह सामाजिक-परिवर्तन के लिए किया गया हो अथवा गोवा मुक्ति के लिए हम कभी अलग नहीं हुए। परिणामतः हमारे राजनैतिक और सामाजिक कार्य परस्पर अधिकाधिक गुथते हुए। इस एकता में भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि न तो 'एस० एम०' ने अपना निजीपन और प्रतिभा खोयी और न मैंने। मैं यह दावा करता हूं कि भारत में कहीं भी किसी को भी ऐसे दो दोस्त नहीं मिलेंगे जो यदा-कदा मतभेदों और भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत हितों के बावजूद, 60 वर्ष से अधिक समय तक प्रगाढ़ मित्र बने रहे हों। मुझे इस पर सचमुच गर्व है।

'एस० एम०' ने अपने आप में पूर्ण और यशस्वी जीवन जिया। उनका जन्म पुणे में नहीं हुआ था, बल्कि पश्चिमी तट पर बसे एक छोटे से गांव में हुआ था जो अभी भी उपेक्षित रत्नगिरि बन्दरगाह से अधिक दूर नहीं है। जोशी परिवार उन दिनों से अनेक अन्य चितपावन ब्राह्मण परिवारों की तरह वंश परम्परा से तो समृद्ध था, परन्तु गरीबी से

* श्री एन० जी० गोरे ब्रिटेन में भूतपूर्व उच्चायुक्त और भूतपूर्व संसद सदस्य हैं।

अभिशप्त था। 'एस० एम०' के पिता एक निम्न संवर्ग के सरकारी कर्मचारी थे, और उनकी भी असामयिक मृत्यु हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप परिवार बिखर गया था। इससे परिवार पर दुर्भाग्य के बादल गहरा गये थे। बालक 'एस० एम०' को पुणे जाना पड़ा जहां उन्हें अपनी सारी व्यवस्था स्वयं करनी पड़ी। उनका जीवन बहुत ही परिश्रमपूर्ण रहा और उनके विद्यार्थी जीवन में अनेक बार व्यवधान आये। जब मैंने लोकमान्य तिलक तथा समाजसुधारक अगरकेर द्वारा स्थापित डेक्कन एजूकेशन सोसायटी के न्यू इंगलिश स्कूल में प्रवेश लिया, जहां पर वह भी पढ़ते थे, तब मैंने देखा कि यद्यपि हम एक ही कक्षा के विद्यार्थी थे, किन्तु 'एस० एम०' हम सबसे वरिष्ठ छात्र थे। मुझे शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि उनका प्रभाव केवल हमारी कक्षा में ही नहीं, बल्कि सारे स्कूल में है। ऐसा उनकी उम्र बड़ी होने के कारण नहीं था, बल्कि उनके अनेक सदगुणों के कारण था जिनका परिचय वह उस समय भी देते रहते थे। 'एस० एम०' कक्षा में तो मेधावी छात्र नहीं रहे परन्तु वह बहादुर थे और बचपन से ही उनमें नेतृत्व के गुण विद्यमान थे।

यद्यपि वह हमेशा खाली जेब रहे परन्तु अपने माता-पिता से उन्हें ऐसा सुंदर और गोरवर्ण एवं तेजयुक्त शरीर प्राप्त हुआ था कि देखने वाले को स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या होने लगती थी। उनका कद लम्बा, तन छरहरा परन्तु सुगठित था। उनके घने काले बाल थे जिन्हें वह बड़ी सावधानी से संवारते थे और शायद वह उन्हें संवारने में गौरव का अनुभव करते थे। परन्तु सबसे अधिक आकर्षक थीं उनकी बड़ी-बड़ी नीलिमायुक्त भूरी आंखें जो सदैव स्मरणीय रहेंगी। इन आखों की विशेषता यह थी वे अन्याय और बेईमानी की तनिक सी आशंका से भी तमतमा जाती थीं और कोई भी अच्छा कार्य होने पर खुशी से नाच उठती थीं। बुद्धिजीवी शब्द के वास्तविक अर्थ में तो उन्हें बुद्धिजीवी नहीं कहा जा सकता किन्तु उनमें पूर्ण विवेक था। वह अत्यधिक ईमानदार थे और एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे।

उस समय के हमारे जैसे कई लोगों की तरह वह मार्क्स के बड़े प्रशंसक थे किन्तु मार्क्स से भी अधिक उन्हें गांधी जी ने प्रभावित किया था। मेरा अनुमान है कि ऐसा इसलिए हुआ कि वह स्वभाव से एक रचनात्मक कार्यकर्ता थे। एक मंजे हुए मिस्त्री की भांति वह एक-एक ईंट जोड़कर निर्माण करना पसन्द करते थे। तीस के दशक में कुछ वर्षों के लिए जब वह स्वर्गीय एम० एन० राय से प्रभावित हुए, तो मुझे आश्चर्य हुआ था लेकिन मैंने इसे एक ऐसा अस्थाई प्रभाव मान लिया था जो आने वाले वर्षों में स्वतः ही कम हो जाएगा। उन्हें उर्दू पसन्द थी और वह उर्दू भाषा धाराप्रवाह बोलते थे। "भारत छोड़ो" आन्दोलन के दौरान भूमिगत रहकर संघर्ष करने में उर्दू भाषा में उनकी प्रवीणता और उनकी दाढ़ी ने जो उन्होंने किसी विशेष अवसर के लिए बढ़ाई थी, उनकी बहुत मदद

की। वह मुस्लिम के रूप में बम्बई और यहां तक कि उत्तर-पश्चिम सीमांत क्षेत्र में भी बेधड़क घूमते-फिरते रहते थे। इमाम साहिब, जिस नाम से हम उस समय उन्हें पुकारा करते थे, महीनों तक खुलेआम इधर-उधर आते-जाते रहे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

उन्होंने वर्ष 1954-55 में संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन का नेतृत्व किया और वह अपनी यश-प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच गए। समस्त दक्षिणी महाराष्ट्र भावनात्मक रूप से जल रहा था और विशेषकर बम्बई में यह अग्नि अपने चरम बिन्दु को छू गई थी। पुलिस द्वारा निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाए जाने, जिसमें कुछ लोग मारे गए थे, की प्रतिक्रिया के रूप में जब उत्तेजित भीड़ ने एक युवा पुलिस अधिकारी को घेर लिया जिसे जान का खतरा था, तब 'एस॰ एम॰' दृढ़ता से उस अधिकारी और रक्तपिपासु भीड़ के बीच खड़े हो गए। उन्होंने आक्रमणकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि युवा पुलिस अधिकारी को कुछ कहने से पहले उन्हें मुझे मारना होगा। 'एस॰ एम॰' को देखकर भीड़ तितर-बितर हो गई और एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना होते-होते बच गई। 'एस॰ एम॰ की यह कार्यवाही गांधीवाद के उच्च आदर्श के अनुरूप थी। किसी भी अन्य देश में ऐसे उदाहरण शायद ही मिलें।

'एस॰ एम॰' विधायी कार्य को अपनी प्रतिष्ठा के मुकाबले कहीं अधिक महत्व देते थे। वह पुणे से दो बार महाराष्ट्र राज्य विधान सभा के लिए चुने गए और बाद में इसी शहर से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए। विपक्ष में एक विधायक के रूप में वह सदैव चौकन्ने रहकर रचनात्मक भूमिका अदा करते थे। लोकतांत्रिक समाजवादी मूल्यों में अटूट आस्था होते हुए भी उन्होंने कभी सरकार की नीतियों की आलोचना तुच्छ स्तर पर उतर कर नहीं की। न तो कभी उन्होंने दल बदला और न ही कभी उपद्रवपूर्व प्रदर्शन किए, जो आज संसदीय कार्य प्रद्धति के अनिवार्य अंग समझे जाते हैं। 'एस॰ एम॰' अच्छे वक्ता नहीं थे और वह बनना भी नहीं चाहते थे। किन्तु वह जो कुछ भी सदन में बोलते थे दृढ़ विश्वास, निष्ठा पूर्ण और दलितों एवं शोषितों के प्रति वास्तविक सहानुभूति के साथ बोलते थे।

महाराष्ट्र में उन्होंने राष्ट्र सेवा दल का गठन और विकास किया और यह राज्य के लिए 'एस॰ एम॰' का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। भारत के अन्य राज्यों में इसी प्रकार के प्रयास न किया जाना बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। 'एस॰ एम॰' के योगदान का सही मूल्यांकन करने के लिए इस तथ्य को ध्यान में रखना आवश्यक है कि भारत एक रूढ़िगत परम्पराओं, परस्पर विरोधी धार्मिक विश्वासों, विभाजनकारी जाति प्रथा और आय व हैसियत में भारी अन्तर वाला देश है। भारत कभी भी वैसा राष्ट्र नहीं रहा जो आधुनिक

राष्ट्र शब्द से अपेक्षित है। यहां साम्प्रदायिक तथा कट्टरवादी शक्तियां जन्म लेती रही हैं। भारतीय समाज के ताने-बाने में जो विघटनकारी प्रवृत्तियां पनपीं वे सदा ही धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के विकास में बाधक रही हैं। परस्पर विरोधी इन शक्तियों के बीच से राष्ट्र का निर्माण करने के लिए भारत के लोगों को एक नई सोच, एक नया व गतिमान दृष्टिकोण, एक नया लक्ष्य देना अनिवार्य था। यह सब तभी संभव था जबकि युवा पुरुषों तथा महिलाओं का एक नया दल गठित किया जाता, जिसमें लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का संचार किया जाता और जो जाति, पन्थ, धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर देख सकते। यदि स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल पश्चात् के वर्षों में ऐसे प्रयास किए गए होते तो भारत इस तरह की अलगाववादी और साम्प्रदायिक शक्तियों का शिकार नहीं बना होता जैसा कि वह आज बना हुआ है। राष्ट्र-निर्माण के लिए किए गए 'एस० एम०' के योगदान को ठीक से समझने के लिए हमें इस तथ्य पर भी ध्यान देना होगा कि भारत के 60 प्रतिशत नागरिक, पुरुष तथा महिलाएं अभी भी निरक्षर हैं और वे प्रजातंत्र, समानता, स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों से अनभिज्ञ हैं। वे केवल इस मायने में शिक्षित हैं कि वे पौराणिक दन्तकथाओं तथा मिथकों को मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी सीखते आ रहे हैं।

'एस० एम०' मृत्यु-पर्यन्त प्रसन्नचित्त और संघर्षरत रहे। आज जिस अशान्त व तनावपूर्ण संसार में हम जी रहे हैं उसमें 'एस० एम०' का स्मरणीय संदेश याद करके मुझे प्रोत्साहन एवं शांति प्राप्त होती है और मेरे ख्याल से वह संदेश है "प्रयास करना, लक्ष्य निर्धारित करना और उसे प्राप्त करना, न कि हारकर बैठ जाना"।

9

एस० एम० जोशी—एक जननेता

—प्रो० समर गुहा*

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन और स्वातंत्रयोत्तर दिनों में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों के लिए किए गए संघर्ष के इतिहास में समाजवादी व्यक्तियों के योगदान को निश्चित रूप से याद किया जाएगा। एस० एम० जोशी समाजवादी व्यक्तियों में एक विख्यात हस्ती थे जो वर्ष 1934 में गठित कांग्रेस समाजवादी दल के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते थे। उन्होंने उस समय तीस वर्ष के एक युवक के रूप में, हालांकि तब वे आचार्य नरेन्द्र देव, जयप्रकाश नारायण, युसुफ मेहरअली, मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और अन्य नेताओं की भांति नई पार्टी के अग्रणी नेताओं की श्रेणी में नहीं आते थे, पूरे महाराष्ट्र में तथा बम्बई और अन्य क्षेत्रों में इस पार्टी की स्थापना के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने समाजवादी आदर्शों के प्रति पूर्णरूपेण समर्पित एक सुयोग्य संगठनकर्ता के रूप में एस० एम० जोशी व्यापक रूप से लोकप्रिय हो गए और उन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना के पश्चात् शीघ्र ही समाजवादी क्षेत्र में सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर लिया।

एस० एम० जोशी में ऊंचे व्यक्तित्व जैसा कोई विशेष आकर्षण नहीं था, परन्तु अपने कार्यकलाप से उन्होंने अपने नेतृत्व के क्षेत्र में एक प्रभावपूर्ण स्थान बना लिया था। उनके सादा और आडम्बरहीन जीवन, उनके मानवीय आचरण, अपनी पार्टी के सामान्य लोगों के साथ मित्रवत् व्यवहार और जन सामान्य के हित के लिए अनवरत संघर्ष तथा समाजवादी आदर्शों में उनकी निष्कपट श्रद्धा ने उन्हें सबका प्रिय बना दिया। एस० एम० जोशी के प्रति उनके समाजवादी मित्रों की सामान्य भावना इतनी मर्मस्पर्शी थी कि जयप्रकाश नारायण को छोड़कर, जिन्हें बड़े और छोटे सभी समाजवादी मित्र अत्यन्त स्नेह के साथ जे० पी० के नाम से पुकारते थे—केवल एस० एम० जोशी ही ऐसे समाजवादी नेता थे जो अपने सहकर्मियों और सहयोगियों सभी के बीच प्रेमपूर्वक केवल 'एस० एम०' के नाम से जाने जाते थे।

---

* प्रो० समर गुहा, भूतपूर्व संसद सदस्य हैं।

'एस० एम०' मानते थे कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राजनैतिक सत्ता एक अनिवार्य साधन है। किन्तु वह निजी तुष्टि के लिए सत्ता के पीछे कभी नहीं दौड़े। वह सभी प्रकार के सामाजिक और राजनैतिक अन्यायों के विरुद्ध संघर्ष, जन आन्दोलन और जन संगठन बनाए जाने के पक्षधर थे ताकि सत्ता की मुख्य धुरी अन्ततः जनता के हाथों में रहे और जनता उसका उचित लोकतांत्रिक प्रयोजनों हेतु उपयोग कर सके।

'एस० एम०' ने अनेक चुनाव लड़े—कई चुनाव हारे और कई जीते। वह पुणे नगर निगम में एक प्रभावशाली सदस्य सिद्ध हुए। वह महाराष्ट्र विधान सभा के नेता थे और एक बार लोक सभा में भी रहे। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना के लिए सामूहिक संघर्ष हेतु महाराष्ट्र विधान सभा में पी० एस० पी०, सी० पी० आई०, पी० डब्ल्यू० डी०, आर० पी० आई० आदि कई विपक्षी दलों के संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व किया। वह अपनी कर्तव्यनिष्ठा, स्पष्टवादिता, लक्ष्य के प्रति ईमानदारी और सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार से महाराष्ट्र विधान सभा में उल्लेखनीय योगदान देने में सफल रहे। यह निर्णय किया गया कि विधान सभा में विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए संयुक्त मोर्चे की सभी पार्टियों को बारी-बारी से अवसर प्रदान किया जाएगा। यद्यपि 'एस० एम०' केवल एक कार्यकाल के लिए इसके नेता रहे, फिर भी संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व करने की उनकी निर्दलीय क्षमता में अन्य दलों का इतना विश्वास था कि विधान सभा के पूरे कार्यकाल के दौरान सभी लोगों ने उन्हें एक व्यावहारिक पथप्रदर्शक के रूप में देखा।

मैं 1967 में लोक सभा में 'एस० एम०' के साथ रहा। महाराष्ट्र विधान सभा में कार्य करने का गहन अनुभव होने के बावजूद, एस० एम० ने लोक सभा में एक प्रख्यात सांसद का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई विशेष उत्साह नहीं दिखाया। वे किसी विख्यात वक्ता के रूप में नहीं जाने जाते थे और न ही संसद में कोई जोशपूर्ण भाषण देने के लिए उत्सुक थे। किन्तु फिर भी, 'एस० एम०' सभा में किसी महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने से कभी नहीं चूके। वह सदैव अपने मन की बात कहते थे और जब कभी वह वाद-विवाद में भाग लेते थे तो उनके भाषण की अभिव्यक्ति तीक्ष्ण, स्पष्ट, तथ्यात्मक और विषयानुकूल होती थी। क्योंकि वह अपनी छवि एक योद्धा के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बना चुके थे जो अपने राजनैतिक जीवन में कभी किसी प्रकार की अनिश्चितता में नहीं पड़ा, अतः, सभा में उनके विचार अत्यधिक सम्मान और सराहना के साथ सुने जाते थे। उन्हें तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी से सदैव विशिष्ट सम्मान प्राप्त होता रहा।

प्रतीत होता है कि 'एस० एम०' एक जन्मजात योद्धा थे। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में जन्में 'एस० एम०' को अपनी स्कूल और कालेज की शिक्षा पूरी करने के लिए कड़ा संघर्ष

करना पड़ा। अपने स्कूल के दिनों में उन्हें लोकमान्य तिलक के उग्र राष्ट्रवाद से प्रेरणा मिली। महाराष्ट्र केसरी उनकी देशभक्ति का प्रतीक था। उनकी देशभक्ति की नवजागृत उत्कंठा ने उन्हें भारत की यात्रा पर आने वाले ड्यूक आफ कनाट के स्वागत के प्रतीक के रूप में ब्रिटिश बैज लगाने के लिए अपने स्कूल प्राधिकारी के आदेश की अवहेलना करने के लिए प्रेरित किया। वह इस प्रकार की दासोचित मानसिकता के समक्ष झुकने के लिए तैयार नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप उन्हें स्कूल प्राधिकारी से कड़ा दण्ड सहना पड़ा। कालेज से निकलने से पश्चात् उन्होंने अपने घनिष्ठतम मित्र श्री एन० जी० गोरे के साथ मिलकर उन दिनों के भारत के उग्र युवा नेता, सुभाष चन्द्र बोस के आह्वान पर युवक संघ (यूथ लीग) के गठन का कार्य आरंभ कर दिया। जोशी और गोरे ने पुणे में 1929 में बहुत ही सफलतापूर्वक आयोजित किए गए युवा सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए बोस को आमंत्रित किया। एस० एम० जोशी को बोस और "भारत की सम्पूर्ण स्वतंत्रता" के लिए उनका संदेश विशेष प्रिय थे। यद्यपि एस० एम० जोशी के पास वकालत के लिए कानून की उपाधि थी, फिर भी वह तिलक से विरासत में प्राप्त उग्र राष्ट्रवाद की भावना के वशीभूत होकर अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए पूर्णरूप से समर्पित हो गए। उनकी युवा पत्नी ताराबाई, जो उस समय स्कूल अध्यापिका थीं, ने उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए हर क्षेत्र में उनकी सहायता की। श्रीमती ताराबाई अपवादस्वरूप एक देशभक्त महिला थीं किन्तु एस० एम० अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को समर्पित करने की आकांक्षा रखते हुए भी वैसा नहीं कर पाए जैसा वे चाहते थे।

'एस० एम०' ने 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए ऐतिहासिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया। उन्होंने महात्मा गांधी के अहिंसक सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सन्देश को फैलाने के लिए महाराष्ट्र के गांव-गांव का दौरा किया। इस आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें दो बार गिरफ्तार किया गया तथा जेल में रखा गया। महाराष्ट्र की नासिक जेल में जब वह बन्द थे, उसी समय उनके तथा उनके समान विचार रखने वाले साथी कैदियों के मन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का विचार पैदा हुआ। चौथे दशक के मध्य में कांग्रेस के भीतर अनेक जुझारू किस्म के युवक भारत की आजादी हासिल करने के लिए महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आन्दोलन की राजनीति के विफल हो जाने के कारण घुटन सी महसूस कर रहे थे। जनता को संगठित करने एवं जन आन्दोलन चलाने के लिए एक ऐसे विकल्प की तलाश की जा रही थी जो महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों से संबंधित कार्यक्रम से बिल्कुल भिन्न हो, और इसलिए कांग्रेस के भीतर परिवर्तनवादियों की गतिविधियों को एक वैकल्पिक मंच प्रदान करने हेतु कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का तेजी से विकास हुआ, विशेष रूप से, नवयुवकों में, ब्रिटिश भारत के सभी प्रान्तों में चौथे दशक में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ।

इस संगठन के समाजवादी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने महात्मा गांधी के 1942 के

भारत छोड़ो आह्वान पर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वास्तव में, कांग्रेस कार्यसमिति के सभी सदस्यों की अचानक गिरफ्तारी के पश्चात् जय प्रकाश नारायण, जो जेल से भाग आए थे, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, एस० एम० जोशी जैसे भूमिगत समाजवादी नेताओं तथा अन्य अनेक व्यक्तियों ने 1942 की "अगस्त क्रांति" के अग्रणी नेताओं की भूमिका निभाई। एस० एम० जोशी भी "करो या मरो" के राष्ट्रीय संघर्ष को संगठित करने के लिए भूमिगत हो गए और चूंकि वह उर्दू अच्छी तरह बोल सकते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम बदलकर इमाम अली रख लिया तथा अपना कार्यक्षेत्र बम्बई से बदलकर कराची कर लिया। उन्हें 1943 में बम्बई में गिरफ्तार कर लिया गया तथा जेल में बंद रखा गया तथा 1946 के मध्य में जेल से रिहा किया गया।

एस० एम० जोशी अपनी युवावस्था में लोकमान्य तिलक की राष्ट्रवादी विचारधारा से गहन रूप से प्रभावित हुए। युवा आन्दोलन चलाते वक्त वह सुभाषचन्द्र बोस की संघर्षपूर्ण देशभक्ति से भी बहुत प्रभावित हुए। किन्तु चौथे दशक में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के समाजवादी नेताओं के साथ निकट का संबंध होने के कारण 'एस० एम०' ने भी आचार्य नरेन्द्र देव और जयप्रकाश नारायण के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के साथ वैचारिक दृष्टि से स्वयं को सम्बद्ध कर लिया। यद्यपि ये दोनों अति प्रमुख समाजवादी नेता मार्क्स के सिद्धांतों के संबंध में अपने समाजवादी विचारों को लेकर बातचीत करते थे तथा इनकी व्याख्या करते थे, फिर भी वे कट्टर मार्क्सवादी नहीं थे। उनके लिए अपने देश की आजादी की प्राप्ति, तात्कालिक वैचारिक प्रमुखता थी। वैचारिक दृष्टि से 'एस० एम०' पूरी तरह आचार्य और जे० पी० के साथ थे। किन्तु उन्होंने कभी भी सिद्धांतवादी बनना नहीं चाहा और न ही उन्होंने कभी कोई कठोर सैद्धांतिक रुख अपनाया। 1948 से, जब जे० पी० ने अपने दृष्टिकोण में आमूल परिवर्तन करके उसे मार्क्सवादी से बहुवादी दर्शन एवं गांधीवादी आचार शास्त्र के समाजवाद के मिश्रण के सिद्धांत की ओर उन्मुख किया, तो 'एस० एम०' ने भी धीरे-धीरे जे० पी० के विचार को स्वीकार करने के लिए स्वयं को परिवर्तित कर लिया। वस्तुतः जे० पी० की भांति 'एस० एम०' का झुकाव गांधीवादी राजनीतिक मूल्यों एवं जन संगठन के गांधीवादी तरीकों की ओर धीरे-धीरे बढ़ता गया। एस० एम० का सदैव यह विश्वास था कि एक सच्चे राजनीतिज्ञ को, जो वास्तव में जनता की सेवा करना चाहता है तथा उनका नेता बनना चाहता है, कभी भी दोहरा व्यक्तित्व—निजी जीवन में कुछ तथा सार्वजनिक जीवन में कुछ और—नहीं अपनाना चाहिए। एस० एम० जोशी के निष्पक्ष एवं सत्यनिष्ठ स्वभाव के कारण ही सभी राजनीतिज्ञ तथा महाराष्ट्र के लोग बड़ा सम्मान करते थे।

ब्रिटिश शासन के दौरान 'एस० एम०' ने अनेक संघर्षों में भाग लिया। गोवा मुक्ति आन्दोलन में भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किन्तु संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन

में उनकी भूमिका ने उन्हें एक प्रमुख महाराष्ट्री के रूप में चिरस्थायी मान्यता प्रदान की। इस आन्दोलन में उनका योगदान अधिक होने के कारण उन्हें सर्वसम्मति से उस संयुक्त महाराष्ट्र समिति का सेक्रेटरी चुना गया जिसका गठन पीएसपी, वर्कर्स एंड पीजैट पार्टी, कम्युनिष्ट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी तथा समिति के अन्य सम्बद्ध व्यक्तियों एवं सहयोगियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। क्योंकि इन सभी पार्टियों को उनके व्यापक दृष्टिकोण तथा निष्पक्ष विचारों में गहरा विश्वास था। 'एस० एम०' महाराष्ट्र के सभी वर्गों के लोगों के मन में निरन्तर भावनाओं को जगाते रहे तथा उन्होंने संयुक्त मोर्चे के इस आन्दोलन को एक वास्तविक जन आन्दोलन में बदलने में सफलता प्राप्त की। महाराष्ट्र के प्रस्तावित भाषायी राज्य के भूभाग में बम्बई को शामिल करना एक जोखिम का काम था, क्योंकि इस नगर में महाराष्ट्र और गुजरात के द्विभाषी समुदायों के लोग लगभग बराबर की संख्या में रह रहे थे। जैसे-जैसे आन्दोलन तेज होता गया, एक खतरनाक स्थिति पैदा होने लगी जिसके कारण बम्बई में महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों के बीच गंभीर भाषायी हिंसा फैल सकती थी। किन्तु 'एस० एम०' के बम्बई के सभी नागरिकों के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण तथा उनके साहसपूर्ण और देशभक्तिपूर्ण कार्य तथा गुजरात के लोगों की सुरक्षा को बनाए रखने के कार्य के प्रति उनकी निष्ठा ने अन्ततः बम्बई को एक बड़े भाषायी दंगे से बचा लिया। महाराष्ट्र की वर्तमान एवं भावी पीढ़ियां 'एस० एम०' को संयुक्त महाराष्ट्र के वर्तमान राज्य के निर्माता के रूप में सदैव याद रखेंगी।

'एस० एम०' ने स्वयं को संघर्ष, पीड़ा एंव त्याग के प्रति समर्पित कर दिया था तथा जब वह किसी संघर्ष या आन्दोलन में संलग्न होते थे, तो उनके चेहरे पर तेज भरा होता था। किन्तु वह मात्र एक आन्दोलनकारी ही नहीं थे। उन्होंने रचनात्मक कार्यों में भी गहरी रुचि ली। 'एस० एम०' एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में जाने जाते थे। वह फेडरेशन ऑफ डिफेंस वर्कर्स, पी एंड टी यूनियन तथा अन्य अनेक ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रेसिडेंट थे तथा उन्होंने सरकारी क्षेत्र के इन संवेदनशील संगठनों में अनेक हड़तालों तथा आन्दोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। किन्तु, 'एस० एम०' एक व्यावसायिक ट्रेड यूनियन नेता नहीं थे, उन्हें अस्पताल सेवाओं और अध्यापन कार्यों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों का आन्दोलनात्मक रूप पसन्द नहीं था। 'एस० एम०' का निर्माण कार्यों के प्रति सम्मान, उनका एक विशेष गुण था। वह महाराष्ट्र में अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों तथा लोकनायक जयप्रकाश नारायण के अधिकांश प्रारंभिक संगठनों से सम्बद्ध थे। रचनात्मक कार्य के लिए 'एस० एम०' की विशेष प्रतिभा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय सेवा दल जैसे समाज सेवा संगठन का निर्माण करने की प्रक्रिया में उभर कर आई। यद्यपि राष्ट्रीय सेवक संघ, जो महाराष्ट्र की भूमि में बहुत गहरा रचा बसा है, विशेषकर इसकी स्वयंसेवक शाखा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 'एस० एम०' को उनके बचपन के दिनों में आकर्षित किया, तथापि संघ द्वारा

गैर-हिन्दुओं को प्रवेश देने से इन्कार करने पर 'एस० एम०' का मन इसकी सदस्यता ग्रहण करने से उचट गया। उन्होंने महाराष्ट्र के सभी समुदायों के लिए उनके बीच सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्य करने हेतु, विशेषकर महाराष्ट्र के हिन्दू समुदाय से रूढ़िवाद तथा परम्परानिष्ठा का दोष मिटाने के लिए एक राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संगठन बनाया। वह प्रभावी ढंग से अपना स्वयंसेवी संगठन बनाने और उसे जीवन्त रूप देने में सफल रहे और इसमें उन्हें महाराष्ट्र के युवकों से समुचित सहयोग मिला। यह स्वयंसेवी संगठन, जिसे राष्ट्रीय सेवा दल के नाम से जाना जाता है और जिसके प्रमुख वास्तुकार का नाम 'एस० एम०' है, आज भी महाराष्ट्र में सक्रिय है।

एस० एम० जोशी एक उच्च जाति के चितपावन ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। महाराष्ट्र के सामाजिक जीवन में इस रूढ़िवादी समुदाय का परम्परागत प्रभुत्व था। किन्तु 'एस० एम०' बचपन से ही महाराष्ट्र के पिछड़े तथा निम्न वर्ग के लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के संघर्ष में जुट गए थे। बचपन में उन्होंने पूना के प्रसिद्ध पार्वती मन्दिर में हरिजनों के बेरोक-टोक प्रवेश के लिए जोरदार आन्दोलन चलाया। साठ के दशक में 'एस० एम०' ने भारतीय समाज में व्याप्त वर्तमान सामाजिक-आर्थिक विषमताओं को शीघ्र मिटाने के लिए पिछड़ों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, तथा महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर अवसर देने की डा० राम मनोहर लोहिया की समाजवादी धारणा का जी-जान से समर्थन किया। जब मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम डा० अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय रखने की मांग उठाई गई थी तो 'एस० एम०' ने महराष्ट्र के उच्च जाति के रूढ़िवादी लोगों के समस्त विरोध के बावजूद विश्वविद्यालय का नाम हरिजनों के हितों के लिए संघर्ष करने वाले और वर्तमान हिन्दू समाज के निम्न वर्ग के लोगों की सामाजिक-राजनैतिक इच्छाओं के प्रतीक महान व्यक्ति, डा० अम्बेडकर का सम्मान करते हुए, इस विश्वविद्यालय का नाम बदलने के आन्दोलन का पूरा-पूरा समर्थन किया।

'एस० एम०' को व्यक्तिगत रूप से जानने से पूर्व ही मैं उनके बारे में सुन चुका था। जब हमारी सुभासिस्ट फार्वर्ड ब्लाक का विलय पचास के दशक के आरंभिक वर्षों में गठित प्रजा सोशलिष्ट पार्टी के साथ हुआ, तो मुझे जयप्रकाशजी जो उस समय नई पार्टी के महासचिव थे, से मिलने के अवसर लगातार मिलते रहते थे। मैं जे०पी० से समाजवादी नेताओं की व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में यथासम्भव अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहता था। जे०पी० ने 'एस०एम०' के बारे में मुझे विस्तार से बताया—उनकी निष्कपट जीवन शैली उनकी सत्यनिष्ठा तथा राजनैतिक मूल्यों और नैतिकता में उनके विश्वास के बारे में बताया। जब 'एस०एम०' से मेरी भेंट हुई और फिर उनके साथ लगभग तीन दशकों तक काम करने का सुखद अनुभव हुआ, तो मैंने पाया कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के निकटतम और सर्वाधिक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में 'एस०एम०'

के व्यक्तित्व का जो आकलन जे० पी० ने किया था, वह कितना सटीक था। यह सत्य है कि **एस० एम० जोशी एक राजनैतिक पार्टी से सम्बद्ध थे, लेकिन सहज राजनैतिक जीवन में वह वास्तव में जननायक थे।**

10

एस० एम० जोशी — सामाजिक न्याय के निर्भीक योद्धा

— राजेन्द्र सिंह स्पैरो*

श्री श्रीधर महादेव जोशी अथवा 'एस० एम०' जैसे कि वह इस नाम से विख्यात थे, का जन्म 12 नवम्बर, 1904 को पुणे जिले के जुन्नार नगर में हुआ था। वह एक निम्न मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता जुन्नार स्थित न्यायालय में लिपिक थे जिनकी मृत्यु 'एस० एम०' के बाल्यकाल में ही हो गई थी। दरअसल, श्री जोशी ने अपने परिवार की गरीबी के वातावरण से प्रेरणा प्राप्त की थी जिसने उन्हें जीवन में आगे चलकर अत्यन्त सशक्त व्यक्ति बना दिया। अपने बाल्यकाल से ही राजनीतिक क्रांतिकारी के विशिष्ट सांचे में ढले व्यक्ति के रूप में वह सामाजिक न्याय के एक निर्भीक योद्धा थे। वह अल्पायु में ही देश के स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरह कूद पड़े और स्वतंत्र भारत में सत्ता की आकांक्षा किये बिना सदैव समाज के सबसे कमजोर वर्ग के हितों की हिमायत करते रहे। वह एक विख्यात राजनीतिक नेता, एक महान श्रमिक नेता और इन सबसे ऊपर मानवता के पुजारी के रूप में एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। 'एस० एम०' का लम्बा और छरहरा व्यक्तित्व वास्तव में पांच दशकों से भी अधिक समय तक देश में समाजवादी आन्दोलन का प्रतीक बना रहा।

फर्गुसन कालेज, पुणे से स्नातक की उपाधि पाने तक श्री जोशी के हृदय में देशभक्ति की लौ प्रज्वलित हो चुकी थी तथा वह राष्ट्रपिता के आह्वान के प्रत्युत्तर में देश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। सन् 1930 और 1939 के बीच, श्री जोशी को कई बार जेल भेजा गया। उन्होंने एक भाषीय मराठा राज्य की स्थापना की मांग उठाई और संयुक्त महाराष्ट्र समिति के नेता बने। 'एस० एम०' सहित युवा समाजवादियों के दल ने, 1937 में कांग्रेस द्वारा पद स्वीकार किए जाने का विरोध किया। 'एस० एम०' ने किसानों के उस मोर्चे का भी नेतृत्व किया जो काश्तकारी सम्बन्धी प्रगतिशील विधान की

*मेजर जनरल राजेन्द्र सिंह स्पैरो भूतपूर्व संसद सदस्य हैं।

मांग कर रहा था। सन् 1939 में वामपंथी एकता का नारा लोकप्रिय हो गया। लेकिन संयुक्त मोर्चे की राजनीति के परिणामस्वरूप कांग्रेसी समाजवादियों को भारी आघात पहुंचा।

हालांकि जोशी जी विवाह सूत्र में बंधने की इच्छा नहीं रखते थे, फिर भी कुमारी तारा पेंडसे ने जो कि एक शिक्षित लड़की थीं और बालिका विद्यालय में अध्यापिका के रूप में कार्य करती थीं तथा सामाजिक राजनैतिक कार्य क्षेत्र में जोशी जी के साथ कई वर्ष तक कार्य कर चुकीं थीं, उन्हें अपने साथ विवाह करने के लिए राजी, कर लिया और सन् 1939 में दोनो विवाह सूत्र में बंध गए। वह उनके सभी राजनैतिक कार्यकलापों में सदा उनके साथ रहीं। उनके दो पुत्र हुए।

श्री जोशी ने 1942 के "भारत छोडो" आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1943 में जब वह मुम्बई में छिपकर रह रहे थे, तब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध षडयंत्र के आरोप में उन्हें उनके अन्य समाजवादी मित्रों के साथ पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। तथापि, प्रमाण न मिलने के कारण बाद में वह रिहा कर दिए गए।

कांग्रेस में समाजवादियों ने एक स्वयंसेवी संगठन बनाया था और उसका नाम राष्ट्रसेवा दल रखा था। 'एस० एम०' को इस संगठन के अध्यक्ष पद को ग्रहण करने की पेशकश की गई जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और उनके कुशल नेतृत्व में उक्त संगठन के कार्यकलापों में काफी प्रगति हुई। ये लोग प्रायः श्रमदान करते थे और जब महाराष्ट्र में भारी अकाल पड़ा, तो उन्होंने वहां पर्याप्त राहत-कार्य किया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात्, 'एस०एम० श्रमिक आन्दोलन में अधिकाधिक रुचि लेते गए और काफी समय तक रक्षा कर्मचारी संघ के जनरल सेक्रेटरी, स्टेट बैंक कर्मचारी संगठन के चेयरमैन तथा ट्रासपोर्ट कामगार सभा, महारांष्ट्र के चेयरमेन रहे। उन्होंने अनेक श्रमिक हड़तालों का इस दृढ़ मान्यता के साथ नेतृत्व किया, कि हड़ताल के कारण उत्पादन पर कुप्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

श्री जोशी ने 1952 में 'गोवा स्वतंत्रता आन्दोलन' में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह सन् 1953 में भूतपूर्व मुम्बई विधान सभा के लिए चुने गए। उन्होंने संयुक्त महाराष्ट्र समिति का नेतृत्व किया और 1957 में विधान सभा के लिए पुनः चुने गए। संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी, परन्तु वर्ष 1962 में श्री जोशी महाराष्ट्र विधान सभा के चुनाव में पराजित हो गए थे। सन् 1967 में, वह सम्पूर्ण महाराष्ट्र समिति तथा संयुक्त समाजवादी दल के टिकट पर लोक सभा के लिए चुने गए। इन सभी चुनावों में, पुणे नगर उनका निर्वाचन क्षेत्र रहा।

श्री जोशी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। सन् 1964 में, उन्होंने **पूना डेली न्यूज** (1953) तथा **लोकमित्र मुम्बई** (1958-62) का सम्पादन किया। इसके अतिरिक्त, वह मराठी पत्रिकाओं में राजनीति और समाजवाद पर प्रायः लेख भी लिखते रहते थे। उनके प्रसिद्ध प्रकाशनों में **सोशलिस्ट्स क्वेस्ट फार राइट पाथ,** तथा मराठी में उनकी आत्म-कथा **"मी एस० एम०"** शामिल है। उनकी साठ वर्ष की आयु पूरी होने पर, उनका सार्वजनिक रूप से सम्मान किया गया। और उनकी सेवाओं की सराहना में दो पुस्तकें तथा उनके चुनिंदा लेखों तथा भाषणों का एक संग्रह भी प्रकाशित किया गया था।

लम्बी बीमारी के बाद, 1 अप्रैल, 1989 को श्री जोशी का पुणे में निधन हो गया। इस प्रकार अस्सी वर्षीय एक ऐसा महान नेता संसार से चला गया जो निश्चय ही प्रतिभा और देशभक्ति का प्रेरणादायक प्रतीक था। राज्य सभा के सभापति डा० शंकरदयाल शर्मा ने श्री जोशी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सभा में कहा था*:

> ".....श्री श्रीधर महादेव जोशी के निधन के साथ ही एक युग का अन्त हो गया। वह स्वतंत्रता से पहले के गांधीवादी युग तथा स्वातंत्रयोत्तर महाराष्ट्र और विशेषरूप से, देश की राजनीति के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। मूल्यों पर आधारित राजनीति में दृढ़ आस्था रखने वाले श्री जोशी.....श्री जंय प्रकाश नारायण, डा० राममनोहर लोहिया, आचार्य नरेन्द्र देव तथा समकालीन अन्य समाजवादी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस समाजवादी दल के एक संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी क्षण तक समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया और सामाजिक असमानताओं के साथ कभी समझौता नहीं किया; बल्कि वह तो इन विषमताओं को सहन भी नहीं कर सके थे। श्री जोशी जीवनभर गरीबों, पद-दलितों और हरिजनों की भलाई के लिए संघर्ष करते रहे और सदैव इन वर्गों के लोगों द्वारा सामाजिक न्याय तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त करने हेतु किए गए संघर्ष का नेतृत्व करते रहे।....."

---

* राज्य सभा वाद-विवाद, 3.4.1989, कालम 1-2.

भाग तीन

उनके विचार

(श्री एस.एम. जोशी के, संसद में कुछ चुने हुए भाषणों के अंश)

11

वर्ष 1964-65 और 1965-66 के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त का चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन*

उपाध्यक्ष महोदय, कई दिनों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में यहां बहस हो रही है। आज की बहस को देख कर मुझे ऐसा लगता है कि इस सवाल के बारे में हम लोगों को जिस गम्भीरता से सोचना चाहिये हम नहीं सोच रहे हैं। यह बड़े ही दुख की बात है। जो भी बात यहां बताई गई है, संख्या के हिसाब से बताई गई है और मैं समझता हूं कि कानूनों और नियमों को ले कर बाल की खाल निकाली जा रही है। मैं समझता हूं कि अब वह वक्त आ गया है, अब वह वक्त नजदीक है जब कि हम को संख्यात्मक दृष्टि से सोचना बन्द कर देना चाहिये और गुणात्मक यानि क्वालिटेटिव चेंज हमको लानी चाहिये। हम इसको नहीं लायेंगे तो जो विपत्ति आगे चल कर आएगी उनका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकेंगे।

यह महाराष्ट्र राज्य की खुश नसीबी है कि उस राज्य में अनुसूचित जातियों के एक महान नेता ने, एक महान विभूति ने, और अगर यह कहा जाए कि उनके एक मसीहा ने, जन्म लिया तो कोई गलत बात नहीं होगी। वहां भी आप देखें कि इन लोगों की क्या स्थिति है। मैं इस चीज को मानता हूं कि इन की वहां जो स्थिति थी उस में काफी सुधार हुआ है। लेकिन कुछ साल पहले वहां अनुसूचित जातियों के लोगों ने एक बहुत बड़ा आन्दोलन जमीन के लिए किया था। आजादी के लिए जो आन्दोलन हुआ था उसमें मैंने भी हिस्सा लिया था और मैं यह कहूंगा कि जो आन्दोलन इन लोगों ने उस वक्त किया था वह आन्दोलन इतना बड़ा था कि आजादी के बाद जितने आन्दोलन हुए हैं, उन आन्दोलनों में इतना बड़ा आन्दोलन हमने नहीं देखा है। लेकिन होता क्या है। पूरे देश में जो बड़े-बड़े समाचार पत्र रहते हैं उन में उस आन्दोलन का जिक्र तक नहीं आया। इसका मतलब यह होता है कि इस सवाल को जितना महत्व दिया जाना चाहिये, जितना

*लोक-सभा वाद-विवाद, 7 अगस्त, 1967, कालम 17586-17592

महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिये नहीं समझा जाता है। उस आन्दोलन में जो मांगें इन लोगों ने पेश की थीं उन मांगों को कुछ हद तक कबूल भी कर लिया गया था लेकिन उस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया।

महाराष्ट्र में, पूना जैसे शहर में जो डाक्टर अम्बेदकर साहब का पुतला है उसका अनावरण उन दिनों के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कर कमलों से हुआ था। इतना होने पर भी हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री में एक ऐसा यूनिट है जिस में अम्बेदकर जयन्ती की छुट्टी नहीं मिली थी जब कि बाकी जो डिफेंस इनस्टालेशंज थीं उन में मिली थी। इसके लिए कई शेडयूल्ड कास्ट के लोगों ने वर्क्स कमेटी में यह प्रस्ताव रखा कि अम्बेदकर जयन्ती की छुट्टी उन लोगों को मिलनी चाहिये। इस पर झगड़ा हुआ। मैंने उन दिनों के डिफेंस मिनिस्टर श्री यशवन्त राव चव्हाण को इसके बारे में लिखा था। इसका नतीजा यह हुआ कि उस यूनिट में भी उनको छुट्टी देनी पड़ी। लेकिन उसके बाद इसकी सजा उनके जो नेता थे उनको भुगतनी पड़ी। जो उन का नेतृत्व कर रहा था उस आदमी को दिल्ली में ट्रांस्फर कर दिया गया और दूसरे जो लोग भाग ले रहे थे उन में से एक का नाम श्री रणखाम्बे है, जिस के बारे में मैंने और हमारे दादा साहब गायकवाड ने भी डिफेंस मिनिस्टर साहब को लिखा है। मशीन पर काम करते हुए कुछ एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट की वजह से सरकार का नुकसान कुछ ज्यादा नहीं हुआ। लेकिन उस आदमी को चार्जशीट किया गया और उसके बाद उसको नौकरी से हटा दिया गया। यह क्यों होता है? मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे अपराध दूसरे लोगों की तरफ से होते हैं तो क्या उनको भी इस तरह की सजायें दी जाती हैं? नहीं दी जाती हैं। अगर उनको नहीं दी जाती हैं तो इनको इस तरह की सजा क्यों दी जाती है? इसलिए दी जाती है कि जो उच्च जाति के अफसर लोग हैं उनकी जहनियत अभी बदली नहीं है। अगर महाराष्ट्र में जहां डा० बाबा साहेब के नेतृत्व में बड़ा आन्दोलन हुआ था इस तरह का व्यवहार इन लोगों के साथ होता है, इस तरह से इन लोगों को भोगना पड़ता है तो दूसरी जगह क्या होता होगा, इसको सोचा तक नहीं जा सकता है।

आपने नौकरियां इनके लिए रिजर्व कर रखी हैं। उसी तरह से मैं जानना चाहता हूं कि शहरों में जो गृह निर्माण आयोग होते हैं वे जो मकान आदि बनाते हैं और जिन को वे उन मकानों को देते हैं रहने के लिए, क्या उन में कोई हरिजन भी होते हैं जिन को जगहें मिलती हैं। क्या अनुसूचित और अनुसूचित आदिम जातियों के जो लोग हैं उनके लिए भी वहां पर रिजर्वेशन होता है? बम्बई तथा पूना जैसे शहरों में मैं देखता हूं कि इन लोगों को हमेशा झुग्गियों में रहना पड़ता है और रह रहे हैं। उनको वहां जगह नहीं मिलेगी। उनके लिए कोई ऐसा निश्चय नहीं हुआ है कि उन के लिए यहां जगह निश्चित है। क्योंकि बड़े बड़े शहरों में लोगों को आज कल तो मकान मिलते नहीं हैं। गृह निर्माण वाले बनाए तो

हो सकता है। मैंने अपने मित्र नाना साहब कुठे से पूछा कि जब आप अध्यक्ष थे **गृह निर्माण आयोग** के तो आप ने उन के लिए मकान रिजर्व किये थे। उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ऐसा नियम नहीं है। मैं समझता हूं यह नियम फौरन होने चाहिये। रहने के लिए उन को जगह मिलनी चाहिए। लेकिन यह नहीं होता। ... **(व्यवधान)** मुझे दो तीन मिनट और चाहिये। यह बड़े महत्व का विषय है। सिर्फ हरिजन लोग ही इस में हिस्सा लेंगे ऐसा तो नहीं है।... **(व्यवधान)** तो मुझे आप से यह कहना है कि यह जो नौकरियों में जगहें रखी हैं यह इस लिए कि कोई भीख मांगने नहीं आये हैं, बल्कि यह जगहें इसलिए चाहते हैं कि यह जो नौकरशाह हैं और उच्च जाति के लोग हैं वह उनके खिलाफ एक षड़यंत्र बनाए हुए हैं और हर जगह यह षड़यंत्र उन के खिलाफ चलता है। कल मुझे जय प्रकाश नारायण जी से बात करने और उनका भाषण सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने मुझे बताया कि बिहार की कांग्रेस सरकार ने उन के लिए निवास स्थान रक्षा का कानून होमस्टेड्स एक्ट बनाया था। लेकिन उस के ऊपर हुकूमत की तरफ से अमल नहीं हुआ। जो लोग वहां हैं उन को डंडे के बल से दूसरों के द्वारा निकाला जाता है। पूर्णिया जिले की बात है। और उन्होंने यह भी बताया कि 'ग्राम दान', गावों में भी करना मुश्किल हो रहा है। उसी तरह से दूसरा कानून है शेयर क्रापर्स के लिए। लेकिन उस से भी क्या फायदा हुआ? कोई गैर-किसान जमीन बोता है तो जब फसल आयेगी तो उस की काट ली जाती है। उसका नाम शेयर क्रापर की तरह से रजिस्टर तक नहीं कराया जाता है। यह ऐसा काम है जो सिर्फ कानून बनाने से नहीं होने वाला है। उसे लोकमत और जनांदोलन की आवश्यकता है। मैं अपने मित्र अशोक भाई से कहूंगा कि आप इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, आप को देखना चाहिए कि यह जो लोगों की जहनियत में, मनोवृत्ति में क्रान्ति चाहिए उस को लाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन में इन का एक आदमी तो रहना ही चाहिए क्या आप बताएंगे कि पूरे भारत में एक भी आदमी उन में ऐसा लायक नहीं है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन में बैठ सके? लेकिन आज तक यह क्यों नहीं हो पाया? कहा जाता है, हम गौर कर रहे हैं? कब तक गौर करेंगे? अभी एक दूसरी बात मैंने अशोक भाई से पूछी थी। हमारे मित्र हैं। हमने उस दिन पूछा था कि यह जो बैक लाग है उस के बारे में क्या करने जा रहे हैं? अभी यहां मंत्री महोदय ने बताया कि 62, 63, 64 और 65 में उसे पूरा कर दिया जब कि यहां आप यह देखेंगे कि नौकरियों में उनका अनुपात 55 है, यानी अभी तक हुआ नहीं। तो इस बैक लाग को भरने के लिए क्या योजना आप करने वाले हैं? मेरा अपना सुझाव है कि इन के लिए आप लोगों को ऐसा करना चाहिए कि कोटा दुगुना कर दें, अगर न्यूनतम योग्यता है, और न्यूनतम योग्यता कोई भी आदमी रखता है तो इसको पूरा करने के लिए रिजर्वेशन के कोटे को दुगुना कर देना चाहिए।

एक बात और कह कर मैं समाप्त कर देता हूं। सदन से और आप से मैं अनुरोध करूंगा हमारे मित्र शिव नारायण ने जो भाषण दिया, उस की तरफ मैं आप का ध्यान खींचना चाहता हूं। मैं आपको यह कहता हूं कि यह बात इतनी आसान नहीं है। यह भित्ति लेख जो है, राइटिंग आन दि वाल्स जो है इस को नहीं देखेंगे तो इस का नतीजा बहुत बुरा होने वाला है जैसे अमेरिका में हो रहा है। जैसे ब्लेक रेसिस यानि नीग्रो लोगों के साथ हो रहा है वैसे ही यहां शिडयूल्ड कास्ट्स के साथ हुआ तो इस देश में भी उसी तरह का वर्ताव शिडयूल्ड कास्ट के लोग करेंगे जो कि नीग्रो लोग वहां कर रहे हैं। वही हालत यहां भी हो जायेगी तो उसके लिए जिम्मेदारी हुकूमत की होगी और हम लोगों की होगी। मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस वालों ने ही नहीं किया, बिहार में गैर-कांग्रेसी हुकूमत है, अगर वह भी इन के लिए कुछ नहीं करेंगे और जो कानून बना हुआ है उसको लागू नहीं करेंगे तो आज कांग्रेस शासन जिस तरह हटा दिया है उसी रास्ते से गैर-कांग्रेसियों को भी मिटा दिया जायेगा। अगर इस के लिए कोई कानूनी और अहिंसात्मक शांतिमय तरीका नहीं अपनाएंगे तो नतीजा बहुत खतरनाक होगा। अशोक भाई जिस नेशनल इन्टीग्रेशन की बात हम लोगों से करते थे, यह वही नेशनल इन्टीग्रेशन की बात है इसलिए आप को इस दृष्टि से सोचना चाहिए, इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हूं।

12

वेतन वृद्धि रोक नीति संबंधी संकल्प*

श्रीमन्, चक्रपाणि जी जो यह प्रस्ताव सदन के सामने लाये हैं उस के लिए मैं उन को बधाई देता हूं। बधाई इसलिए है कि जब यह डीअरनेस एलावेंस का मामला आज देश में लाया गया है और उस के ऊपर बहस हो रही है.....

** ** ** **

हां, गंभीर है और पेचीदा भी है और दूसरी एक बात यह भी है कि इस सदन में इस मामले को लेकर चर्चा करने का मौका अभी तक नहीं मिला था। इस मौके पर इस प्रस्ताव के जरिए हम लोगों को यह मौका मिल रहा है। पहले तो मैं आप को और आप के द्वारा हमारे जो वित्त मंत्री हैं उन का ध्यान एक बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। आज भारत में यह चर्चा है कि वेजेज़ और प्राइसेस को फ्रीज़ करना चाहिए। मगर यह फ्रीज़ की बात जो है यह भी एक झूठ है। हम समझते हैं कि हमारे देश में जो हमारे मजदूरों के वेजेज़ हैं, उन की जो तनख्वाह है, वह अभी फ्रीज़ हो गई है, एक जगह उस को जमाया हुआ है, उस को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। एक जगह बांध रखा है और आज झगड़ा अगर है तो वह जो हम को आज मिलता है उस से कम मिलने जा रहा है, उस को रोकने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम तो डी-फ्रीज़ की कोशिश कर रहे हैं। यानी नीचे जो हमारा जाता है वह नहीं जाना चाहिये। आज वही हालत शुरू हुई है। हम देखते हैं कि हम को डीअरनेस एलावेंस के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है और जो भी झगड़ा है मोरारजी भाई के साथ वह सिर्फ इतना झगड़ा है कि जितनी महंगाई बढ़ती जाती है उस के मुआवज़े में हम को उतना पैसा मिलना चाहिए। यानी पहले जितना पैसा मिलता था उस से कम नहीं मिलना चाहिए, यह हमारी मांग है। लेकिन यहां भ्रम पैदा किया जाता है कि हम लोग ज्यादा मांग रहे हैं। यह बात नहीं है। अभी कल यहां के जो नेता लोग हैं विरोधी दल के उन के साथ मोरारजी भाई की बातचीत हो रही थी और उन्होंने क्या बतलाया कि 175 करोड़ रुपया हम लोगों को देना पड़ेगा अगर महंगाई के बारे में खास कर के गजेन्द्र गडकर कमेटी की सिफारिशों को अमल में लायें तो और उस के बाद

*लोक सभा वाद-विवाद, 11 अगस्त, 1967, कालम 19019-19024

दलील यह है कि 175 करोड़ रुपया अगर हम मजदूरों के हाथ में दे दें तो प्राइसेज़ और भी बढ़ जायेगी। उस को बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। रिजर्व बैंक की तरफ से यह मत रखा गया है कि प्राइसेज़ जो बढ़ती हैं वह वेजेज़ के कारण नहीं बढ़ती हैं बल्कि प्राइसेज़ बढ़ती है, कीमत बढ़ती हैं इसलिए वेजेज़ की मांग भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन यह मोरारजी भाई मानेंगे नहीं। हमारे इस देश में और हर एक देश में यह होता है, इसे मान लेना चाहिए कि जो प्राइसेज़ होती हैं उस में एक सबजेक्टिव फ़ैक्टर भी रहता है। जैसे मोरारजी भाई खुद बखुद चर्चा करते हैं कि 175 करोड़ रुपया हम महंगाई के लिए दे दें तो प्राइसेज़ बढ़ जायेंगी। अब मोरारजी भाई खुद बखुद यह कहेंगे तो उस का नतीजा यह हो जाता है कि आगे चल कर वह तो हम लेने वाले हैं ही, मोरारजी भाई उस को रोक नहीं सकते हैं जो हमारा हक है वह तो हम ले लेंगें और मोरारजी भाई देंगे लेकिन उस का नतीजा यह होगा कि लूटने वाले जो हैं पहले से अपनी तैयारी कर के रखे हुए हैं कि जब भी महंगाई भत्ता मिलेगा तब मोरारजी भाई के कहने के अनुसार कीमतों को बढ़ा देंगे। कीमतों को बढ़ाने के लिए मोरारजी भाई प्रोत्साहन दे रहें हैं यह जो हमारी चीज है उस का झगड़ा पैदा कर के, अगर यह झगड़ा न होता तो कभी कोई पूछने वाला भी न होता, लेकिन अभी चर्चा चल रही है और मोरारजी भाई अपनी तरफ से कह रहे हैं कि अगर हम महंगाई भत्ता दे दे तो कीमतें बढ़ जायेंगी। तो जिस दिन वह देंगे उस दिन पान की दुकान वाला भी अपनी कीमतें बढ़ा देगा क्योंकि यह माहौल पैदा किया जाता है और हुकूमत की तरफ से किया जाता है और हम लोगों की, मजदूरों की बलि दी जाती है।

** ** ** **

स्टेट में क्या? जब आप के हाथ में केन्द्र की हुकूमत है तब स्टेट वाले क्या खाक करेंगे? यहां जब मोरारजी भाई बैठे हुए हैं जहां चार महीनों में चार करोड़ का डेफिसिट फाइनेंसिंग हुआ है, मोरारजी भाई खुद कहते हैं कि 80 करोड़ का डेफिसिट फाइनेंसिंग हुआ है तो क्या हम लोग बढ़ा रहे हैं। कीमतें बढ़ाने के लिए एक तरफ तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी हवा पैदा करते हैं कि मजदूरों को दे देंगे तो और भी कीमतें बढ़ जायेंगी। यह तो आप का प्रोत्साहन चल रहा है। जब लूटने वाले हैं उन को आप प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम इस का सख्त विरोध करते हैं। मोरारजी भाई का और हुकूमत का यह कहना है कि हम सब जगह कीमतों को फ्रीज करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे? प्राइसेज़ को फ्रीज के लिए पहले हमारे मजदूरों के वेजों पर फ्रीज लगा दिया क्या यहीं से धर्म चक्र शुरू किया जायेगा? चाहिए तो यह था कि जिनके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा मिल्कियत है, उन का पैसा पहले कम करें। उस दिन जब हमारे मित्र डा० लोहिया साहब ने प्रस्ताव रखा कि 15 सौ से ज्यादा किसी को खर्च नहीं करना चाहिए तो मोरार जी

भाई ने उस की खिल्ली उड़ाई और मजदूरों के लिए यह कहते हैं कि तुम को अपना खर्च ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि देश का इस में नुकसान होगा। लेकिन जिन के पास ज्यादा है, 15 सौ से ज्यादा जिन के पास पैसा आता है उन से क्यों नहीं कहते कि तुम्हारे ऊपर इनकम टैक्स लगाएंगे, उस के अलावा और भी पैसा तुम से लेंगे ताकि इन्फ्लेशरी प्रेशर न बढ़े? उन से यह नहीं कहेंगे। जब बड़े लोगों का सवाल आता है, धनिकों का सवाल आता है तो मोरारजी भाई उन के सामने ढीले पड़ जाते हैं और मजदूरों का सवाल आता है तो बहुत अपना जोर लगाते हैं। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा कि अगर मजदूरों ने स्ट्राइक किया तो वह सोचते हैं उस को कुचलने की कोशिश करेंगे मगर मैं उनको कहे देता हूं कि यह कुचलने की बात अब नहीं चलेगी। इन्टक ने, आई० एन० टी० यू० सी० ने और तमाम जितने मजदूर हैं सब ने यह फैसला कर लिया है, यह पार्टी का सवाल नहीं है, तमाम मजदूरों का सवाल है, यह सवाल है सामाजिक न्याय का, पहले इसे कहां से शुरू करना था? पहले तो जिस आदमी के पास ज्यादा दौलत है, ज्यादा मिल्कियत है, देश पर जब संकट है तो उस कों मदद देनी चाहिए, लेकिन यह होता नहीं है। मैं तो मोरारजी भाई से कहूंगा कि आप अगर प्राइसेज़ को रोकना चाहते हैं तो एक ही तरीका हो सकता है और वह यह तरीका है कि जिस के पास 1 लाख से ऊपर जायदाद हो उन से कहा जाये कि तुम को स्पेशल टैक्स देना चाहिए, स्पेशल लेवी देनी चाहिए, देश को आपत्ति का सामना करना है, उस के ऊपर टैक्स लगायें।

दूसरी बात यह कि जैसे आप ने रुपये का डीवैल्युएशन किया, हम कहते हैं कि आप उस का अपवर्ड ग्रेडेशन करें, उस का वैल्यूएशन बढ़ावें, आप करेंसी का डीमोनोटाइजेशन करें तब यह प्राइसेज़ नीचे आ सकती हैं नहीं तो नहीं। यह हो सकता है लेकिन मोरार जी भाई यह चीज करेंगे नहीं। इसलिए मेरा कहना यह है कि जो कीमतें बढ़ रही हैं उस के लिए हमारे मजदूर ही कारण नहीं। उस के लिए कारण हैं बड़े-बड़े सरमायेदार और जो हमने प्लान बनाए, तीन योजनाएं बनी जिनमें 25 हजार करोड़ से ज्यादा रुपया देश का खर्च हो गया लेकिन अमीर अमीर बनता गया और आपने उन से टैक्स नहीं लिया। जो हमारा प्लान है उस को भी आप देखें, जब कम रुपया हम ने खर्च किया तो रेट आफ प्रोडक्शन अच्छा था। पहली योजना में हम ने खर्च कम किया तो रेट आफ प्रोडक्शन ज्यादा था। जैसे-जैसे हमारा खर्चा ज्यादा बढ़ता जाता है, हम इन्वेस्ट ज्यादा करते जाते हैं वैसे-वैसे हमारा रेट आफ प्रोडक्शन कमती होता जाता है। जितना ही ज्यादा पैसा डालो उतना ही कम होता जाता है। पहली योजना में रेट आफ प्रोडक्शन ज्यादा था, अब कम है और चोरों का अड्डा सब जमा रहता है। इसलिए मैं आप के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और हुकूमत को कहता हूं कि अगर यह लोग यह समझते हैं कि मजदूरों को इस तरह से कुचल देंगे तो कतई यह हो नहीं सकता है। मंत्री अब मैदान में कह रहे हैं

कि आप लोगों को अगर देश की सेवा करनी है, देश की एकता को चाहते हैं तो मजदूरों से आप को प्रेम नहीं होना चाहिये प्रेम अगर होता है तो टाटा और बिड़ला से करो। तभी देश जिन्दा रह सकता है नहीं तो नहीं रह सकता है।

13

विधायकों द्वारा दल बदल किया जाना संबंधी संकल्प*

उपाध्यक्ष महोदय, सभा के सामने जो प्रस्ताव हमारे कांग्रेस के मित्रों ने रखा है उसके बारे में उसूलन मुझे कोई विरोध नहीं है। मगर मैं जब इस प्रस्ताव की तरफ देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के प्रस्ताव करके या कानून बना कर देश में मौजूदा जो हालत है उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। जो भी यहां हुआ है या दूसरी विधान सभाओं में हो रहा है वह कुछ वहीं तक ही महदूद नहीं है। वह तो एक सिम्पटम है। अपने देश में हमारे जीवन में जो पतन हुआ है उसका वह सिम्पटम है, एक लक्षण है और उस को अगर हमें दूर करना है तो कोई एक कानून बनाने से यह काम नहीं होगा। मुझे याद है कि जब यहां एक सवाल हमारे गृह मंत्री से पूछा गया कि क्या आप इस तरह का कोई कानून बनाना चाहते हैं तो उस वक्त उन्होंने यह जवाब दिया, वह यह कहते थे कि कोई कानून से यह काम बनेगा ऐसा तो हमें नहीं लगता है। तब हमने यह पूछा था कि आप ठीक कह रहे हैं। अगर सिर्फ कन्वेंशन भी हम बनावें तो उससे भी काम नहीं होना है और वह हमारे गृह मंत्री का खुद का अनुभव था इसलिए भी हमने उनको टोका और कहा कि आपने महाराष्ट्र में हम सब लोगों के साथ बैठ कर एक ऐग्रीमेंट हम लोगों के साथ किया था और उस एग्रीमेंट में हम लोग यह कह रहे थे जो आज कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे हैं। 1960 की बात है। हम लोग यह कह रहे थे कि यह दलबदल जो हो रहा है वह हम नहीं चाहते, इसलिए चलो हम लोग सब पार्टियां इकट्ठी बैठ जाएं और यह कन्वेंशन करें और कन्वेंशन भी छोटा सा था। हम यह कह रहे थे कि किसी आदमी को आप फ्लोर क्रास करने से तो रोक नहीं सकते हैं लेकिन कम से कम इतना तो करो कि अपनी पार्टी में उसको दाखिल मत करो। इसमें तो कुछ फर्क है या नहीं? समझो कि कोई आदमी वहां से यहां आया या यहां से वहां गया तो हम उसको अपनी पार्टी में कैसे ले लेते हैं? .....**(व्यवधान)**.....बहुत उदाहरण हैं। शुरू से देखा जाये तो वह भी एक महाभारत बन जायेगा।

*** *** ***

(व्यवधान)

आपको इतना भी सब्र नहीं है अशोक मेहता के बारे में मैं क्या कह रहा

*लोक सभा वाद-विवाद, 24 नवम्बर, 1967, कालम 2816—2822

हूं, यह आप जरा सुनते तो शायद आपको उठने का मौका ही नहीं मिलता। मैं यह कहने जा रहा था कि बार-बार हमारे मित्र अशोक मेहता का जिक्र यहां होता है। मगर अशोक मेहता ने हमारी पार्टी को छोड़ा तो वह कोई यहां हमारी पार्टी की तरफ से आये हुए सदस्य नहीं थे, यह आप सब लोग भूल जाते हैं।

*** *** ***

(व्यवधान)*

आप नहीं भूले हैं लेकिन यह लोग यह नहीं समझते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। अशोक मेहता ने जो कुछ बुरा काम किया है तो यह किया है कि अपने दूसरे मित्रों को फ्लोर क्रास करने के लिए कहा है। वह खुद फ्लोर क्रास नहीं किए।

तो मैं यह कह रहा था कि क्रास फ्लोर का भी हमने इतना विरोध नहीं किया। लेकिन कांग्रेस में उनको क्यों लेते हैं? आप बोले कि फिर क्या करेंगे? तो हमने कहा कि इंडिपेंडेंट रखें। यहां बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट की भी कोई हैसियत है या नहीं। जब हम यह कहते हैं कि हमारे यहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी चलने वाली है तो हम सब लोगों ने इस चीज को मान लिया है कि पार्टियां रहनी चाहिएं और सिर्फ इंडिपेंडेंट लोग रहेंगे तो कैसे हुकूमत चलेगी? अगर इंडिपेंडेंट लोग यह कहें की नहीं, दूसरी पार्टियों को जितना अधिकार है वह हम सब लोगों को होना चाहिए तो वह कभी हो नहीं सकता। इसलिए जब कोई आदमी फ्लोर क्रास करता है तो उसको अपनी पार्टी में दाखिल मत करो और वह कन्वेंशन वहां मान लिया था। लेकिन उस वक्त उन्होंने यह कहा, मुझे याद है, हमारे मित्र मधु लिमये ने उनको याद दिलाया उस रोज, चव्हाण साहब जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने उस वक्त हम लोगों को यह कहा था कि अभी महाराष्ट्र में दल-बदल का ट्रांजीशनल पीरियड है, टर्मायल है, पोलिटिकल लायल्टीज़ जो हैं, राजनीतिक निष्ठाएं जो हैं, वह बदल रही हैं और जब बदल रही हैं तो लोगों को अपना दल बदलने का अधिकार देना चाहिए। यानी क्रास-फ्लोर का अधिकार देना चाहिये—यह हमारे गृह मंत्री की राय उस वक्त थी। यद्यपि हमारे मित्र मधु लिमये राज़ी नहीं हुए, लेकिन मैं राज़ी हो गया और जब यह प्रश्न पूछा कि क्या 1962 तक यह दल-बदल ठीक हो जायगा, क्योंकि 1960 में अगर दल-बदल हो जाता है और आप उसको मन्जूर कर लेते हैं, तो क्या 1962 तक स्टेबिलाइज़ नहीं होगा? 1962 तक जब स्टेबिलाइज़ हो जायगा, तो क्या आप वायदा करते हैं कि 1962 के चुनाव में जो चुने जायेंगे, वे अगर दल-बदल करेंगे तो उसको आप नहीं लेंगे? उन्होंने उसको मान लिया।

*** *** ***

(व्यवधान)**

गृह मंत्री ने माना। उसके बाद क्या हुआ? हमने उनसे पूछा कि जब

---

* **व्यवधान के समय एक सदस्य श्री चेंगलराय नायडू:** मैं केवल एक ही बात कह रहा हूं। कल ही श्री अशोक मेहता ने श्री मधु लिमये का पत्र पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि वह अपने जैसी विचारधारा रखने वाले लोगों को साथ ले सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या: मैं नहीं भूला हूं।

** **एक सदस्य:** किसने माना?

आपने ही इसको तोड़ दिया तो कन्वेन्शन कैसे बनायेंगे, आप ही ने कन्वेन्शन बनाई थी और आप ही उसको तोड़ रहे हैं—हमने तीन, चार, पांच आदमियों के नाम गिनवाये। अगर सत्ता के लोभ से किसी आदमी को लेते हैं या हुकूमत बनाने के लिये किसी को लेने जा रहे हैं तो भी मैं समझ सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास तो थम्पिंग मैजोरिटी है, तब फिर आप दूसरे आदमियों को प्रलोभन देकर क्यों लेते हैं? मुझसे उन्होंने खुद पूछा था, वह महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे और मैं वहां लीडर आफ अपोज़ीशन था, मुझसे उन्होंने पूछा कि तुम्हारी पार्टी के कई आदमी आते जा रहे हैं, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा—मेरी राय है कि आपको लेना हो तो लो, हम किसी को कैसे रोकेंगे, लेकिन उनको पांच साल तक क्वारनटाइन में रखो, फिर मैं देखूंगा कि हमारी पार्टी से कितने आदमी जाते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लोगों को मंत्री बनाया—तो यह सिलसिला चला।

अब यह बात सही है कि हम लोगों को कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे हम इनके ऊपर रोक लगा सकें। कोई कानून बनायेंगे सदस्य की सदस्यता रद्द करेंगे और वह फिर दोबारा चुनाव से आ गया तो फिर उसमें हमारी हंसी होगी। जैसे हमारे महाराष्ट्र असेम्बली में एक आदमी के खिलाफ कुछ कार्यवाही हो गई, अनुशासन की कार्यवाही, उसको बरतरफ किया गया, लेकिन बाद में क्या हुआ—वह दोबारा चुनाव में खड़ा हो गया और थम्पिंग मैजोरिटी से दोबारा चुना गया—ऐसी कोई हंसी हमारी नहीं होनी चाहिए। हमने उस वक्त पूछा कि आपने उस को निकाला, लेकिन आप उसको दोबारा खड़ा होने से डिस्क्वालिफाई नहीं कर सके, इसी तरह से वह दोबारा खड़ा होगा और चुना जायेगा, तब कितनी हंसी होगी। इसलिये इसके बारे में कुछ कन्वेन्शन रखनी होगी, बिना कन्वेन्शन के, केवल कानून से काम होने वाला नहीं है और यह तब ही सम्भव है जब कि कुछ सामंजस्य हो।

अभी प्रधान मंत्री जी ने कुछ हंसी उड़ाई—जब प्रकाशवीर शास्त्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने दूसरी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की है—और कहा कि हम लोग थोड़े ही विरोधी दल, को बनायेंगे। मुझसे कई दफा कहा गया—जब श्री पत्तम थानु पिल्ले हमारे से चले गये, मुझ से कांग्रेस वालों ने कहा कि तुम्हारी बीवी अगर तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है, तो हम क्या करेंगे। तब मैंने जवाब में कहा कि उसका मतलब यह नहीं है कि आपको एडल्ट्री का परमिट मिल गया है, आप उनको क्यों लेते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिये था। लेकिन आप लोगों ने ऐसा किया और उसका क्या नतीजा हुआ—अब यह ज़हर अपने पूरे बाडी-पोलिटिक्स पर आ गया है और उसको भुगत रहे हैं।

जब हम चुनाव के बाद पहली दफा यहां आये तो राष्ट्रपति के भाषण में हमको

डेमोक्रेसी की वाइटैलिटी बताई गई। अगर आप सचमुच उसको मानते तो मैं कहता कि आपस में बैठ कर कुछ चीजों के बारे में हमको समझौता करना चाहिये था, लेकिन मैंने समझौते की स्प्रिट नहीं देखी। जैसे डिप्टी स्पीकर का चुनाव हुआ, उस वक्त भी हमारा समझौता नहीं हुआ, फिर प्रेजिडेन्शियल इलैक्शन की बात आई— मैंने खुद प्रस्ताव रखा डा० ज़ाकिर हुसैन साहब के बारे में। लेकिन कांग्रेस की तरफ से हम को कभी बुलाया नहीं गया। जब विरोधी दल वालों को बुलाया तो उनको चेलेन्ज दिया गया कि तुम सर्वसम्मति से नाम पेश करो। जब सर्वसम्मति से नाम आ गया, उसके बाद भी समझौता करने की कोशिश की गई कि डा० ज़ाकिर हुसैन साहब का नाम हम मानते हैं, लेकिन क्या वाइसप्रेज़िडेन्ट के लिये आप हमारा नाम मानेंगे—उसको भी नहीं माना। इस प्रकार ऊपरी बात करने से काम नहीं चलेगा, इसके लिये कुछ बुनियादी बातें सोचनी होंगी।

मैं इस बात से एग्री करता हूं कि हमारे देश में जनता कुछ सोच रही है। मैं जानता हूं कि जनता वायलेन्स नहीं चाहती है, लेकिन जनता यह भी देख रही है कि हमारे राज्यकर्ताओं का ध्यान गरीबों की तरफ बिलकुल नहीं है, चाहे हमारी पार्टी का ही राज्य क्यों न हो, जनता देखती है कि हमारे बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे घर में एक नौकरानी है—आप देखें, कैसी यहां की प्रवृत्ति है। उसका पति नेपाल चला गया था और वहां से बाढ़ के कारण चार दिन लेट आया। वह सी० पी० डब्लू० डी० में डेली वर्कर था, चार दिन लेट आने की वजह से उसको नौकरी से निकाल दिया गया। जब मैंने उसके एक्जिक्यूटिव इन्जीनियर को खत लिखा कि ये सर्कमस्टान्सेज उसके बियांड कन्ट्रोल थे, उसको आप कैसे हटा सकते हैं, तो उन्होंने कोई जवाब तक नहीं दिया। उसके बाद जब मैंने मिनिस्टर साहब से कहा तो उन्होंने बुलवाया और मुझ से कहा कि मैं करूंगा, लेकिन जब वह आदमी जब किसी अधिकारी के दफ्तर जाता है, तो उसको कहा जाता है कि तुम एम०पी० के पास चले गये, अब एम०पी० ही तुमको नौकरी दिला सकता है और हमारे मिनिस्टर साहब अभी तक उसमें कुछ नहीं कर पाये हैं—यह हालत आज गरीब की है। ऐसी हालत में जो अच्छा होता है, बुरा होता है, वायलेन्स होता है, नान-वायलेंस होता है, वह बेचारे क्या करे, उनको खाना तक नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है। आज हमको सोचना चाहिये कि हम गरीब के लिये क्या करें, ये जो सुपरफीशियल ऊपरी बातें हैं, प्रस्ताव है, यह इलाज नहीं है, ये तो जैसे सरदर्द की दवा खा लेते हैं, वैसा इलाज है, इसके लिये हमको अन्दरूनी दवा लेनी चाहिये।

मैं आपका असूलन समर्थन करता हूं, फिर भी जो कमेटी बैठेगी, उस कमेटी को इसके बारे में भी सोचना होगा। केवल लेजिस्लेशन से यह काम होने वाला नहीं है, उससे तो हंसी होने वाली है, ऐसा खतरा मुझको दीखता है।

14

समाचार पत्रों के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल*

उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने आज मैं एक ऐसे मामले को उठा रहा हूं जिसकी अहमियत को अभी बहुत सारे लोगों ने नहीं समझा है। समाचार पत्र उद्योग में जो पत्रकारों और गैर-पत्रकारों की हड़ताल चल रही है, उससे समाचार पत्र पढ़ने वालों के लिये तथा भारतीय मजदूर आन्दोलन के लिये एक विशेष समसया पैदा हो रही है। यद्यपि मैं हड़तालों के लिये काफ़ी बदनाम हूं, मगर मैं उन आदमियों में हूं कि जब तक हो सके हड़ताल को हमें टालना चाहिये। अगर कोई दूसरा चारा ही न रहे, तभी हम हड़ताल करते हैं। हमारे देश की औद्योगिक प्रगति अभी काफ़ी नहीं है और हम मानते हैं कि जहां तक हो सके हमारे देश में हड़ताल नहीं होनी चाहिये, हमारा जो उत्पादन है, वह चलता रहना चाहिये तथा हमारी जो औद्योगिक शांति है, उसको हमें बनाये रखना चाहिये। इसलिये हमारे देश में अपने मजदूर आन्दोलनों में बहुत सारे तरीके हम लोगों ने इस्तेमाल किये हुए हैं। मजदूर आन्दोलन का एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जो अनुभव है, उस से मेरा तो यह मत है कि सब से अच्छी चीज़ तो यह है कि हम सामूहिक सौदा करें, कलैक्टिव बारगेनिंग करें, इस से इण्डस्ट्रीयल पीस बनी रहती है और दो पार्टियों में हारमोनी भी रहती है। मगर हमारे देश में इतनी तरक्की अभी नहीं हो पाई है कि सब लोग इस तरीके को अख्तियार करे, इसलिये दूसरे तरीके भी अख्तियार किये जाते है, लेकिन इन दूसरे तरीकों में वक्त बहुत जाया होता है, वेज बोर्ड में कितना वक्त जाया होता है इस का उदाहरण हमारे सामने है—दो साल तक उन लोगों ने एजीटेशन किया, उस के बाद वेज-बोर्ड बना। वेज बोर्ड बनने के बाद दो साल उस का फैसला कराने में लगे, नवम्बर से ले कर अब तक यह झगड़ा चला और अभी भी उस का फैसला नहीं हो पाया है—इस से जाहिर है कि कितना समय इस में लग जाता है। मजदूर आज गैर-बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी हालत में दूसरे तरीके भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं—जैसे एडजूडिकेशन का तरीका—लेकिन यह भी वक्त जाया करने वाला तरीका है। इस में बड़े बड़े मालिक लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं और इस तरह से मजदूर को राहत नहीं मिल पाती है। इसलिये इन सब चीजों को दृष्टि में रखते हुए सामूहिक

*लोक सभा वाद-विवाद, 30 जुलाई 1968, कालम 2902—2908

सौदा सब से अच्छा है, उस से बढ़ कर अच्छी चीज़ कोई नहीं है, मगर वह सम्भव नहीं है। जब यह सम्भव नहीं है तो फिर वेज बोर्ड अच्छा है, वेज बोर्ड में मालिकों के प्रतिनिधि होते हैं, मजदूरों के प्रतिनिधि होते हैं और शासन के भी प्रतिनिधि होते हैं तथा जो फैसला सर्वसम्मति से करते हैं उस पर अमल करना सब लोगों का कर्त्तव्य हो जाता है।

अब उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि जो फैसला वेज बोर्ड ने किया नानजर्नलिस्ट्स के बारे में, वह यूनेनिमस फैसला था तथा उस को यूनेनिमस बनाने के लिये मजदूरों को बहुत कुछ छोड़ना पड़ा। उस के बाद हुकूमत ने जो आर्डर निकाले, उस में उन्होंने उस को और भी ढीला कर दिया। इतना सब होने के बाद भी वह अमल में नहीं लाया गया और इससे एक बहुत बड़ा खतरा मजदूर आन्दोलन के लिये पैदा हुआ है। आज तक जितने वेज बोर्ड बने, उनमें शायद ऐसी स्थिति कभी नहीं आई होगी कि इस तरह से वेज बोर्ड के फैसले को ठुकराया गया हो। इसलिये कानून के जरिये अगर हम इस पर अमल नहीं करा सकते हैं तो आगे चल कर मजदूरों का विश्वास वेज बोर्ड पर से उठ जायेगा।

मैं इस चीज़ को मन्जूर करता हूं कि जो हमारा समाचार-उद्योग है उस में नान-जर्नलिस्ट्स के लिये जो वेज बोर्ड बना है और जो फैसला उन्होंने दिया है, वह फैसला कुछ हद तक ऐसा हो सकता है कि उस को अमल में लाने में कई जगहों पर मुश्किलें हैं। लेकिन पी०टी०आई० के लोगों के साथ हम ने बैठ कर समझौता किया, पूरा वेज-बोर्ड हम को नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम ने समझौता किया। यू० एन० आई० के साथ भी हम ने समझौता किया, लेकिन ये जो बड़े-बड़े मालिक लोग हैं, उन लोगों ने छोटे लोगों की आड़ में अपने स्वार्थ को सम्भालने की कोशिश चलाई है और चीखना शुरू कर दिया, मगर हमारे मजदूरों ने ठीक तरह से काम लिया, जो छोटे लोग हैं, क्लास 4, 5 और 6 उन को छोड़ दिया और क्लास 1, 2 और 3 से कहा कि हमारे साथ समझौता करो। समझौता करने के बाद जो एग्रीमेन्ट हुआ, उस एग्रीमेन्ट के लिये ये कहते हैं कि वह रिकेमेंडेटरी है एक सदस्य पर लाजमी नहीं है। दूसरी बार जब बातचीत आरम्भ हुई तब भी मालिकों ने कहा कि समझौता रेकेमेंडेटरी होगा। इन सब बातों से क्या फायदा है, यह तो वक्त को जाया करना है, इसीलिये उन लोगों ने अपनी हड़ताल की। यह हड़ताल पिछले सात दिनों से चल रही है, लेकिन इस के बारे में हुकूमत की तरफ से क्या हो रहा है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह गैर बराबरी की लड़ाई है। वेज बोर्ड जब हमने कायम किया है तो हम यह भी जानते हैं कि ये बड़े-बड़े मालिक लोग उस के निर्णयों को अमल में भी

ला सकते हैं। उन के लिये यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये जितने पेपर्स हैं इन को काफी मुनाफा होता है। मेरे पास आंकड़े हैं—इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्ज आफ इण्डिया या दूसरे जितने बड़े बड़े पेपर्स हैं सब के पास काफी मुनाफा होता है इतना मुनाफा होने के बाद भी अगर ये वेज बोर्ड को अमल में नहीं लाते हैं तो इस का क्या नतीजा निकलेगा। मेरे पास 1963, 64, 65 में इन पेपर्स को कितना फायदा हुआ है, उसके आंकड़े हैं—टाइम्ज आफ इण्डिया—52 लाख रुपये, स्टेट्समैन—30 लाख रुपये, हिन्दुस्तान टाइम्ज—31 लाख रुपये, हिन्दू—19 लाख रुपये, इण्डियन एक्सप्रेस—29 लाख रुपये। अगर ये लोग वेज बोर्ड को अमल में लायेंगे तो इन को कितना पैसा देना होगा? टाइम्ज आफ इण्डिया को 52 लाख रुपये में से 14 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, स्टेट्समैन को 30 लाख रुपये में से 15 लाख खर्च करना होगा, हिन्दुस्तान टाइम्ज को 31 लाख रुपये में से 9 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा, हिन्दू को 19 लाख रुपये में से 6 लाख खर्च करना पड़ेगा, इण्डियन एक्सप्रेस को 29 लाख रुपये में से 12 लाख रुपये लगाने होंगे। जिनका धन्धा फायदेमन्द है वे अगर वेज बोर्ड को, जिसका फैसला यूनेनिमस है, अमल में नहीं लाते हैं तो मजदूर आन्दोलन कैसे चलेगा मेरी समझ में यह बात नहीं आती है।

जब से इन लोगों का झगड़ा शुरू हुआ है कितनी तकलीफ कर्मचारी लोग उठा रहे हैं मजदूरों को कितनी तकलीफ हो रही है, इस में कितनी पेचीदगियां आ गई हैं, एक को स्टेचूटरी और दूसरी को नान-स्टेचूटरी रखने से वे लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, इन के पास पैसा है, गरीबों के पास पैसा नहीं है वहां तक जायेंगे तो उस में वक्त जाया होता है—इस तरह से यह धन्धा नहीं चलेगा, मैं चाहता हूं कि हुकूमत इस के बारे में अपनी पोजीशन साफ करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोगों को कितनी तकलीफें हो रही हैं, मेरे पास इण्डियन एक्सप्रेस के कर्मचारियों का एक पत्र आया है उन्होंने लिखा है—

"मुझे टेलीप्रिंटर से यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आप संसद सदस्य वेतन बोर्ड (पत्रकार और गैर-पत्रकार) के मामले को बड़े जोर-शोर से उठा रहे हैं। इंडियन एक्सप्रैस में सैसून डॉक्स में कल एक बड़ी अजीब और दुखद घटना का समाचार प्रकाशित हुआ है। वहां भूमि-तल की जल-आपूर्ति बन्द कर दी गई। ऐसे में शौचालय की क्या स्थिति हुई होगी, आप इसका अन्दाजा लगा सकते हैं। आप सोचिए, कर्मचारियों को भूमि तल से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। कर्मचारियों को उत्तेजित करने के लिए यही पर्याप्त कारण था किन्तु प्रबन्धकों की तालाबंदी करने और कर्मचारियों के विरुद्ध आरोप लगाने का अवसर ढूंढने की योजना को अच्छी तरह समझकर प्रैस के युवा कर्मचारी इस जाल में नहीं फंसे। जरा सोचिए, एक कर्मचारी ने पानी ही नहीं लिया। आखिर नेपोलियन की सेना का यह उदाहरण हमारे सामने है कि उसने घोड़ों का मूत्र पिया था।" वह कहता है कि हम नहीं झुकेंगे।

---

* मूल अंग्रेजी में

आप अन्दाजा लगाइये कि इससे कितनी बिटरनेस बढ़ेगी। इसलिये मैं कहता हूं कि हमारी हुकूमत को बात करनी चाहिये। हम जानना चाहते हैं कि हुकूमत की इस के बारे में क्या राय है, क्या हुकूमत यह समझती है कि जो कुछ एम्लायर्स कर रहे हैं वह उचित कर रहे हैं। अगर यह अनुचित है तो हुकूमत ने आज तक उनकी मांगों को पूरा कराने के लिये क्या कदम उठाया है। यह एक बहुत बड़ा मामला है जिस का संबंध पूरे देश से है। कल की सिंपेथेटिक स्ट्राइक पूरे देश में कामयाब रही। लेकिन उस के बारे में यहां तक प्रचार हो रहा है पी० टी० आई० की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से कि स्ट्राइक फेल हो गई। लेकिन इस तरह आंखें बन्द करने से स्ट्राइक तो खत्म होगी नहीं बल्कि स्ट्राइक चलेगी। आप को एक-एक के साथ बात करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए अगर मजदूरों की फेडरेशन बात करती है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं टाइम्स आफ इंडिया के बारे में हुकूमत ने क्या कदम उठाए? वहां के संचालक मंडल में दो हुकूमत के प्रतिनिधि हैं एक डाक्टर हजारे और दूसरे श्री भट्टाचार्य और तीसरे एक जज की नियुक्ति की है नाना साहब कुंटे की जो कि चेयरमैन हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या कदम उठाए हैं मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए? यहां पर समाजवाद की बात बहुत की जाती है। लेकिन क्या समाजवाद का यही मतलब है यह मेरी समझ में नहीं आता। मंत्री महोदय के लिए मेरे दिल में काफी सम्मान है। मैं उन की इज्जत भी बहुत करता हूं। उन्होंने कोशिश भी बहुत की। लेकिन जो बड़े नेता बैठे हुए हैं गृह मंत्री, उप-प्रधान मंत्री और प्रधान मंत्री उन से मैं जानना चाहता हूं क्या उन्होंने प्रेस वालों को बुला कर कुछ कहा? अगर नहीं तो फिर मजदूरों के लिये क्या चारा रह जाता है? क्या हुकूमत उन की सहायता करेगी? मैं मानता हूं कि कुछ दिक्कतें उनकी भी हो सकती हैं। लेकिन उन को दूर करने के दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। पहले तो उनको कह देना चाहिए कि तुम इस को 100 फीसदी अमल में लाओ। अगर उस में दिक्कतें हैं तो उसके लिए वालंट्री आर्बिट्रेशन के लिए तैयार हैं। अगर वह न मानें तो आप के पास जो सेक्शन हैं उसे आप को लगाना चाहिए न कि मजदूरों के खिलाफ आल इंडिया रेडियो से प्रोपेगंडा किया जाय। आप को तो इस के बजाय आल इंडिया रेडियो से औद्योगिक शांति का प्रचार करना चाहिए जब कि आप बड़े-बड़े सरमायेदारों का पक्ष ले रहे हैं।

दूसरी चीज यह है कि आप उन को ऐडवर्टिजमेंट देते हैं। क्या सरकार यह नहीं कह सकती है कि यह नीति है अगर उस के ऊपर अमल नहीं करोगे तो तुम को ऐडवर्टिजमेंट कतई नहीं मिलेंगे? लेकिन जैसा कि अंग्रेजी में कहते हैं टेलर मेड जन्टिलमेन होते हैं वैसे यहां भी पब्लिक मेड लीडर रहते हैं। आप विरोधी आचार से क्यों डरते हैं। जनता आप के पीछे है। आप को उन के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन आप यह चीज मानेंगे नहीं।

अन्त में मैं दो तीन सवाल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। आप बताएं कि हुकूमत की राय क्या है? मजदूरों की जो लड़ाई है जो उनकी मांग है वह उचित है या नहीं और अगर उचित समझते हैं तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से आप ने क्या कदम उठाए हैं? और अगर वह लोग नहीं मानेंगे तो आगे चलकर आप क्या करने जा रहे हैं? इस में गरीब की तरफ जाएंगे या सरमायेदारों की तरफ? जब हम अपने को समाजवादी कहते हैं और यूनेनिमस वेज बोर्ड है फिर भी उस को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। अगर हुकूमत कुछ नहीं करेगी तो फिर मैं कहता हूं जो बड़े-बड़े मोनोपलिस्ट हैं वह आप के ऊपर हावी हो जायेंगे। और फिर कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जायेगा।

15

ग्रामीण आवास विकास संबंधी संकल्प*

सभापति महोदय, सदन के सामने जो संकल्प पेश है उसका समर्थन करते हुए मुझे खुशी हो रही है। मैं समझता हूं कि अभी तक हमारे शासन का और हम लोगों का ध्यान इस समस्या की तरफ़ नहीं गया है। यह एक बड़ी समस्या है और इस को लेकर हम अपना कदम आगे बढ़ायेंगे तो बहुत सारी बातें उसमें से निकल सकती हैं।

एक बात तो यह है कि हम लोग इस देश में सामाजिक परिवर्तन लाना चाहते हैं मगर सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जो जरिए हैं उनको खोजने में हम पीछे रहते हैं। मैंने देखा है कि देहातों में भी जो मकान होते हैं, बस्तियां होती हैं वह अभी भी जाति के हिसाब से बन रही हैं। कम से कम महाराष्ट्र में मैंने देखा है कि जितने भी शैडयूल्ड कास्ट्स के लोग हैं उनकी बस्ती कहीं अलग जगह रहेगी और नौन शैडयूल्ड कास्ट्स लोग कहीं दूसरी जगह रहेंगे। इस तरीक़े से अभी भी हमारा समाज जाति के आधार पर बंटा हुआ है। हम अगर बगैर जाति का ख्याल किये इस ग्राम आवास विकास के प्रोग्राम को अपने हाथ में ले लें तो इतना ही नहीं होगा कि हम एक अच्छे कार्य को पूरा करेंगे बल्कि हम देश में एक सामाजिक क्रांति की लहर ले आयेंगे। हम अपने ग्रामीण जीवन को दूसरे ढांचे में ढाल सकते हैं। जब किसी एक ग्राम में हम हाउसिंग के लिए कुछ पैसा खर्च करने का तय करेंगे तब उसमें हम यह भी शर्त लगा सकते हैं कि उसके अन्तर्गत ऐसे लोगों के लिए घर बनायेंगे जो कि एक जगह साथ में रहने के लिए तैयार होंगे। अभी हाल में महाराष्ट्र में कोयना विपत्ति आई थी तो मैंने इस सदन में यह चीज़ रखी थी कि आज मौका है जबकि हम अपने नये ग्राम बनायेंगे, वहां जब हम अपने घर बनायेंगे तो उन को दुबारा इस जातिवाद के आधार पर नहीं बांटना चाहिए और सब लोगों को एक साथ मिल कर रहना लाज़मी करेंगे और इस तरह से अगर हम यह रूरल हाउसिंग का प्रोग्राम करेंगे तो देश में सामाजिक परिवर्तन और क्रांति लाने का भी यह एक जरिया हो सकता है। दूसरी बात यह है कि बहुत से शिक्षित लोग देहातों में रहना पसन्द नहीं करते हैं। जब हम ने अपने देश में शिक्षा के लिए इतनी कोशिश की है तो उसी के साथ हमें

*लोक सभा वाद-विवाद, 14 अगस्त, 1968, कालम 2345—2347

गांवों में सोशल एमैनिटीज़ भी मुहैय्या करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी चूंकि देहातों में मामूली सोशल एमैनिटीज़ भी नहीं मिलती हैं इसलिए शिक्षा पाने के बाद कोई भी लड़का देहात में रहना पसन्द नहीं करता है। हमें अपने ग्रामों को सुधारना चाहिए और उन्हें ऐसा बनाना चाहिए ताकि लोग वहां रहना पसन्द करें। जाहिर है कि जब तक गांवों में रहने के लिए अच्छे घरों की व्यवस्था नहीं होगी कोई भी शिक्षित नवयुवक वहां पर नहीं रहना चाहेंगे।

हमारे देश में शहरों और गांवों में बेरोज़गारी फैली हुई है। गांवों में खासतौर से काफी बेरोज़गारी है। जरूरत इस बात की है कि हम उन बेरोजगारों को काम दें, उन के टेलेंट्स को इस तरह से ऐक्सप्लाएट करें कि वह हमारे देश के लिए एसैट्स साबित हों और देश में से बेरोजगारी दूर होकर देश में हम धन को बढ़ा सकें। यह कहा जा सकता है कि इसमें जो रुपया पैसा हम खर्च करेंगे तो उससे इनफ्लेशनरी प्रैशर आ जायेगा लेकिन उसके पेट में से जो और बहुत सी दूसरी चीजें निकल आती हैं उन से तो वह अच्छे ही रहेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव है वह बहुत महत्व वाला है और हुकूमत को इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए। यह एक नौन कंट्रोवर्शियल चीज़ है। इसके ऊपर किसी को भी मतभेद नहीं हो सकता है। क्या कोई कांग्रेस का आदमी यह कहेगा कि ग्रामों में लोगों के रहने के लिए अच्छे घर न हों? मैं आशा करता हूं कि सभी ओर से इसे व्यापक समर्थन मिलेगा और मंत्री महोदय इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे और यह नहीं कहेंगे कि प्रस्तावक महोदय अभी अपने इस प्रस्ताव को वापिस ले लें। हम इस पर बाद में विचार करेंगे। मंत्री महोदय को इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए क्योंकि जैसा मैंने शुरू में कहा यह निर्विवाद रूप से एक अच्छा व सही क़दम है और इसके जरिए देश में एक स्वस्थ क्रांति लाई जा सकेगी। मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हूं।

16

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगों संबंधी प्रस्ताव*

सभापति जी, सदन के सामने जो सवाल है, वह बहुत ही गम्भीर है। श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने एक अच्छे वकील की तरह बाल की खाल निकाल कर यह साबित करने की कोशिश की कि जो मजदूर आर्बिट्रेशन चाहते हैं, उन को आर्बिट्रेशन मांगने का कोई अधिकार नहीं है।

सभापति जी, यह जो जे० सी० एम० बनी, जिसके रूल्ज़ अभी सदन में पढ़ाये गये, यह मशीनरी कैसे बनी, इस की तह में जब हम जायेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज जो हमारी मांग है उसी मांग को लेकर यह जे० सी० एम० बनी। 1960 में जब केन्द्रीय मजदूरों की हड़ताल हुई थी, उस समय भी मैं उस के लिये जिम्मेदार था। अभी यह बताया गया है कि हम लोग लीडरी का शौक रखते हैं और अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करते हैं और लोगों को हड़ताल में ले जाते हैं। लेकिन, सभापति जी, मैं उन आदमियों में हूं जो हमेशा कम्प्रोमाइज़ की कोशिश करते हैं। मगर कम्प्रोमाइज़ की भी कोई हद होती है, जिसके आगे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है—उस के आगे तो फिर सरण्डर रह जाता है। आप यह देखिये कि 1960 में जो स्ट्राइक हुई वह किस मांग को लेकर हुई तथा उस का विरोध भी हुआ, वह किस लिये हुआ? स्ट्राइक की मांग थी कि हम को डीयरनेस एलाउन्स मिलना चाहिये, जब वह नहीं दिया गया और इन्कार कर दिया गया, तब मजदूरों को मजबूरन स्ट्राइक करनी पड़ी।

अभी जैसा हमारे मित्र डांगे साहब ने पूछा कि आखिर यह मामला क्या है—यह लड़ाई क्यों हुई और जे० सी० एम० क्यों बनी? अभी जब आप एग्रीमेन्ट का अर्थ बता रहे थे, व्याख्या कर रहे थे तो बताया गया है कि अगर क्लास आफ़ वर्कज हम बतायेंगे तो हमारा आर्बिट्रेशन मांगने का अधिकार हो जाता है। हम आर्बिट्रेशन नहीं चाहते हैं। वैसे अगर मजदूरों की मांग है, तो हम समझते हैं कि बातचीत होनी चाहिये, बातचीत से हल नहीं होता है तो फिर अपनी जो शक्ति है, उस शक्ति के जरिये कलेक्टिव बारगेनिंग करते हैं और उस के बाद आखिरी कदम होता है—स्ट्राइक। हमारे जो सरकार के कर्मचारी हैं, शासन के कर्मचारी हैं—क्या उन को स्ट्राइक पर जाना चाहिये—यह सवाल उठता है,

*लोक सभा वाद-विवाद, 30 अगस्त 1968, कालम 3583-3590

क्योंकि स्ट्राइक होने से सारी मशीनरी ठप्प हो जाती है, इस लिये देश के हित में है कि हम लोग स्ट्राइक न करें। लेकिन अगर स्ट्राइक नहीं करना चाहेंगे तो हमारी मांगें कैसे पूरी होंगी। इस लिये जैसा डांगे साहब ने बताया—कोई रास्ता ढूंढ निकालने के लिये जे० सी० एम० बना ताकि जिन मामलों में हमारा मतभेद रहेगा, यदि वे मजदूरों के मामले हैं तो आर्बिट्रेटर के पास जायेंगे और ये दोनों मामले, जिनके खिलाफ़ कहा जाता है—वे मजदूरी के ही मामले हैं।

एक मामला नीड-बेस्ड-वेजेज़ वाला मामला है, वह वेज-क्लास एम्पलाइज के लिये है, जिनको चौथे दर्जे के एम्लाइज कहा जाता है, उन के लिये आता है और जो स्ट्राइक हुई, उस के बाद स्ट्राइक को फाइट करने के लिये जो मशीनरी बनी, वह भी ऐसे ही मामले को लेकर बनी, डीयरनेस एलाउन्स को लेकर बनी। लेकिन सवाल यह है कि गवर्नमेंनट क्या कर रही है? एक तरफ़ प्राइवेट सैक्टर की बात है और दूसरी तरफ़ यह बात हो रही है। इस लिये मैं कहूंगा कि यह काफ़ी गम्भीर मामला है। अगर आपको आर्बिट्रेशन नहीं देना है तो कोई दूसरा जरिया निकालो। अगर ज़रिया नहीं है तो यह कैसे हो सकता है कि कुछ भी न किया जाये। ऐसा नहीं हो सकता। हम मजदूरों के प्रतिनिधि बन कर यहां बैठे हैं, हम आपसे कहते हैं कि यह कोई सैक्रेटेरियेट के सरकारी कर्मचारियों का ही मामला नहीं है, यह मामला रेलवे के मजदूरों का है, यह मामला डिफेन्स के कर्मचारियों का है, पी० डब्ल्यू० डी० के लोगों का मामला है, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ़ के लोगों का मामला है तथा उन संस्थानों के लोगों का मामला है जिसमें सम्पत्ति पैदा होती है, धन पैदा होता है—ऐसे मजदूरों का मामला है। सिर्फ इस लिये कि वे संस्थान हुकूमत के हाथ में चले गये हैं, इस लिये उन का कोई अधिकार नहीं रहा—यह नहीं हो सकता। टाटा के मजदूरों को स्ट्राइक का अधिकार है तो फिर आज हमारी फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं—जैसे डिफेन्स प्रोडक्शन है, एम्यूनीशन फैक्ट्रीज हैं, उन मजदूरों को अगर स्ट्राइक का अधिकार नहीं है, तो फिर उन के लिये दूसरे जरिये होने चाहियें।

इन सब समस्याओं को हल करने के लिये हम को जे० सी० एम० का ज़रिया बताया गया। लेकिन आज चव्हाण साहब कह रहे हैं कि तुम उस में पोलिटिक्स लाते हो। मैं चण्हाण साहब से पूछना चाहता हूं कि यह पोलिटिक्स कहां है। अगर जे० सी० एम० में झगड़ा हो गया, तो वह किसी एक पार्टी का झगड़ा नहीं है, उस में इन्टक के लोग भी थे, हमारे लोग भी थे, सब लोग थे। अगर उस में किसी बात को लेकर

मतभेद हुआ, तो उसे पोलिटिक्स कैसे कह सकते हैं। जब हम ब्रिटिश के खिलाफ़ लड़ते थे, तो हमारे देश में एक छोटी सी जमायत ऐसी भी होती थी, जो हम लोगों को कहा करती थी कि तुम को अपनी फोटो समाचार-पत्रों में देखनी है, इस लिये तुम आजादी के लिये लड़ रहे हो। इस लिये, सभापति जी, मैं उन से कहना चाहता हूं कि पोलिटिक्स हमारा सिर्फ प्रोफेशन ही नहीं है, बल्कि एक मिशन है जिसको लेकर हम ने अब तक काम चलाया है।

इसलिये आज सवाल जरिये का सवाल है। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा—वह यहां पर बैठे नहीं हैं, शायद सलाह-मशविरा करने गये हैं—कि सलाह-मशविरा कर के अगर इस में कोई रास्ता निकल सकता है तो अवश्य निकालें। चव्हाण साहब कहते हैं कि बातचीत करने के लिये आओ। किस लिये? यह मामला आर्बिट्रेबल है या नहीं है। यह तो बाल की खाल निकालने की बात हुई—हम इस के लिये तैयार नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि यह मामला तय हो, कैसे तय हो, यानी नीड-बेस्ड-वेजेज के लिये क्या करना चाहिये, इस बात की कोई चर्चा है, तो हम जाने के लिये तैयार हैं, लेकिन उस मशीनरी में वह फिट बैठता है या नहीं बैठता है—इस के लिये हम नहीं जायेंगे। वह आर्बिट्रेशन मशीनरी इस लिये बनी कि स्ट्राइक न हो और हमारी मांगें पूरी हो जायें—लेकिन सरकार उस को करना नहीं चाहती है।

अब क्या करना चाहिये—मुझे तो कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। जो एक्शन कमेटी बनी है, मैं उस का चेयरमैन हूं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं—भले ही ये लोग हमें गोलियां खिलायेंगे, हम गोलियां खाने के लिये तैयार हैं। रोटी नहीं मिलती है तो गोलियां भी खा लेनी चाहियें। आप कुछ भी कहें, मजदूरों के सामने कोई रास्ता नहीं रह गया है, अब अन्याय का विरोध हमें करना होगा। हम गांधी जी के बताये हुए रास्ते पर चलने वाले हैं, थोड़ा सबक हम ने उन से सीखा है, सब कुछ तो नहीं सीखा है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे देश के मजदूरों को अगर न्याय नहीं मिलता है, तो देश की सेवा अच्छी तरह से नहीं हो सकती, वे अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते, अपनी कार्यक्षमता को नहीं बढ़ा सकते और इस सब की नैतिक जिम्मेदारी सरकार की है।

मैं शासन से कहना चाहता हूं—अब यह सिर्फ रुपये-पैसे का सवाल नहीं रहा है। आप लोग एग्रीमेन्ट की बात करते हैं, उस एग्रीमेन्ट को हम कुबूल करते हैं, हम उस पर कुछ दिन चले हैं, लेकिन जब उस एग्रीमेन्ट पर अमल की बात आती है तब आप यह कहते हैं कि यह एग्रीमेन्ट के विरुद्ध है या नहीं है—इस पर विचार करो—यह चीज़ नहीं चलेगी। पंजाब में कुछ दिन हुए रोडवेज के लिये एग्रीमेन्ट हुआ था, जब एग्रीमेन्ट को तोड़ा, तो उस के खिलाफ लोगों ने हड़ताल की। उन को काम से हटा दिया गया। हम

जानते हैं कि इसी तरह से यहां भी हम लोगों को सताया जायेगा हम यह भी जानते हैं कि जब हम लोग स्ट्राइक करेंगे तो उस को दबाने के लिये इनके पास पूरी मशीनरी है, जो मशीनरी ब्रिटिश लोगों के पास थी, वही मशीनरी इन के पास भी है, हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने मजदूरों को खतरे में डालें। लेकिन जब हम यह फैसला करते हैं कि हम स्ट्राइक करें तो सोच समझकर कर रहे हैं, इस की जिम्मेदारी अपनी समझकर कर रहे हैं।

मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि हमारे सामने नैतिकता का सवाल है। आप के साथ हम एग्रीमैंट करते हैं और अपनी स्ट्राइक की बात को छोड़ते हैं तो यह कैसी नैतिकता रही? यह भी एक अजीब बात है कि दूसरे देशों के साथ जो हमारे एग्रीमैंट्स होते हैं उन को हम मानते हैं लेकिन यहां आपस में किये गये एग्रीमेंट को आप तोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए मैं आप को बतलाऊं कि कच्छे सम्बन्धी एवार्ड हम ने माना क्योंकि उस के एवार्ड को मानने के लिए दोनों पार्टीज का एग्रीमैंट था लेकिन मजदूरों के साथ किये गये अपने एग्रीमेंट को यह लोग तोड़ रहे हैं। यहां भी सरकार को अपने एग्रीमैंट को औनर करना चाहिए था।

मेरे सामने यह बात है कि मजदूरों को जब मैं स्ट्राइक पर ले जाऊंगा तो उन के ऊपर जो आफ़त आयेगी, जो मुसीबत का पहाड़ टूटेगा उसे मैं सोच नहीं सकता हूं। लेकिन इस के साथ ही हम लोगों को यह भी देखना है कि क्या हम डरपोक बन कर जुल्म और नाइंसाफी के आगे सिर झुका देंगे? यह नहीं हो सकता है और अपनी जायज़ मांगों को मनवाने के लिए और न्याय हासिल करने के लिए अगर हमें खतरे के रास्ते में जाना पड़ता है तो हमें जाना चाहिए। वह एक हमारे ऊपर फर्ज आता है और हमें उस कर्त्तव्य को अंजाम देना है। लेकिन जहां मैं मजदूरों के अधिकार के लिए लड़ता हूं और उन को कहता हूं कि वह अपने जायज़ हक को प्राप्त करें वहां मैं यह भी उन से कहता हूं कि जब वह लोग अपने काम पर ड्यूटी पर जाते हैं तो उन को मन लगा कर मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी करनी चाहिए क्योंकि उन्हें याद रखना है कि टैक्सपेयर्स से वह जो रुपया बतौर उजरत के पाते हैं उस की ऐवज़ में उन्हें पूरा-पूरा काम भी करना चाहिए। इसी के साथ जब कर्मचारी विवश होकर हड़ताल पर जाते हैं तब भी वह देश का ही काम कर रहे हैं और अगर वह 19 सितम्बर को एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं तो ऐसा वह लाचार होकर ही कर रहे हैं और इस के सिवाय उन के पास कोई दूसरा चारा नहीं रह गया है। अगर हमारे मजदूर एक दिन की हड़ताल पर 19 सितम्बर को जायेंगे तो उस की जिम्मेदारी हम लोगों पर नहीं है बल्कि खुद उन के ऊपर हैं जिन्होंने कि यह एग्रीमैंट तोड़ा है। वह लोग ही इस के लिए जिम्मेदार रहेंगे। मैं इतना कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं।

17

जम्मू और कश्मीर का दर्जा संबंधी संकल्प*

सभापति जी, सदन में हमारे मित्र श्री वाजपेयी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रस्ताव यह है कि जो 370 अनुच्छेद है संविधान का, उसको खत्म किया जाये। मैं समझता हूं कि आज हमारे देश में जो परिस्थिति है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वाजपेयी जी का जो मकसद है वह है देश की एकात्मता हासिल करना। लेकिन यह एकात्मता इस तरह से इधर-उधर और फुटकर करने से नहीं आयेगी, इसके लिये तो पूरे देश के माहौल में हमें एकात्मता की बात सोचनी होगी। वाजपेयी जी ने अपने भाषण में, मुझे याद है, कहा था कि यहां द्वैत है—यह द्वैत कैसे रह सकता है, जब हम एक देश हैं। हमारे भारत के संविधान की एक खूबी है—इसमें हम द्वैत में अद्वैत पाते हैं। जब हमने लोकतांत्रिक तरीका अख्तियार किया है, उसके यह मायने होते हैं कि हर एक शख्स अलग-अलग है, यद्यपि उसकी आत्मा अलग-अलग है, लेकिन हमारे देश की एक आत्मा है, उसके साथ उसको एक-आत्म बनाना है।

आज यह राष्ट्रीय एकात्मता का सवाल इतना बड़ा बन गया है जिसको हमें अलग-अलग तरीके से नहीं सोचना होगा, पूरे देश के लिये हम लोगों को उसे सोचना होगा। वाजपेयी जी मुझ से सहमत होंगे कि इस देश की एकता हमें रखनी है तो लोकतान्त्रिक बुनियाद पर ही उसे हम रख सकते हैं। हमारे इस संविधान को बाबासाहेब अम्बेदकर ने जब बनाया तो उन्होंने कुछ बातों पर हमारा ध्यान खींचा था कि इस देश में जो विभिन्न अवस्थायें हैं—विषम विकास की, बहुत सी सारी भाषायें हैं, मुखतलिफ मजहबों के लोग रहते हैं, इन सब को साथ लेकर आगे बढ़ना है—इस लिये जो एकात्मता है वह एक दिन में किसी कानून से बनने वाली चीज नहीं है, वह तो अपने जीवन में हासिल करने वाली चीज है।

कुछ दिन पहले यहां इसी सदन में स्टेट और सैन्टर के बारे में चर्चा चल रही थी, उस वक्त मुझ को मौका नहीं मिला बात करने का, उम्मीद करता हूं आगे चल कर मुझ को मौका मिलेगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह चीज किसी एक दल की नहीं है।

---

*लोक सभा वाद-विवाद, 6 दिसम्बर, 1968, कालम 259—266

इस मामले में हम सब लोगों को बैठ कर सोचना होगा। हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिये कि इस देश में ज़ब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब मुसलमानों का एक तबका था, जिसने हम लोगों की आज़ादी की लड़ाई में पूरी मदद की थी और एक तबका ऐसा भी था जिन्होंने मदद नहीं की बल्कि विरोध भी किया। मैं समझता हूं कि काश्मीर के मुसलमान उन में हैं, जिन्होंने हमारे एक राष्ट्रीयता के सिद्धान्त का समर्थन किया हमारे नेता बादशाह खां थे, उन दिनों भी थे और आज भी हैं। आज़ादी की लड़ाई में हमारा नेतृत्व किया, आज भी उनके लिये हमारी हमदर्दी हैं और हम यह समझते हैं कि पाकिस्तान में उनको ओटोनोमी मिलनी चाहिये—यह मेरी पार्टी की राय है। पख्तूनों के कुछ मसले ऐसे हैं जिनको अलग से हल करना पड़ेगा। हमारे डी० एम० के० के साथी हैं उनसे लड़ाई करके, गुस्सा करके काम नहीं लिया जा सकता। हम को तो बुनियाद में जा कर यह सोचना चाहिये की मांगें क्यों पैदा हो जाती हैं—इस लिये हो जाती हैं कि हमारे देश में अलग-अलग हिस्से हैं, अलग-अलग तबके हैं, और उनके मसले अलग-अलग हैं, जब तक हम उनको हल नहीं करेंगे, तब तक हमारे कानून के डण्डे से कुछ नहीं हो सकता। कानून के डण्डे से एकता नहीं आ सकती, डण्डे से एकता लाने की कोशिश करेंगे तो देश टूट जायेगा। यह काम हम डण्डे से नहीं कर सकते हैं। मेरा यह नुक्तेनिगाह है।

मैं वाजपेयी साहब के इरादे से मुत्तफिक हूं, इरादा अच्छा है, लेकिन इन्टीग्रेशन के मायने सिर्फ कानून नहीं है। संविधान क्यों बनता है? कैसे बनाया जाता है? सिर्फ कल्पना से संविधान नहीं बनाया जाता, कल्पना तो बहुत बढ़िया हो सकती है, मगर देश में जो सामाजिक शक्तियां हैं उनका सन्तुलन करना पड़ता है। संविधान में हमें वह सन्तुलन मिलता है। जब वह सन्तुलन बिगड़ता है तो दोबारा कांस्टीट्यूशन में संतुलन लाने की जरूरत पड़ती है। हमारे कांस्टीट्यूशन की यह खूबी है, कि जब सामाजिक शक्तियों का सन्तुलन बिगड़ता है तब लोकतांत्रिक तरीके से दुबारा हम तालमेल बिठा सकते हैं। उसके लिए कुछ सूचनायें और दिशा दर्शन भी डाइरैक्टिव प्रिन्सिपल के जरिये किया है।

काश्मीर में जो स्थिति चल रही है, मैं उससे खुश नहीं हूं। लेकिन फिर भी कश्मीर के मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में हमारा साथ दिया था और उस चीज को हमें भूलना नहीं चाहिये। आखिर आज वहां के लोग क्यों नाराज़ हो गये हैं? इसी तरह से अगर केरल की जनता ने कम्यूनिस्ट पार्टी को चुना है तो हमें सोचना होगा कि ऐसा क्यों हुआ।

वहां की जनता तो चीन से नहीं आयी, आखिर वह कम्युनिस्ट क्यों बनीं? हमें उसका कारण भी सोचना चाहिये। बिना कारण सोचे हम कोई हल नहीं निकाल सकते हैं। कारण राजनैतिक और आर्थिक हैं। डंडे के जोर पर आप दिल की एकता नहीं ला सकते हैं। बार-बार यह कहा जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को कानून के द्वारा इल्लीगल करार दिया जाये लेकिन मैं पूछता हूं उससे मतलब क्या निकलेगा। इसी तरह से जो आज काश्मीर की स्थिति है और पूरे देश में जो उथल पुथल है उस पर हम को दोबारा सोचना होगा। पूरे संविधान के बारे में हमको दोबारा सोचना होगा। इस प्रकार के जितने भी तबके हैं उन सभी को हमें अपने साथ रखना है। काश्मीरियों ने कहा है कि हम भारत का इन्टिग्रल पार्ट हैं तो फिर जल्दबाजी में हमको कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिये। यही बात नागालैंड के लिए भी है। अगर हम पहले से वहां पर कोशिश करते तो आज यह नौबत ही नहीं आती। जितने भी हमारे सीमांत प्रदेश हैं उनके प्रति हमने वह पालिसी अख्तियार नहीं की जिससे कि वहां के लोग फ़ौरन हमारे साथ हो जाते। हमने रुपया पैसा तो खर्च किया लेकिन इसके अलावा क्या हमने काश्मीर और नागालैंड में कोई और कोशिश की, उसी का नतीजा यह है कि वे लोग नाराज हो जाते हैं और अलग होने की बातें करते हैं। यह बात नागालैंड और मीजो में भी चल रही है। आज मणिपुर में भी झगड़ा चल रहा है। मणिपुर में सत्याग्रह चल रहा है, हमने काल-अटेंशन भी दिया, शार्ट नोटिस क्वैश्चन भी दिया लेकिन गृह मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया है। जवाब तो खैर वे दे ही देंगे लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि मणिपुर के लिए भेद क्यों किया जाता है। नागालैंड जिसकी जनसंख्या 5 लाख है, वहां तो आपने उन्हें स्टेटहुड दे दिया, लेकिन मणिपुर की दस लाख है उसे स्टेटहुड और अटोनोमी से वंचित क्यों रखा है? हमें सारे सीमान्त प्रदेशों के लिए एक खास पालिसी अख्तियार करनी पड़ेगी, यदि हमें अपने देश की एकता को कायम रखना है। जो चीज आज महाराष्ट्र में कर सकते हैं वही चीज कश्मीर में करें, यह तो हो नहीं सकता, बहुत आसानी से नहीं हो सकता। हां, आगे चलकर जब पूरा इन्टिग्रेशन हो जाए, तब ठीक है लेकिन आज की वह स्थिति नहीं है, म बात को हमें कबूल कर लेना चाहिये और रियलिटीज मे भागना नहीं चाहिये।

हीं कहता हूं कि काश्मीर की आज की स्थिति अच्छी है। वहां के गवर्नमेंट
समस्या है। सादिक साहब बहुत प्रोग्रेसिव कहलाते हैं लेकिन यहां पर कहा
फैऐलिस्ट हुकूमत है। अगर सादिक साहब प्रोग्रेसिव हैं तो श्री शिशुपाल,
मित्रों से मिलने के लिए आए तो उनको क्यों गिरफ्तार किया गया?
किया गया जिनमें 12 को प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट में रखा
अलग ही है। तो इस स्थिति से हम खुश नहीं हैं और
पर ज्यादती होती है। लेकिन हमें सोचना चाहिये कि

आज वहां की स्थिति क्या है। यहां पर जमीन के कानून के बारे में कहा गया। मेरे पास एक और शिकायत आई है, गृह मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें। मुझे पता चला है कि वहां पर एक सिविलियन एरोड्रोम है और एक मिलिट्री है। मिलिट्री का तो अलग होगा लेकिन सिविल वालों को भी जगह नहीं मिलती है। उनको जगह देनी पड़ेगी, उसके लिए राजी करना पड़ेगा। अलग-अलग जगहों पर जमीन के अलग-अलग कानून बने हुए हैं। जैसा कि छोटे नागपुर के इलाके से एक कानून है जिसमें ट्राइबल लोगों को जमीन ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं है, जब तक कि डी०सी० इजाजत नहीं देता है। वह पुराना कानून आज भी वहां चल रहा है। इसी तरह से कश्मीर में भी हो सकता है। तो जो पहले से पुरानी स्थिति चली आ रही है. उसको धीरे-धीरे खत्म करना है।...

इतना बड़ा हमारा देश है जिसमें मुतलिफ मजहब हैं, मुख्तलिफ भाषायें हैं, इसमें हमें मुख्तलिफ रूप में विकास को ले कर आगे चलना है। आज हम देखते हैं कि केरल में सैन्ट्रल गवर्नमेंट के जिन इम्प्लाईज़ को गिरफ्तार किया गया था उनके केसेज विदड्रा किये जायेंगे, पंजाब वालों के विदड्रा किए जायेंगे, लेकिन हमारे कैसेज विदड्रा नहीं किये जायेंगे और महाराष्ट्र में विदड्रा नहीं किए जायेंगे। अगर यह विषमता नहीं है तो फिर और क्या है? इस विषमता को भी हमें दूर करना है। यह विषमता क्यों है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि सही मायनों में नीतियों में टकराव है। उस टकराव को हमें दूर करना है। जैसा मैंने पहले कहा, हमारी अपनी राय में पहले हमें वहां की स्थिति को सुधारना चाहिये और लोगों को अपने साथ करना चाहिये। मैं यहां के मुसलमानों से हमदर्दी करने वालों में से एक हूं परन्तु मैं उनसे भी कहूंगा, चाहे वे मानें या न मानें, कि इस देश में जो माइनारिटीज के लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान का ज्यादातर नारा लगाया, उससे यहां के लोग नाराज हो गए क्योंकि उससे देश का विभाजन हुआ। यह चीज भी भूलने की नहीं है। दो तरफ अफेक्शन की बात नहीं होनी चाहिये। यही कमजोरी है। हमें उनके बच्चों में अपने देश के प्रति प्रेम को पैदा करना होगा। एक बार मैंने यहां पर कहा था कि पूना में एक छोटे लड़के ने मुझ से पूछा जब वहां पर झगड़ा हुआ था कि जोशी चाचा, यह बताओ, मेरे पड़ोस में बैठने वाला एक हिन्दू लड़का मुझ से अक्सर बोलता है कि तुम्हारे अयूब ने यह किया, तो वह हमारा अयूब कैसे हो गया। जब उसने यह बात पूछी तो मैं चुप रह गया लेकिन फिर मैंने उससे कहा कि यह तुम नहीं समझोगे लेकिन तुम्हारे बाप-दादाओं ने और हमारे बाप-दादाओं ने जो अन्याय किया, उसी का यह फल है। हमारे देश में पांच करोड़ मुसलमान हैं जैसे हम हैं वैसे वह भी हैं, लेकिन आज इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग हैं जो देश से इन्डिफरेंट हैं, फिर भी

हमें रियलिटीज से भागना नहीं है और उनमें प्रेम लाने का काम हमारा है। लोकतांत्रिक ढंग से ही हम इस काम को करना चाहते हैं। अगर हम डिस्कशन का तरीका छोड़ दें तो भी लोकतंत्र नहीं रह सकता है। आज अगर इन्दिरा जी शेख अब्दुला से न भी मिलें तो भी उन्होंने जो कान्फ्रेंस की और कुछ प्रस्ताव पास किये उन पर विचार करने से इन्कार करना चाहिये? प्राइम मिनिस्टर उनसे न मिलें क्योंकि आपकी पालिसी दूसरी है—लेकिन जो हम लोग बैठे हैं उनको उन लोगों के साथ बात करने से क्यों इन्कार करना चाहिये। अगर कोई रास्ता निकलता है जिससे यहां की जनता को तसल्ली मिलती है तो हमें उस चीज को करना चाहिये।

ऐसी स्थिति में मैं वाजपेयी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल्दबाजी में कोई काम नहीं हो सकता है। खासकर आज के माहौल में जब कि उथल-पुथल की अवस्था है, एक फरमेंट है, हम जल्दबाजी में अगर कुछ करेंगे तो वह चीज लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकती है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की एकता को कायम करने के लिए आगे चलकर, जैसाकि हमारे स्वर्गीय नेता डा० लोहिया कहा करते थे और हम भी कहते हैं, एक पूरा कन्फेडरेशन बनाना होगा। बगैर उसके हमारा काम चलने वाला नहीं है। उसी दृष्टि से हमें आगे बढ़ना है।

*** *** ***

(व्यवधान)*

तो मैं यही कहूंगा कि हमें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। मैं जानता हूं कि मैं पुराने लोगों में से हूं और मेरी बातों को सुनने वाले लोग नहीं हैं लेकिन फिर भी कहना मेरा काम है। मैं फिर यही कहूंगा कि इसमें जल्दबाजी न करिए और इस पर वोट के लिए प्रेस न कीजिए। इतनी ही मेरी प्रार्थना है।

---

*एक सदस्यः शुरू में ही डा० लोहिया ने कश्मीर को विशेष दर्जा दिये जाने का विरोध किया था।

18

लोक नियोजन (निवास विषयक अपेक्षा) संशोधन विधेयक पर विचार*

सभापति महोदय, सदन के सामने जो विधेयक प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं तो चाहता था कि यह विधेयक और भी बड़ा हो जाता जिसमें कि पिछड़े हुए लोगों को और ज्यादा अधिकार दिये जा सकते। मुझे दो दिन पहले वहां जाकर वहां की स्थिति देखने का मौका मिला। किसी भी राजनैतिक दल का वहां जो आन्दोलन चल रहा है उसको बाकायदा समर्थन नहीं है। बार-बार यह कहा जाता है कि हम लोग जोकि विरोधी दल के हैं वह ही इस क़िस्म की आग को सुलगाते हैं। लेकिन मुझे वहां यह देख कर आश्चर्य हुआ कि एक भी विरोधी दल उसका समर्थन नहीं करता है फिर भी जो विद्यार्थी लोग हैं छात्र लोग हैं वह एक बड़ा आन्दोलन चला रहे हैं। मैंने अपनी पार्टी के लोगों को करीब-करीब 4 घंटे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि देखो भाई यह जो तुम्हारी बेकारी का सवाल है वह, अलग हो कर तेलंगाना का राज्य बना कर भी सुलझाना मुश्किल है। बड़ा मुश्किल सवाल है मैंने उनकी बुद्धि को अपील करने का तरीका अपनाया था। मगर उन लोगों ने जो कहा उसको सुन कर मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि राज्य पुनर्रचना आयोग ने सिफारिश की थी कि तेलंगाना को एक स्टेट बनाना चाहिए मगर उस पर अमल नहीं हुआ। उसका कारण यह था कि तेलगांना के उन दिनों के कई नेताओं ने और आन्ध्र के नेताओं ने आपस में बैठ कर ऐसा सोचा कि हम सब लोग तेलगू भाषा भाषी एक रहेंगे तो हमारी तरक्की जल्द हो जायेगी। तेलंगाना के लोगों ने उसे माना। परन्तु यह शर्त थी कि तेलंगाना के लोगों को विशेष संरक्षण मिले। एक इकरारनामा हुआ परन्तु इकरारनामे में जो बातें थीं उनके ऊपर अमल नहीं हुआ। यहाँ जो बताया गया है उसे मैं दुहराऊंगा नहीं। तेलंगाने के इलाके से जो रैवेन्यु सरप्लस है, जो अतिरिक्त धनराशि रहेगी वह तेलंगाना में खर्च होनी चाहिए। इस सरप्लस धनराशि के दो हिस्से हो सकते हैं। एक रैवेन्यु का सरप्लस और दूसरा कैपिटल ऐक्सपैंडिचर का सरप्लस। उन लोगों के हिसाब से वह 40 करोड़ तक चला जाता है और वह खर्च नहीं हुआ।

*लोक-सभा वाद-विवाद, 17 मार्च 1969, कालम 242—247

लोग नाराज हुए। इसके साथ ही यह जो बतलाया गया कि वह एक एग्रीमेंट का हिस्सा था जिसको लेकर कानून बना रहे हैं और जिसका कि एक्सटैंशन कर रहे हैं। आन्ध्र को दो जगह मिली। एक जगह तेलंगाने के आदमियों को मिलनी चाहिए। अब उसको अमल में नहीं लाया गया। जैसा कि रंगा साहब ने कहा कि उस का इतना उल्लंघन हुआ है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। वहां एक रीजनल कमेटी बनी मगर एक एग्रीमैंट के मुताबिक तेलंगाने के जो प्रतिनिधि विधान सभा में बैठते हैं उन की एक रीजनल कमेटी है और वह उसको देखती है कि यह ठीक हो रहा है या नहीं। हाल में रीजनल कमेटी की तरफ से उसकी जांच हो गयी है खास कमेटी मुकर्रर कर के सरप्लस के बारे में और यह एम्प्लायमैंट के बारे में भी उसकी रपट मुझे देखने में आ गई। उसको देखते हुए मुझे आश्चर्य हुआ। एक जैंटिलमैन एग्रीमेंट किया गया लेकिन उसको अमल में नहीं लाया गया उसके विपरीत काम किया गया। इतना ही नहीं बल्कि जो 4000 का हिसाब लगाया गया है उसके लिए वही लोग मुझे यह कहते थे कि वह 4000 तो बकते हैं दरअसल लोगों ने झूठे सर्टिफिकेट्स दिये हैं और ऐसे झूठे सर्टिफिकेट्स देने से उनका कहना है कि वह 40,000 तक है। यह गलत हो सकता है मगर यह जो एक मन की स्थिति है वह बड़ी खतरनाक है। देश में हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय एकता रहे। हमने इसके लिए नेशनल इंटैग्रेशन कौंसिल बनाई है, कान्फ्रैंसैज वगैरह भी बुलाते रहते हैं लेकिन नीचे जब तक हम नहीं जायेंगे और लोगों के दिलों को जब तक हम इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

निजाम रेलवे जब हमारे रेलवे सिस्टम में इंटीग्रेट की गई तब निजाम स्टेट को कुछ मुआवजा मिला। वह पैसा रेलवे के महकमे ने अपने पास रख दिया। वह रकम कुल तीस करोड़ की है। मैंने आज ही रेलवे मन्त्री महोदय से यह जानकारी मांगी है। मेरी अपनी राय है कि तेलंगाना के लोगों को न्याय करना है तो यह धनराशि उस इलाके में रेलवे के विकास के लिए लगनी चाहिये। जब आपको पिछड़े इलाके से एक धनराशि मिली है तो उसका इस्तेमाल वहीं रेलवे बनाने के लिए होना चाहिये। आपने तेलंगाना के लोगों से नहीं पूछा, वहां की हुकूमत से नहीं पूछा और वहां रेलवे को बढ़ाने के लिये जिस धनराशि का इस्तेमाल होना चाहिए था वह नहीं हुआ। जब तक पिछड़े इलाकों के लोग कोई आन्दोलन नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे हमारी आंखें खुलें, तब तक हम उनकी बात को सोचने के लिये तैयार नहीं होंगे।

मेरा कहना है, जैसा अभी हमारी बहन ने कहा, यहां पांच साल की बात नहीं है, जब तक वह लोग पिछड़े हुए रहेंगे तब तक हमें उनकी देखभाल करनी होगी और यह विशेष अवसर और सुविधायें उन्हें मिलनी चाहिएं। मैं तो यहां तक कहूँगा कि यह जो बिल आया है यह काफी नहीं है। जो रीजनल कमेटी बनी है उसको हमें स्टैटुटरी पावर देनी चाहिये ताकि अगर कोई गलत काम हो जाये तो लोगों को कोर्ट जाने का अधिकार प्राप्त

हो जाये। आज हम देखते हैं कि लोगों के मनों में बहुत अधिक विरोधी भावना फैल गई है। मुझे दुःख होता है यह देखकर कि वहां पर किस तरह गाली गलौज चलता है। तेलंगाना के लोग कहते हैं कि यह लोग हमारे ऊपर इस तरह से शासन करते हैं गोया उन्होंने हमारे ऊपर फतेह पाई है। ऐसे गलत-सलत शब्द कहे जाते हैं जिस का कोई ठिकाना नहीं है। मैंने एक मित्र से पूछा कि गाड़दीकोड़ को जो शब्द कहे जाते हैं उसका मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि डंकीज सन अर्थात् गधे का बच्चा। अगर यह गलत है ऐसा नहीं कहा जाता है और मेरी सूचना गलत है, तो मुझको आनन्द होगा, लेकिन अगर इस तरह से होता है तो यह कितनी खराब बात है, वहां लोगों ने हमसे कहा कि अगर हमारी तरक्की नहीं होती तो हमें परवाह नहीं। चूंकि उन लोगों ने हमारे साथ इस तरह से वादाखिलाफी की है, हमारे साथ जेन्टलमैन बन कर एगरीमेंट करके उसके खिलाफ काम किया है, हम पृथक होना चाहते हैं।

मैं तो कहना चाहता हूं कि जो सारी पार्टीज हैं उनको समझना चाहिये कि अगर तेलंगाना के लोग चाहते तो तेलंगाना का राज्य अलग बन सकता था, इसके लिये उनको लड़ने की जरूरत नहीं थी। एस०आर०सी० ने इस तरह का निर्णय किया था, लेकिन जो उस समय देश के बड़े-बड़े नेता थे उन्होंने जनता को समझाया कि देश के हित में तेलगू भाषा-भाषियों का एक राज्य होना ज्यादा अच्छा है। इस लिए उन लोगों ने इस बात को मान लिया। उन लोगों ने नेताओं की बात को मान लिया इसी का यह फल है कि आज वह इतने पिछड़े हुए रह गये हैं। जो भी कोई बड़े-बड़े नेताओं की अच्छी बात मान लेगा उसके साथ अगर इस तरह से व्यवहार होगा तो किसी को भी नेताओं में विश्वास नहीं रह जायेगा। अगर हमें अपने देश की तरक्की करनी है तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिये। हमारी पार्टी के चेयरमैन का फोन आ गया इसलिए मुझे वहां जाना पड़ा। हमारी पार्टी के लोग वहां आये, सब हिस्सों के लोग इकट्ठे हुए। आन्ध्र का एक राज्य है उसमें तेलंगाना के लोग भी हैं, रायलसीमा के हैं और डोन्टा के लोग भी हैं। जो स्थिति तेलंगाना की है वही रायलसीमा की भी है। उनकी तरक्की भी होनी चाहिए। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता पृथक तेलंगाना के आन्दोलन में शरीक होना चाहते थे मगर मैंने उन्हें समझा कर 31 मई तक उसे पोस्टपोन करवाया। कुछ लोग कहते थे कि उनको फौरन तहरीक शुरू करनी चाहिए। करीम नगर के हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता ने इस सवाल को लेकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया हमने उनसे दो दिन तक दलील और बहस की। बहुत समझाने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि जो हमारे तहफ्फुजात हैं, चाहे पोचमपाड़ प्रोजेक्ट हो या रेलवे का पैसा हो, अगर उन पर अमल नहीं हुआ 31 मई तक, तो हम आगे चल कर इस पर दुबारा सोचेंगे। इस पर दुबारा सोचने का मतलब क्या है? हम आन्दोलन करेंगे। इसलिये हमने वहां समझाने की बड़ी कोशिश की।

मैं सदन से कहना चाहता हूं कि यह छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज तेलंगाना में जो हुआ है, वह दूसरी जगहों पर भी हो सकता है। भाषावार राज्यों का प्रारम्भ आंध्र से ही हुआ । जब आन्ध्र को मिला तो कर्नाटक वाले कहने लगे कि हमें भी चाहिए। उसके बाद महाराष्ट्र वालों ने कहा। इस तरह से एक चेन रिऐक्शन शुरू हो जाता है। हमको उदारता से काम लेकर दोनों को राजी करना पड़ेगा। आंध्र को भी राजी करना होगा और तेलंगाना वालों को भी राजी करना होगा। अगर वह राजी नहीं होंगे तो सारे देश में इस तरह का सिलसिला शुरू हो जायेगा। महाविदर्भ की मांग आयेगी। राज्य रचना आयोग ने तो महाविदर्भ की मांग को कबूल किया था। मगर उसके बाद बिगर-वाई-लिंवल बनाया। हम लोगों ने पहले महा-विदर्भ के लोगों के साथ वादा किया था, जिसका नाम अकोला पैक्ट था, उसके बाद नागपुर पैट हुआ। जो भी पैक्ट हुए उन पर पूरा अमल हुआ फिर भी वहां के लोगों में असन्तोष है। अगर पैक्ट तोड़ा गया होता तो असन्तोष कितना बढ़ जायेगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं महाविदर्भ के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि तुम्हें हमारे साथ रहने में लाभ होगा, लेकिन अगर वह हमारे साथ में नहीं रहना चाहते तो हम उनको जबर्दस्ती तो अपने साथ रख नहीं सकते और रखना चाहें भी उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस तरह से जो सिलसिला शुरू हो जायेगा वह कहां तक जायेगा? आज तेलंगाना की बात है, कल विशाल हरियाणा की बात हो जायेगी, फिर छत्तीसगढ़ की बात हो जायेगी।

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल को तो पास करना ही चाहिये, लेकिन पास करना ही काफी नहीं है, जो तेलंगाना के लोग हैं उनके हित के लिये, उनकी प्रगति के लिये बहुत कुछ करना चाहिये। जैसा मेरी बहन ने कहा हम को पूरा विचार करना चाहिये और जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको मदद देनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं।

19

काशीपुर में गोलीबारी तथा पश्चिम बंगाल में हड़ताल*

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास समय बहुत कम, मगर जो विषय चर्चा के लिए उपस्थित है उस पर काफी गम्भीरता से हम लोगों को सोचना चाहिए और अपने मत देने चाहिये।

कब्ल इसके कि मैं इस मामले पर आऊँ, मुझको चाहिए कि मैं बतलाऊँ कि मेरी बहन श्रीमती शारदा मुकर्जी ने जो बातें कही हैं उनसे यह लगता है कि उनके दिमाग में कुछ गलतफहमी है। उन्होंने कहा कि जो सिविलियन डिफेन्स पर्सोनेल हैं उनको मिलिटरी के साथ-साथ काम करना पड़ता है। श्रीमती शारदा मुकर्जी को शायद यह पता नहीं है कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो पहले डाइरेक्टर जनरल आर्डिनैंस फैक्ट्रीज के मातहत थी और अब जनरल मैनेजर के मातहत है उनमें काम करने वाले सिर्फ सिविलियन हैं, उनके साथ मिलिट्री पर्सोनेल नहीं हैं।

मेरा भी सम्पर्क सिविलियन डिफेन्स पर्सोनेल से रहा है। श्रीमती शारदा मुकर्जी का कहना है कि हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं जहां हमको अन्य मजदूरों के लिए नहीं सोचना चाहिये। हम जरूर सोचते हैं, लेकिन इसके साथ हमारा यह भी कहना है कि अगर हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है तो फिर दूसरे मजूदरों के साथ जिस प्रकार सुलूक होता है वैसा हम लोगों के साथ नहीं होना चाहिये। इसी सभा में मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जो टेम्पोरेरी पर्सोनेल हैं, जिनको डिस्चार्ज किया गया है, अगर वह चौथी धारा में आते हैं तो उनको दुबारा वापस ले लिया जायेगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं इस समय पर सदन के सम्मुख बतलाना चाहता हूं कि इस काशीपुर फैक्ट्री में लगातार तीन चार रोज तक लोग अपनी मीटिंग करते रहे और इस चीज की मांग करते रहे। मैं नहीं जानता कि कहां तक सही है, लेकिन मुझे ऐसा पता लगा है कि अन्दर जो स्कूल है वहां पहले रोज यही कहा गया कि कल तुम्हारी छुट्टी है। यह किसने कहा यह मुझे पता नहीं है। मगर साढ़े सात बजे तक मीटिंग चलती रही उसके बाद वह आये। उधर कई अफ़सरों ने कहा कि यह दरवाजा बन्द मत करो। मगर कई लोग वहां ऐसे हैं जो कुछ बहाना चाहते हैं मजदूरों को पीटने का। उन्होंने कहा कि नहीं, बन्द करो। सब लोग वहां आये और हो हल्ला हुआ। उसमें गोली चली और यह

*'लोक सभा वाद-विवाद,' 14 अप्रैल 1969, कालम 330-336

नतीजा उसका हुआ। मैं यह चीज कहता हूं कि अगर हमारी हुकूमत ने आश्वासन दिया है और उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं होती है और मजदूर उसके विरोध में वहां सभाएं करते हैं तब उनके साथ ऐसा व्यवहार हो, यह ठीक नहीं है। अगर एक-आध मिनट इधर-उधर हो जाय तो उसके लिये पूरा गेट नहीं बन्द किया जाता। साथ-ही-साथ दूसरा स्थान भी सामने रहता है जहां पर लोगों को रोका जाता है। उसके बाद यह गेट आता है। लेकिन उस रोज पहले अड़ंगे को भी हटा दिया गया और यह सब कुछ किया गया। जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने उस रोज कह दिया कि हम एन्क्वायरी करेंगे। बहुत अच्छी बात है। मगर मैं समझता हूं वहाँ जज की नियुक्ति के एलान में अशोभनीय जल्दबाजी हो गई। कुछ एलान किया, यह अच्छा हुआ क्योंकि हम बार-बार मांग करते हैं, तब भी मंत्री महोदय कभी एलान नहीं करते।

मैं उस रोज़ यहां नहीं था। कई लोगों ने पूछा कि आप इनक्वायरी करेंगे? आपने कहा कि करेंगे। यह अच्छी बात हो गई। उसके बाद बंगाल की हकूमत ने कहा कि क्या इसका फैसला करते समय आपको हमसे सलाह मशविरा नहीं करना चाहिये था? अगर करना चाहिये था तो क्यों नहीं किया? मैं कहूंगा कि हमको सब लोगों को एक ही नाप से नापना चाहिए। वहां की हकूमत चूंकि कम्युनिस्ट हकूमत है इसलिए उसके साथ एक नाप और तेलंगाना या हैदराबाद की हकूमत दूसरी है। इसलिए उसके साथ एक दूसरा नाप और तमिलनाडु में चूंकि डी०एम०के० की हकूमत है इसलिए उसके साथ तीसरा नाप, महाराष्ट्र में चूंकि एक और ही हकूमत है इस वास्ते उसके साथ चौथा नाप, यह तो उचित नहीं है। दोहरी नीति नहीं अपनाई जानी चाहिए। एक नीति से काम चलना चाहिए।

हम सब चाहते हैं कि हमारे देश की आजादी कायम रहे। अवाम की तरक्की हो। हम चाहते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र चले। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र किस तरह से चलाया जाए? हमने एक संविधान बना रखा है। उसमें हमने कई बार संशोधन किया है आज आप देखें कि परिस्थितियां बदल गई हैं। जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो हमको अपने आपको उनके मुताबिक ढालना होगा, कुछ फर्क करना पड़ेगा। ऐसा करने में कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए।

रंगा साहब ने कहा कि उस गवर्नमैंट को डिसमिस करो। इनके पास यही दवा रह गई है। वह चाहते हैं कि एकदम इनको डिसमिस कर दो। इन दवाओं को मैं बहुत सुनता आया हूं। गोया हमारे पास यही एक नुस्खा रह गया है। जब नागालैंड में घटनायें घट रही थीं तो बहुत से लोग कहते थे कि भेजो आर्मी वहां। असम में जब झगड़े चल रहे थे तब इंटेग्रेशन के नाम पर कहा गया कि सख्त कदम उठाये जाने

चाहिएं। इस तरह के सख्त कदमों की बात करना आसान है। लेकिन डैमोक्रेसी के जो उसूल हैं उनके खिलाफ ये नहीं जाते हैं? इसको भी आपको सोचना होगा।

कम्युनिस्ट हों, सोशलिस्ट हों, प्रजा-सोशलिस्ट हों, लैफ्ट कम्युनिस्ट हों या राइट कम्युनिस्ट हों या रौंग कम्युनिस्ट हों, सबको पार्टी बनाने का अधिकार है। यहां कहा जाता है कि इस पार्टी को गैरकानूनी घोषित कर दो। जो करना हो आप करो। लेकिन हमारा जहां तक सम्बन्ध है हम चाहते हैं कि लोगों की राय से इस देश की हकूमत चले। बंगाल में एक बार आपने जिनको डिसमिस किया, वही दुबारा वहां पर आ गए, उनको ही लोगों ने वोट दिया। अब इसका क्या अर्थ निकाला जाए। यह जरूर है कि जो हकूमत वहां बनी है वह संविधान के मुताबिक चले। लेकिन संविधान के मुताबिक सिर्फ वही चले और दूसरा न चले, यह तो नहीं हो सकता है। हमें बिना किसी प्रेजुडिस के काम करना चाहिये। कम्युनिस्ट लोग डैमोक्रेसी में विश्वास करते हैं या नहीं, इसमें जाने की क्या जरूरत है। हम लोग डैमोक्रेसी चाहते हैं या नहीं, यह सवाल हमको अपने आपसे पहले पूछना चाहिये। इनको डिसमिस करके और आर्मी को वहां भेजकर, क्या डैमोक्रेसी चलेगी, यह सवाल हमको अपने आपसे पूछना चाहिये। जो भी कार्य हमारा हो वह इस तरह का होना चाहिये जिससे लोकतंत्र की रक्षा हो और एकता कायम रहे।

मेरा दल बंगाल में एक छोटा-सा दल है। हम युनाइटेड फ्रन्ट का एक हिस्सा हैं। अभी तक हम हकूमत में नहीं रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने फ्रन्ट वालों को बार-बार कहा है कि हम लोग असैम्बली में गए हैं तो लोगों को राहत दिलाने के लिए गए हैं, गरीब लोग जो सताये गए हैं, उनके लिए कुछ करने के लिए गए हैं। हमारी उनसे कुछ शिकायतें हैं। हम चाहते हैं कि प्रोग्राम्ज़ को लागू करने के लिए वे समय निर्धारित करें, प्रोग्राम समय-बद्ध करें। समयबद्ध प्रोग्राम होगा तब हम हकूमत में हिस्सा लेंगे। हमने बहुत-सी बातें कहीं हैं। उनमें से एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज सुबह भी मैं उस सवाल को उठाना चाहता था। मैंने आपसे इजाज़त मांगी थी। हमारी एक बात यह है कि कलकत्ता शहर में फ्री प्राइमरी एजुकेशन हो, जो अभी तक नहीं हुई है। आज तक वहां कांग्रेस का राज्य रहा है। उसने इसको नहीं किया है। अब ये लोग वहां आ गए हैं और इनसे हम कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी और समयबद्ध कार्यक्रम लागू करो।

बार-बार हमने कहा है कि जहां तक ट्रेड यूनियन्ज़ का सम्बन्ध है जिस ट्रेड यूनियन के पीछे लोकमत है, बहुमत है, उसको मान्यता मिलनी चाहिये और इसके बारे में कानून बनना चाहिये। आज सुबह जिस बात का मैं जिक्र करना चाहता था वह यह है कि हमारी पार्टी के नेता श्री राजनारायण जोकि राज्य सभा के मैम्बर हैं, आसनसोल गए थे। वहां राइवल ट्रेड यूनियन्ज़ में झगड़ा था। उन पर भाले और बरछे लेकर हमला किया गया और इसलिए किया गया कि वे दूसरी यूनियन से सम्बद्ध थे।

मजदूर किस यूनियन को चाहते हैं, किस यूनियन के साथ उनका बहुमत है उसको रिकगनिशन मिल जाए, उसको मान्यता मिल जाए, लेकिन भाले, लाठियां लेकर हमला तो नहीं होना चाहिये, उनकी जरूरत तो नहीं होनी चाहिये।

चव्हाण साहब और मैं एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि हमको जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिये। वहां हकूमत कम्युनिस्टों की है, इस वास्ते अगर हम दोहरी नीति चलायेंगे तो यह हमारे लिए कोई शोभा की बात नहीं होगी।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं। जब स्टालिन की मृत्यु हुई तो मैं बम्बई विधान सभा का सदस्य था। उन दिनों वहां श्री मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री थे। मैं उनके पास गया था और मैंने उनसे कहा था—

** ** ** **

जब कम्युनिस्टों की बात हो रही है तो स्टालिन भी तो बहुत बड़ा कम्युनिस्ट था। मैं मोरारजी देसाई साहब के पास गया था। मैंने कहा था कि एक बड़ा नेता मर गया है, हम लोगों को भी दुख का इजहार करना चाहिये। उन्होंने कहा कि गांधी की भी तो मृत्यु हो गई थी, तब उन्होंने क्या किया था। मैंने कहा था कि उनमें और आप में तब फर्क ही क्या रह जाएगा। हम गांधीवादी हैं। हम लोगों को इस पर नहीं जाना चाहिये कि वे लोग क्या करते हैं। उनका अगर डैमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, कम्युनिस्टों का अगर डैमोक्रेसी में विश्वास नहीं है तो भी हमें यह देखना होगा कि लोगों ने उनको वोट दिया है और लोगों की राय के मुताबिक हमको चलना चाहिये। लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिये। हमें सोचना होगा कि जो भी कदम हम उठायें क्या उससे तनाव में वृद्धि तो नहीं होगी। जब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हमारे किसी भी कदम से तनाव में वृद्धि होगी तो यह जरूरी है कि हम उसके कुछ उपाय कर लें। इस तरह के कदम अगर उठाये जायेंगे तो मैं समझता हूं कि तनाव में इनसे वृद्धि होगी। हो सकता है कि कम्युनिस्ट चाहते हों कि तनाव बढ़े। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम चाहते हैं कि यह तनाव बढ़े? अगर नहीं चाहते हैं तो हमें बैठकर कुछ फैसला करना होगा, यही मेरी प्रार्थना है।

सुविख्यात सांसद मोनोग्राफ सीरीज - एस॰एम॰ जोशी
का
शुद्धिपत्र

पृष्ठ संख्या	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िये
7	14	एस॰एप॰	एस॰एम॰
24	6	उनहोने	उन्होंने
34	7	व्यसत	व्यस्त
42	4	प्राटी	पार्टी
43	3	व्यस्क	वयस्क
54	नीचे से 6	तर्क-वितर्क	तर्क-वितर्क
95	8	एरामेंट	एग्रीमेंट